सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2022–23

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

(राष्ट्रीय कैम्पा)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोजगार
भारत सरकार

MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संदेश

केंद्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 को लागू करके वन, वृक्षों और पारि-प्रणाली लाभों की हानि प्रतिपूर्ति करते हुए तथा वन और वन्यजीव पर्यावासों में गुणात्मक सुधार करके विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए गैर-वानिकी उद्देश्यों से वन भूमि के अपवर्तन के बदले प्रतिकरात्मक वनरोपण को उच्च प्राथमिकता दी है।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) की स्थापना के बाद, तदर्थ काम्पा में जमा की गई धनराशि में से लगभग 51,300 करोड़ रुपये की धनराशि वर्ष 2019-20 में संबंधित राज्यों को हस्तांतरित की गई है। काम्पा के कार्यों में स्थानीय लोगों, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की भागीदारी से उनकी आजीविका के अवसरों में वृद्धि हुई है। नमामि गंगे मिशन के तहत किए जाने वाले वनरोपण में काम्पा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। काम्पा, वानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा वन्यजीवों, विशेष रूप से ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, डॉल्फिन, संगाई हिरण और डुगोंग के संरक्षण संबंधी कार्यों में भी सहायता प्रदान कर रहा है। काम्पा के कार्यो से हमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और जैव-विविधता का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान काम्पा द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2019-20 के दौरान 38,273 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिकरात्मक वनरोपण किया गया है।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय और राज्य काम्पा के समन्वित प्रयासों से पारिस्थितिकीय और जैव-विविधता संरक्षण सुदृढ़ होगा जिससे हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे।

दिनांक : 08.03.2024

(*भूपेन्द्र यादव*)

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली–110003, फोन : 011–20819190, 011–20819225, फैक्स: 011–20819299
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819190, 011-20819225, Fax : 011-20819299
ईमेल / E-mail : mefcc@gov.in

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः

एक कदम स्वच्छता की ओर

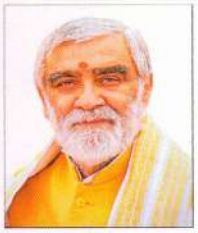

संदेश

भारत सरकार ने वनों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण एवं जैव विविधता में सुधार के लिए **"प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016"** को लागू करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस निधि का मुख्य उद्देश्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वनीकरण, वन संरक्षण, वनों की स्थिति और जैव विविधता में सुधार करना है।

राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण ने समय-सीमा में प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर प्रयास किया है। राष्ट्रीय प्राधिकरण ने विलुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण को विशेष महत्व दिया है, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया है और वन्य जीव प्रजातियों की सुरक्षा में मदद की है।

कैम्पा निधि ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने और हरित रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह निधि नगर वन योजना, ड्रोन का उपयोग, डिजिटल निगरानी और संचार, वन सीमाओं का डिजिटलीकरण और पर्यावरण पर्यटन विकास में भी सहायक है।

कैम्पा राष्ट्रीय प्राधिकरण की **वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट** में इस वर्ष की अवधि में किए गए कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख है। राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्टों से साफ है कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि, वनीकरण गतिविधियों और पर्यावरण सुधार में काफी प्रगति हुई है। इस निधि द्वारा वैज्ञानिक प्रगति के साथ संयुक्त प्रयास भारत को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय अस्तित्व की आगामी चुनौतियों के साथ मुकाबला करने की क्षमता में सुधार हो रहा है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि कैम्पा निधि का समुचित और सही तरीके से उपयोग करें जिससे हम वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण को बेहतर कर सकें और जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से मुकाबला कर सके। कैम्पा निधि के उपयोग से राज्यों के वन विभागों के वनों के दूरदराज़ क्षेत्रों में काम करने वाले फ्रंट लाइन वन कर्मचारियों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उनकी तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास में भी अच्छा कार्य हुआ है।

मुझे आशा है कि राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण सभी राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र प्राधिकारणों के साथ मिलकर प्रतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास जारी रखेगा ।

मैं सभी हितधारकों को इस उत्कृष्ट एवं व्यावहारिक रिपोर्ट को बनाने में योगदान देने वालों को हार्दिक साधुवाद देता हूं।

(अश्विनी कुमार चौबे)

कार्यालय : 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फैक्स: 011-20819207, ई-मेल : mos.akc@gov.in
Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.akc@gov.in
कार्यालय: कमरा नं.173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23380630, फैक्स: 011-23380632
Office : Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax : 011-23380632
निवास: 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड़, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-23794971, 23017049
Residence : 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049

लीना नन्दन
LEENA NANDAN

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
& CLIMATE CHANGE

MESSAGE

The Ministry is working with States/UTs for compensating the loss of forest on account of diversion of forest lands and for the enhancement of ecosystem services. To this end, issues of national and regional importance pertaining to conservation of forests, wildlife and biodiversity are accorded special focus.

State Forest Departments are taking many technology-based initiatives, such as using Drones, LiDAR and Remote Sensing Technology for forest resources assessment, survey and digitisation of forest boundaries, control of forest fires and management of man-animal conflicts. States have also been modernising their nurseries for improving the quality of planting materials, which will help in large scale enhancement of green cover across the country.

CAMPA activities generate significant employment opportunities for local communities. Efforts are being made for appropriate skill upgradation of frontline staff, and thereby ensuring effective implementation of conservation programmes. National CAMPA is also supporting a number of forest and wildlife research programmes by the Wildlife Institute of India, Forest Survey of India, ICFRE etc.

It is heartening to note that the States and Union Territories are working in close coordination with National CAMPA Authority, and are making every effort to utilise CAMPA funds for the conservation and development of our forests and natural ecosystems.

(Leena Nandan)

Place: New Delhi
Date: February 13, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011)-2081-9408, 2081-9308, फैक्स : (011)-2081-9238
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, PH. : 011-2081-9408, 2081-9308, FAX : 011-2081-9238
E-mail : secy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in

जितेंद्र कुमार
JITENDRA KUMAR

सत्यमेव जयते

वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPL. SECY.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND
CLIMATE CHANGE

MESSAGE

Compensatory Afforestation and other measures are taken when a forest area is diverted for non-forestry purpose as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. With the introduction of Compensatory Fund Act (CAF), 2016 and subsequent CAF Rules, 2018, implementation of Compensatory afforestation measures has been further streamlined and made more effective. Effective implementation of the Compensatory Afforestation measures is aimed at maintenance of ecological stability.

The Annual Report, 2022-23 of the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) provides a comprehensive overview of activities undertaken, detailing the utilization of CAMPA funds. The report contains information that may be useful for formulating more appropriate strategies to address critical issues being faced by the forestry sector. The information provided in the report may also be useful in research works for the conservation and scientific management of the valuable forestry resources in the country.

I appreciate the efforts of the Chief Executive officer, CAMPA, and his team of officers for publication of the Annual Report 2022-23 of CAMPA. The report is important as activities planned and implemented with the utilisation of funds available under CAMPA carries high significance for maintaining healthy forest cover across the country. I am convinced that National CAMPA's initiatives will lead to a holistic improvement in forests, playing a significant role in ensuring ecological security.

04.06.2024

(Jitendra Kumar)

Place: New Delhi
Date: 4th June, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003
फोन : 011-20819239, 20819209

Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
Ph. : 011-20819239, 20819209, E-mail : dgfindia@nic.in

प्राक्कथन

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016, सरकार की एक अग्रणी पहल है जिसने राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि की स्थापना की। यह भारत सरकार और राज्यों के सार्वजनिक खाते के तहत प्रबंधित स्थायी निधि, वन भूमि परिवर्तन के परिणामस्वरूप वन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान को संबोधित करती है। कैम्पा फंड वन्यजीव संरक्षण पर जोर देते हुए सक्रिय रूप से व्यापक वनीकरण, वन संरक्षण और नष्ट हुए वनों की बहाली का समर्थन करता है।

केवल पांच वर्षों में, राष्ट्रीय कैम्पा ने 10.50 लाख हेक्टेयर में प्रतिकरात्मक वनीकरण के कार्यान्वयन की सफलतापूर्वक निगरानी की है। यह उपलब्धि आधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवीन दृष्टिकोणों के प्रति प्रतिबद्ध ता से रेखांकित होती है, जो आदिवासी और महिला समुदायों को सषक्त बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण और वन क्षेत्रों में हरित रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह पहल मिट्टी और नमी व्यवस्था में सुध ाार, जैव विविधता संवर्धन और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए सक्रिय उपायों को प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय कैम्पा का प्रभाव महत्वपूर्ण परियोजनाओं तक विस्तृत है, जिसमें मिशन नमामि गंगे में इसकी भूमिका भी शामिल है, जहां यह गंगा और इसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण और मिट्टी और नमी संरक्षण के माध्यम से योगदान देता है। यह पहल नगर वन योजना के तहत बड़े पैमाने पर शहरी हरियाली को भी बढ़ावा देती है, जिससे शहरी वातावरण और जैव विविधता को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए शहरों में नगर वन के विकास को बढ़ावा मिलता है।

कैम्पा द्वारा संचालित उल्लेखनीय अध्ययनों में देश की तेरह प्रमुख नदियों के लिए व्यापक नदी पुनर्जीवन योजनाएँ शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण के वन्यजीव संरक्षण प्रयास भारतीय उपमहाद्वीप में चीता के पुनः परिचय की पहल के साथ–साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डुगोंग, संगाई हिरण और नदी डॉल्फिन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का महत्वपूर्ण समर्थन करते हैं। कैम्पा से वित्तीय सहायता पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड मंजूरी से संबंधित वैधानिक अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पर्यावरण 2.0 जैसी प्रमुख पह. लों तक व्याप्त है। कैम्पा के पोर्टफोलियो में हालिया परिवर्धन में मिशन मिष्टी के लिए समर्थन शामिल है, जो देश की 7500 किमी लंबी तटरेखा के साथ 540 वर्ग किमी मैंग्रोव की बहाली पर ध्यान केंद्रित करता है, और ग्रीन क्रेडिट योजना, जो सतत विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाती है। राष्ट्रीय कैम्पा ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के विकास में अपना समर्थन जारी रखा है, जो देश भर में लकड़ी और अन्य वन उपज के पारगमन की निगरानी और रिकॉर्ड रखने को बढ़ाने के लिए पारगमन परमिट के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय कैम्पा का व्यापक दृष्टिकोण देश को उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के अलावा देश के पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक सुरक्षा और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय कैम्पा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सुभाष

(सुभाष चंद्र)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं
1.	शब्द संक्षेपो की सूची	xiii-xv
2.	दृष्टिकोण	xvi
3.	कार्यकारी सारांश	xvii-xviii
4.	अध्याय 1: अवलोकन	1–5
5.	अध्याय 2: राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा का गठन	7–13
6.	अध्याय 3: निगरानी और मूल्यांकन ढांचा	15–18
7.	अध्याय 4: राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा वर्ष 2022–2023 के दौरान लिए गए निर्णय	19–31
8.	अध्याय 5: राष्ट्रीय कैम्पा के वर्ष 2022–2023 के खाते और लेखा परीक्षा	33–56
9.	अध्याय 6: राष्ट्रीय कैम्पा निधि से संचालित वर्ष 2022–23 की योजनाएं	57–60
10.	अध्याय 7: कैम्पा के अंतर्गत नवीन कार्य	61–69
11	अध्याय 8: वर्ष 2022–23 के दौरान कैम्पा की उपलब्धियाँ	71–126

शब्द संक्षेपो की सूची

ए.सी.ए	अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण
एआईजीएफ	सहायक वन महानिरीक्षक
एएनआर	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन
एपीओ	संचालन की वार्षिक योजना
एआर	कृत्रिम पुनर्जनन
एएसडब्ल्यू	उन्नत मृदा कार्य
बीएनएचएस	बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी
सी एंड एजी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण
सीएएफ	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
सीएएमपीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीएटीपी	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना
सीडीएच	क्रिटिकल डुगोंग पर्यावास
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीओएफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधनों पर उत्कृष्टता केंद्र
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
सीजेडए	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
डीईएम	डिजिटल एलिवेशन मॉडल
डीएफएल	निम्नीकृत वन भूमि
डीजीपीएस	डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

डीएसएस	निर्णय समर्थन प्रणाली
ईसी	कार्यकारी समिति
ईएसआरपी	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम
एफसी अधिनियम	वन (संरक्षण) अधिनियम
एफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधन
एफआरआई	वन अनुसंधान संस्थान
एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
जीबी	शासी निकाय
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
जीआईबी	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
जिम	हरित भारत मिशन
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आईडीडब्ल्यूएच	वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास
आई आई एफ एम	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
आईयूसीएन	प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईडब्ल्यूएमपी	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना
आईडब्लूएसटी	लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
जेएफएमसी	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओईएफ एवं सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एनएईबी	राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण–विकास बोर्ड
एनबीडब्ल्यूएल	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
एनसीएसी	राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद

एनसीएएफ	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
कैम्पा	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
एनसीडब्ल्यूएफ	राष्ट्रीय वन्यजीव फोरेंसिक केंद्र
एनएफआईसी	राष्ट्रीय वन कीट संग्रह
नीति	भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान
एन पी वी	शुद्ध वर्तमान मूल्य
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनवीवाई	नगर वन योजना
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय
परिवेश	इंटरएक्टिव, सदाचारी और पर्यावरण सिंगल–विंडो हब द्वारा प्रो–एक्टिव और रिस्पॉन्सिव सुविधा
पीसीए	दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
रेड्+	वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना
एसएआर	अलग ऑडिट रिपोर्ट
एससीएफ	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
एसएफडी	राज्य वन विभाग
एसएमसी	मृदा एवं नमी संरक्षण
यूए	उपयोगकर्ता एजेंसी
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
वैपकोस	वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
डब्ल्यूआईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान

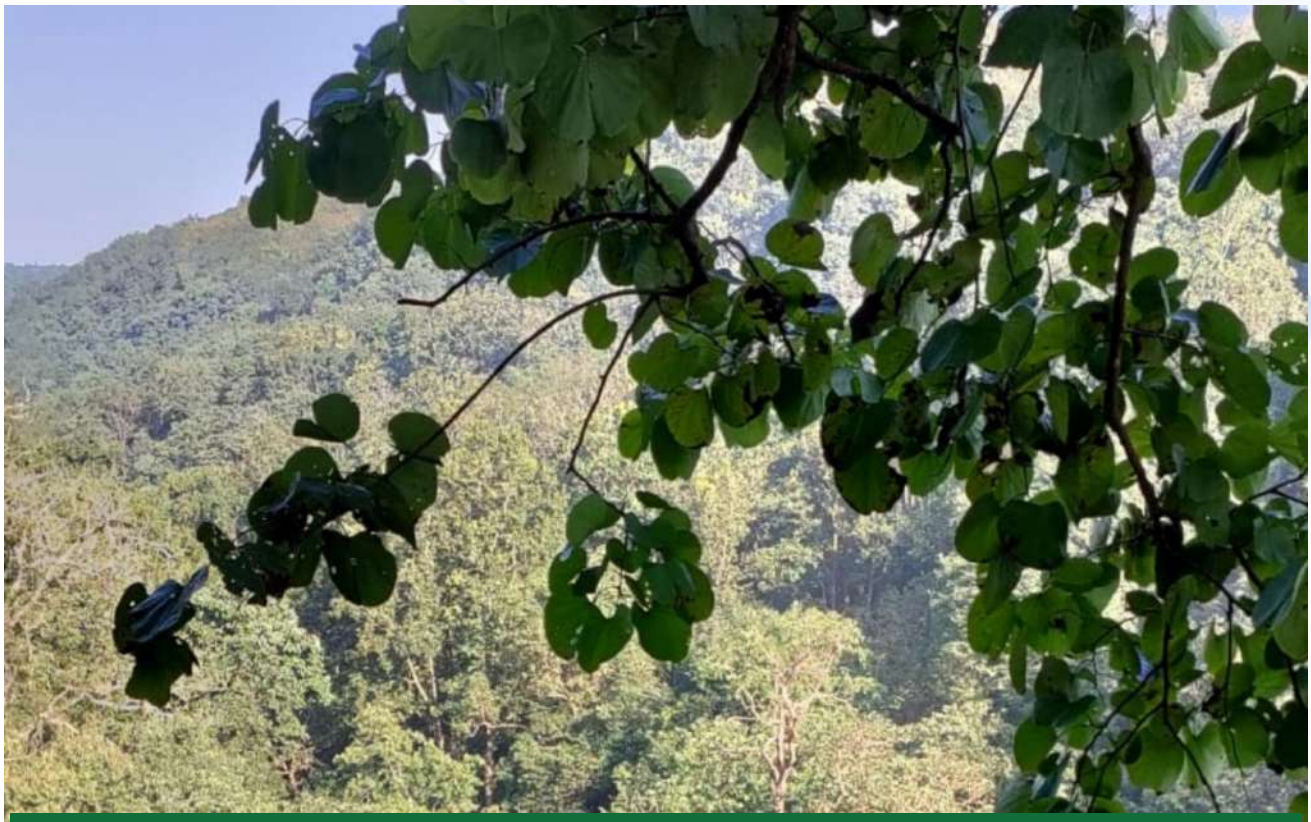

राश्ट्रीय कैम्पा का लक्ष्य है...

''जीवनदायी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण, पुनर्वनीकरण और बहाली के माध्यम से वनों और जैव विविधता का पुनर्निर्माण और संवर्धन।''

कार्यकारी सारांश

1. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) को 3 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और सीएएफ नियम, 2018 को 10 अगस्त 2018 को अधिसूचित किया गया था। सीएएफ अधिनियम और नियम 30 सितंबर, 2018 को लागू हुए।

2. सीएएफ अधिनियम प्रतिकरात्मक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को जमा करने के लिए भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक खातों के तहत धन की स्थापना और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसी एजेंसियों से वसूल की गई अन्य सभी राशियों का प्रावधान करता है। यह अधिनियम तदर्थ कैम्पा द्वारा रखे गए धन का 90% विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके हिस्से के रूप में हस्तांतरित करने और 10% राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास राष्ट्रीय निधि के रूप में कोश में प्रतिधारण का प्रावधान है।

3. यह अधिनियम भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खातों के तहत धन की स्थापना और डायवर्जन के कारण वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा धन या क्षतिपूर्ति शुल्क जमा करने का प्रावधान करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का इन प्रतिकरात्मक शुल्कों में प्रतिकरात्मक वनीकरण की लागत, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य और ऐसी एजेंसियों से वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए वसूल की गई अन्य सभी राशियां शामिल हैं।

4. सीएएफ अधिनियम सीएएमपीए निधि के प्रषासन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरों पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और निगरानी समूह शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कैम्पा प्राधिकारियों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों की कार्यकारी समिति, संचालन समिति और शासी निकाय हैं।

5. सीएएफ अधिनियम, अधिनियम के तहत उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीएएमपीए प्राधिकरण द्वारा संचालन की वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। सीएएफ अधिनियम की धारा 19 के तहत, राज्य कैंपा की कार्यकारी समिति राज्य कैंपा फंड से कार्यान्वित की जाने वाली वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और अन्य संबंधित गतिविधियों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का विवरण देते हुए संचालन की वार्षिक योजना तैयार करती है, जो जांच के बाद और राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति की मंजूरी को अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजा जाता है।

6. सीएएफ अधिनियम, 2016 लागू होने के बाद और 31 मार्च, 2023 तक 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 55,292.40 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

7. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980 के तहत दी गई मंजूरी के अनुपालन में, उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास 6,385.98 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। संचयी क्षतिपूर्ति शुल्क के रिकंसीलेशन के बाद, हस्तांतरणीय राशि यानी 90 प्रतिशत राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों का हिस्सा है। यह 31.03.2022 तक 10,898.63 करोड़ है।

8. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, शासी निकाय की दो बैठकें (दूसरी और तीसरी बैठकें), राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की छह बैठकें (17वीं से 22वीं बैठकें), परियोजना समीक्षा समिति की दो बैठकें और निगरानी की एक बैठक समूह (छठी बैठक) आयोजित की गई।

9. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने 2022–23 के दौरान 8,493.68 करोड़ रुपये परिव्यय के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्राधिकरणों के एपीओ को मंजूरी दे दी है। सीएएफ अधिनियम, 2016 और नियम, 2018 के अनुसार 8,493.68 करोड़, अनुमोदित राशि अनुमोदित कैम्पा गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के वन विभागों को 6,974.31 करोड़ रुपये जारी किए गए और विभिन्न अनुमोदित कैम्पा गतिविधियों के कार्यान्वयन में 6,048.48 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

10. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने प्रतिबद्ध प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए) को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

11. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10,67,520 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिकरात्मक वनीकरण वर्ष 1980 से 31.03.2023 तक 12,17,456 हेक्टेयर के संचयी लक्ष्य के विरुद्ध राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा (लक्ष्य का 87.68%) कार्य किया गया है।

12. वर्ष 2022–23 के दौरान 38,892.87 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिकरात्मक वनरोपण किया गया है।

13. राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, अपने अन्य कार्यों के अलावा, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणों के संचालन की वार्षिक योजना (एपीओ) को मंजूरी देती है और राष्ट्रीय निधि के तहत योजनाओं की मंजूरी के लिए शासी निकाय को सिफारिश करती है।

14. राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसरण में तैयार की गई है और इसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण की गतिविधियां शामिल है।

***

सीमेंट मोटार लघु बांध, घारबंदोरा, उत्तर गोवा, N-150 22'58.18"-07408' 53.85"

रिटेनिंग दीवार गुरखे–घारबंदोरा, उत्तर गोवा, N-150 22' 44.30" E-07407' 43.00"

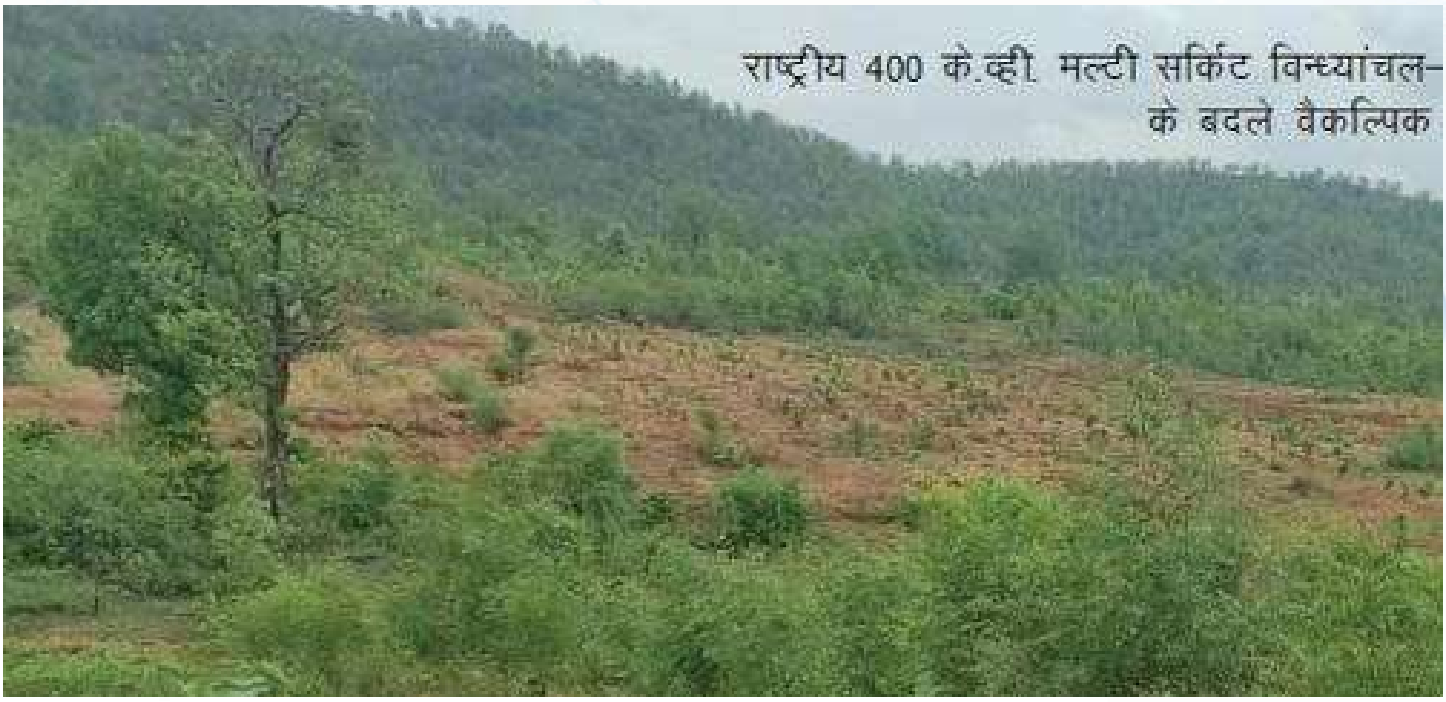
राष्ट्रीय 400 के.व्ही. मल्टी सर्किट विन्ध्यांचल-
के बदले वैकल्पिक

नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड दुद्धीचुआ ओपन कास्ट माईनिंग परियोजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण
कुर्सा पी.एफ. 777 रकवा 25 हेक्टेयर क्षेत्र तैयारी वर्ष 2022–23
Compensatory Afforestation
Plantation Work, Year 2023-24
PF-777, Area -25Ha., No. of Plants-25,000
Division-Singrauli, Madhya Pradesh

1 अवलोकन

1.1 प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं

i. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के डायवर्जन के बदले उपयोगकर्ता एजेंसियों से क्षतिपूर्ति शुल्क वसूला जाता है।

ii. प्रतिकरात्मक लेवी अर्थात प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, वन्यजीवों पर प्रभाव को कम करने के लिए एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत को प्राप्त किया जाता है, जो कि वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए लागू होता है।

iii. इन प्रतिकरात्मक शुल्कों को राष्ट्रीय और राज्य निधि में 10:90 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये फंड गैर–व्यपगत योग्य और सब्याज हैं। राष्ट्रीय निधि का रखरखाव भारत के सार्वजनिक खाते में किया जाता है, जबकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की निधि का रखरखाव संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक खाते में किया जाता है।

iv. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि कार्यों के प्रबंधन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय कैम्पा), राष्ट्रीय कैम्पा में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और एक निगरानी समूह शामिल हैं।

v. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैम्पा (प्राधिकरण) प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर कार्य करते हैं।

vi. प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और किसी अन्य स्थल–विशिष्ट गतिविधि/योजना के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दी गई मंजूरी के अनुसार अनुमोदित योजनाओं/योजनाओं के अनुसार किया जाता है।

vii. शुद्ध वर्तमान मूल्य निधि का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव आवास में सुधार, जंगल की आग पर नियंत्रण और रोकथाम आदि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

viii. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी और मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया और तंत्र प्रदान करते हैं।

ix. अपने अस्तित्व के पांच वर्षों में, राष्ट्रीय कैम्पा ने गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए परिवर्तित वन भूमि के अधि. दिष्ट प्रतिकरात्मक वनीकरण को पूरा करने का प्रयास किया है और राज्यों के समर्थन से मार्च, 2023 तक 10.50 लाख हेक्टेयर प्रतिकरात्मक वनीकरण हासिल करने में सक्षम रहा है।

x. राष्ट्रीय कैम्पा के प्रयास स्थानीय प्रजातियों के प्राकृतिक पुनर्जनन और वनीकरण, मिट्टी और जल संरक्षण,

वनों की सुरक्षा, आग की रोकथाम, आक्रामक प्रजातियों को हटाने और नियंत्रण के माध्यम से वन क्षरण के कारको को समग्र रूप से संबोधित करके नष्ट हुए वनों की पारिस्थितिक बहाली की ओर निर्देषित हैं।

1.2 राष्ट्रीय कैम्पा में प्राप्त धनराशि की प्राप्ति और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वितरण की प्रक्रिया

i. सड़क, रेलवे लाइन, बिजली लाइन, बांध, खनन आदि जैसी किसी भी विकास परियोजना को शुरू करने के लिए स्थल–विशिष्ट गैर–वानिकी गतिविधि के लिए वन भूमि का उपयोग करने की इच्छुक किसी भी एजेंसी को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। वन भूमि के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) के प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध वैकल्पिक भूमि के अभाव में प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा वन मंजूरी (एफसी) प्रदान की जाती है।

ii. उपयोगकर्ता एजेंसी को संबंधित राज्य वन विभाग के परामर्ष से प्रतिकरात्मक वनीकरण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने और ऐसी भूमि पर उठाए जाने वाले प्रतिकरात्मक वनीकरण, एनपीवी और अन्य लेवी की लागत जमा करने की आवश्यकता है। एनपीवी का मूल्य उपयोगकर्ता एजेंसी से वन भूमि की श्रेणी/प्रकार के आधार पर प्राप्त किया जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए डायवर्ट किया जा रहा है।

iii. ये धनराशि राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के सार्वजनिक खातों में 10:90 के अनुपात में जमा की जाती है जो सब्याज और गैर–व्यपगत योग्य होती है।

1.3 प्रतिकरात्मक लेवी का संग्रहण एक नज़र में: कैम्पा निधि निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत जमा की जाती है–

1.3.1 अनिवार्य गतिविधियाँ–

i. प्रतिकरात्मक वनरोपण

ii. दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण

iii. कोई अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण,

iv. जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना

v. एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना

vi. अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ

1.3.2 शुद्ध वर्तमान मूल्य

1.3.3 ब्याज घटक

1.3.4 अन्य

1.4 संचालन की वार्षिक योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया

सीएएफ नियम संचालन की वार्षिक योजना को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं

संचालन की वार्षिक योजनाय का अर्थ है, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भौतिक गतिविधियों और वित्तीय प्रावधानों के लिए वार्षिक योजना, जो मील के पत्थर, सफलता की स्थितियों का वर्णन करती है और बताती है कि कैसे, एक रणनीतिक वार्षिक योजना को संचालन में लाया जाएगा। दिए गए बजटीय अवधि में वित्तीय वर्ष के दौरान, और इसमें अन्य बातों के अलावा, संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान का आधार, निष्पादन के लिए पहचानी गई एजेंसी और एक वर्ष के दौरान राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि की समय–सारणी शामिल है

राज्यों के एपीओ को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) और सीएएफ नियम, 2018 में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एपीओ को मंजूरी देते समय राज्य एपीओ की प्रस्तावित सीएएमपीए गतिविधियों की जांच करती है। अधिनियम और नियमों के अनुसार उनकी अनुमति के संबंध में, व्यय की प्रवृत्ति, कैम्पा गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन की स्थिति, यह औचित्य कि गतिविधि को अन्य वानिकी योजनाओं/कार्यक्रमों से नहीं लिया जा सकता है, विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय आदि। प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना की अनिवार्य स्थल–विशिष्ट गतिविधियाँ, जो वन और वन्यजीव मंजूरी का हिस्सा हैं, प्राथमिकता पर अनुमोदित की जाती हैं। अन्य वन क्षेत्रों में सामान्य वन संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह जांच की जाती है कि राज्य वन विभाग की अन्य योजनाओं से कितनी गतिविधियाँ ली जा सकती हैं।

राज्य निधि के उपयोग के लिए, राज्य प्राधिकरणों द्वारा फॉर्म–XII में वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) तैयार की जाती है। एपीओ वन आवरण और अन्य संबंधित गतिविधियों में सुधार के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए भौतिक गतिविधियों और वित्तीय प्रावधानों की वार्षिक योजना है और इसमें संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान के लिए आधार, निष्पादन के लिए पहचानी गई एजेंसी और एक वर्ष के दौरान राज्य निधि से क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधि प्रत्येक की समय–सारणी भी शामिल है।

राज्य प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित एपीओ को **अगले वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को हर साल 31 दिसंबर से पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है।**

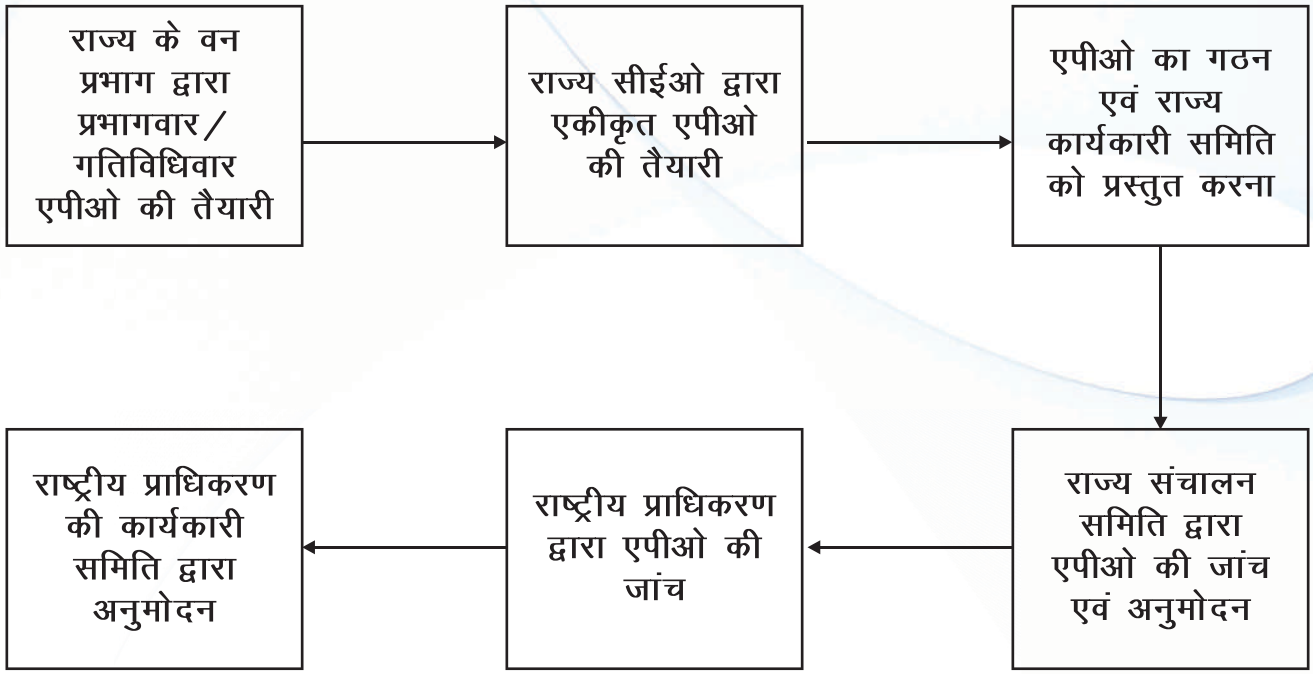

इस संबंध में सीएएफ अधिनियम, 2016 में प्रावधान इस प्रकार हैं:

i. **स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ**—वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भूमि प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए), दंडात्मक सीए अतिरिक्त सीए, सीएटी योजना और किसी भी अन्य स्थल–विशिष्ट योजना के लिए एकत्र किए गए सभी धन का उपयोग वन के डायवर्जन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत स्थल विशिष्ट योजनाओं के अनुसार किया जाना है।

ii. **वन्यजीव गतिविधियाँ**—राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णयों या संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के डायवर्जन के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्राप्त धन का उपयोग विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जाना है।

iii. **एनपीवी फंड से गतिविधियां**—एनपीवी और दंडात्मक एनपीवी के लिए एकत्र किए गए सभी धन का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, लकड़ी और अन्य वन उपज की आपूर्ति के लिए किया जाना है। उपकरणों और अन्य संबद्ध गतिविधियों को निर्धारित तरीके से होती है।

1.5 राज्य निधि पर अर्जित ब्याज से अनुमत गतिविधियाँ—राज्य प्राधिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय को राज्य निधि में अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है।

1.6 राष्ट्रीय निधि का उपयोग

i. राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए गैर–आवर्ती और आवर्ती व्यय, जिसमें इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते शामिल हैं।

ii. राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन पर किया गया व्यय।

iii. किसी भी संस्थान, सोसायटी, वन और वन्य जीवन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र, पायलट योजनाओं, कोड और दिशानिर्देशों के मानकीकरण और वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र के लिए ऐसी अन्य संबंधित गतिविधियों सहित राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं पर किया गया व्यय।

***

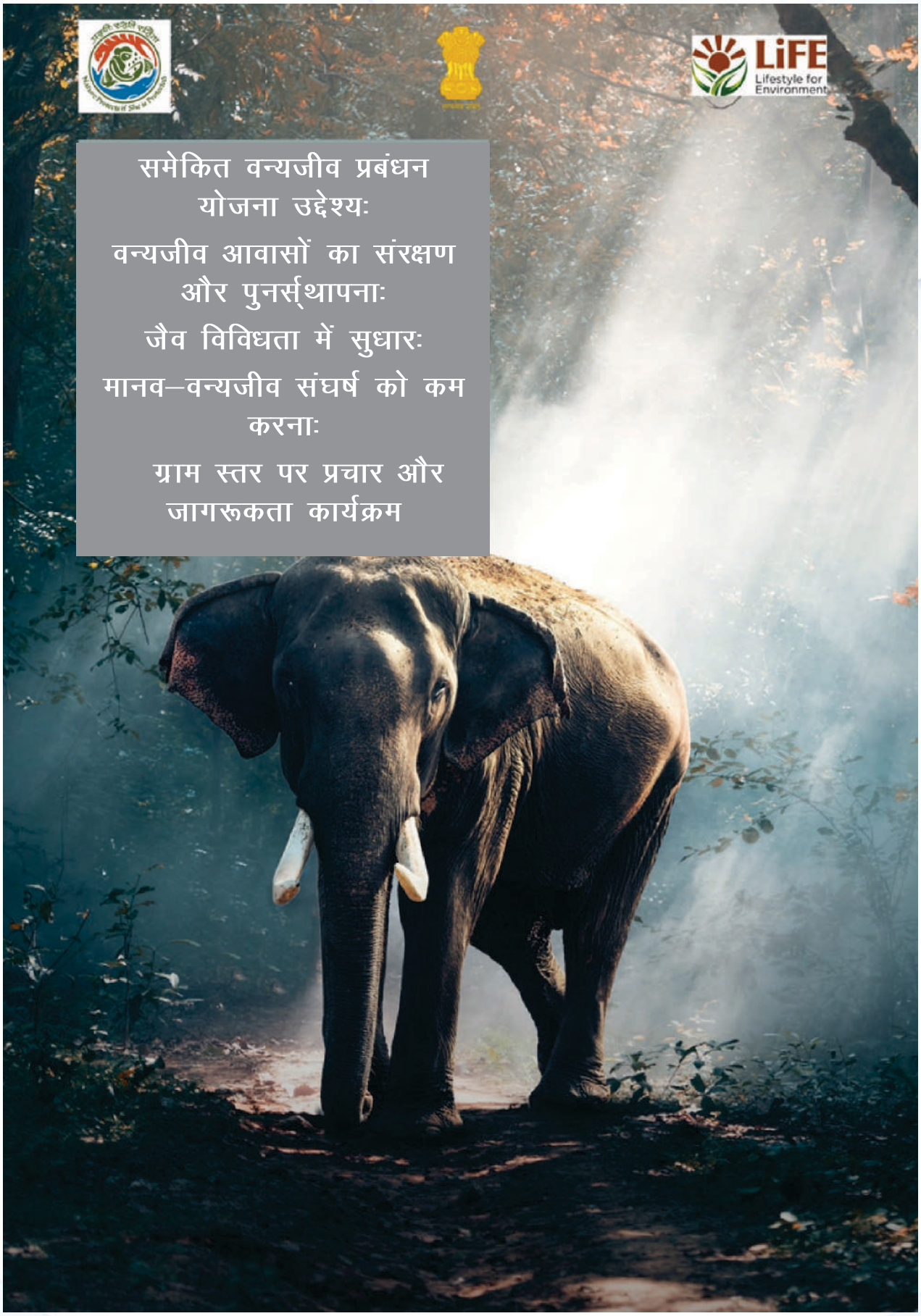

समेकित वन्यजीव प्रबंधन योजना उद्देश्यः

वन्यजीव आवासों का संरक्षण और पुनर्स्थापनाः

जैव विविधता में सुधारः

मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करनाः

ग्राम स्तर पर प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम

2 राष्ट्रीय एवं राज्य कैम्पा का गठन

2. राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा

2.1 राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय

राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय का गठन माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय कैम्पा के शासी निकाय की संरचना इस प्रकार है–

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	पद
i.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष, पदेन
ii.	पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, वित्त (व्यय), ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, कृषि, पंचायती राज, जनजातीय विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित मंत्रालयों के सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)	सदस्य, पदेन
iii.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	अपर महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	अपर महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
Vii	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
viii.	पांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दस क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक से अधिक नहीं, एक समय में दो साल की अवधि के लिए रोटेषन के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे। 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), तेलंगाना 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), ओडिशा 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), उत्तर प्रदेश 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), जम्मू और कश्मीर 5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), गुजरात	सदस्य, पदेन
ix.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	पद
x.	पर्यावरणविदों, संरक्षणवादियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों में से प्रत्येक में से पांच विशेषज्ञों को केंद्र सरकार द्वारा दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं हो। 1. प्रो. सी.आर बाबू– पर्यावरणविद् 2. श्री. के.एस सुगारा, आईएफएस (सेवानिवृत्त)– संरक्षणवादी 3. डॉ. तेजवीर सिंह राणा–वैज्ञानिक 4. प्रो. सतीष वाई. देवधर– अर्थशास्त्री 5. श्री. दीपक खांडेकर, आईएएस (सेवानिवृत्त)– सामाजिक वैज्ञानिक	सदस्य, पदेन
xi.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

2.1.1 शासी निकाय की शक्तियाँ और कार्य–

राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करता है और निम्नलिखित कार्य करता है:

- राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करना
- राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को मंजूरी देना
- कार्यकारी समिति और निगरानी समूह द्वारा लिए गए निर्णय पर रिपोर्ट की समीक्षा करना
- योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी देना
- राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी देना

2.2 राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति– राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति वन महानिदेशक और विशेष सचिव (DGF&SS) की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ कार्य करती है। राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार है–

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	पद
i.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
ii.	अपर महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iii.	अपर महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	पद
vii.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
viii.	एक पेशेवर पारिस्थितिकीविज्ञानी, जो केंद्र सरकार से नहीं है डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा– परिस्थितिविज्ञानशास्त्री	सदस्य
ix.	वानिकी, आदिवासी विकास, वन अर्थव्यवस्था विकास के तीन विशेषज्ञ, जो केंद्र सरकार से नहीं हैं i. श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, आईएफएस (सेवानिवृत्त)–वानिकी, ii. श्री गिरीश कुबेर– आदिवासी विकास iii. श्री अश्विनी कुमार– वन अर्थव्यवस्था विकास	सदस्य
x.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य– सचिव

2.2.1 कार्यकारी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य–

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणों की वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) की मंजूरी।
- सीएएफ अधिनियम, 2016 धारा 5 के खंड (बी) के उप–खंड (iii) के अनुसार प्रस्ताव तैयार करना और योजनाएं/पायलट परियोजनाएं निश्पादित करना;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- खाते की किताबें और ऐसे अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना।
- जानकारी के लिए अपने निर्णयों को शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना
- राष्ट्रीय प्राधिकरण पर एक सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना और इसके लेनदेन पर सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना।
- समय–समय पर शासी निकाय या केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

2.3 राष्ट्रीय प्राधिकरण का निगरानी समूह

निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली और सामा. जिक क्षेत्र के छह विशेषज्ञ और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार शामिल होंगे।

राष्ट्रीय प्राधिकरण के निगरानी समूह के गैर–आधिकारिक विशेषज्ञ सदस्य निम्नलिखित हैं–

1. डॉ. अंकुर पटवर्धन, पर्यावरणविद
2. डॉ. मधु वर्मा, पूर्व प्रोफेसर आईआईएफएम, अर्थशास्त्री
3. श्री वैभव चतुर्वेदी, वन्य जीव
4. प्रो. मधुलिका अग्रवाल, बीएचयू, वन
5. श्री सुभाष आशुतोष, आईएफएस (सेवानिवृत्त), रिमोट सेंसिंग और जीआईएस
6. श्री विनय जांगिड़ शर्मा, सामाजिक क्षेत्र

2.4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण

राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण ऐसे राज्य के राज्य निधि के प्रबंधन और अधिनियम के उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक शासी निकाय शामिल होगा जिसे एक संचालन समिति और एक कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

2.4.1 राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय– राज्य कैम्पा प्राधिकरणों का शासी निकाय राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सदस्यों के साथ गठित किया जाता है। किसी केंद्रशासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं होने की स्थिति में, उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो, शासी निकाय का अध्यक्ष हो सकता है।

तालिका–1: शासी निकाय, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान–(धारा–10(5)),

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	माननीय. मुख्यमंत्री, राज्य और यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं है, तो उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो	अध्यक्ष, पदेन
2.	माननीय. वन एवं पर्यावरण मंत्री, राज्य सरकार	सदस्य, पदेन
3.	राज्य सरकार के मुख्य सचिव	सदस्य, पदेन
4.	राज्य सरकार के पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन
5.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	सदस्य, पदेन
6.	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य, पदेन
7.	राज्य में वन विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन

2.4.2 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के शासी निकाय की शक्तियां और कार्य ख्धारा–17(1),

राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय –

i. राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समग्र ढांचे के भीतर ऐसे राज्य प्राधि. करण के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना

ii. राज्य प्राधिकरण के कामकाज की समय–समय पर समीक्षा करना

iii. छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करना

2.5. राज्य प्राधिकरण की राज्य स्तरीय संचालन समिति– राज्य कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ गठित की जाती है। राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार है:

तालिका–2– संचालन समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान –(धारा–11(2)),

क्र.सं	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	प्रमुख शासन सचिव	अध्यक्ष, पदेन
2.	वन, पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	सदस्य, पदेन
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एचओएफएफ), राज्य	सदस्य, पदेन
4.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक	सदस्य, पदेन
5.	नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	सदस्य, पदेन
6.	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य, पदेन
7.	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
8.	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.5.1 संचालन समिति की शक्तियाँ एवं कार्य (धारा–18(1)),

राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति–

1. संबंधित राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई संचालन की वार्षिक योजना की जांच और अनुमोदन करें और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को भेजना,
2. राज्य निधि से जारी धनराशि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करना
3. निवेष निर्णयों सहित कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर रिपोर्ट की समीक्षा करना
4. राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के अधीन मंजूरी देना
5. हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करना।

2.6 राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति

राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति अन्य सदस्यों के साथ राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख (एचओएफएफ) की अध्यक्षता में कार्य करती है। राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार है –

तालिका–3: कार्यकारी समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान

क्र.सं	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), राज्य	अध्यक्ष, पदेन
2.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज्य	सदस्य, पदेन

क्र.सं	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
3.	वन और वन्यजीव संबंधी योजनाओं को देखने वाला मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
4.	वानिकी अनुसंधान से संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
5.	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
6.	पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
7.	वित्तीय नियंत्रक या वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य, पदेन
8.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दो प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन	सदस्यों
9.	जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के दो प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे	सदस्यों
10.	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदाय का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.6.1 कार्यकारी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य धारा–19(1),

राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समितिः

i. संचालन की वार्षिक योजना तैयार करना और उसकी सहमति के लिए राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति को प्रस्तुत करना
ii. राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना
iii. खाते की किताबें और अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना
iv. राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना
v. राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना
vi. वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए जिम्मेदार है
vii. राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी

***

SOIL AND MOISTURE CONSERVATION WORKS

Healthy forests helps to combat land degradation and desertification, as well as building resilience to climate change. National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority takes up subjects of National and regional importance pertaining to conservation and development of forest, wildlife, biodiversity and enhancement of ecosystem services.

Protecting the soil from erosion and exhaustion to adopt sustainable management practices for management of minor forest produce that helps in overall economy of the State and management of forest resources efficiently

Construction of check dams, ponds, trenches and other water harvesting structures

Ensuring soil formation and regeneration, erosion control, climate regulation, water regulation, food & energy security and Disaster Risk Reduction

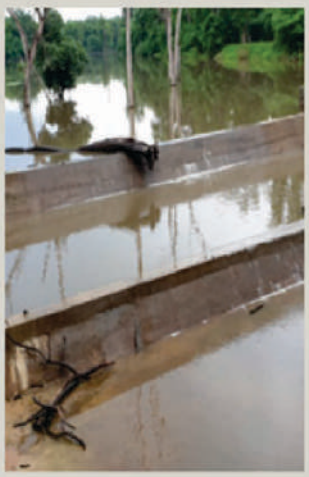

During the financial year 2022-23 National Authority CAMPA has approved an amount of Rs 819.46 crore to States/UTs for Soil Moisture Conservation (SMC) works.

3 निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

3.1. निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी और प्रदर्शन की समीक्षा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभाग द्वारा अपने वन अधिकारियों, निगरानी और मूल्यांकन विंग के माध्यम से स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसियों को शामिल करके की जा रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण वृक्षारोपण के स्थान, क्षेत्र और वर्ष की सटीकता के लिए ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर राज्य वन विभागों द्वारा अपलोड किए गए वृक्षारोपण के भू–स्थानिक डेटा (बहुभुज) का विश्लेषण करता है।

3.1.1 सीएएफ अधिनियम धारा 9 (3) में राष्ट्रीय प्राधिकरण के निगरानी समूह के गठन का प्रावधान है– निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक क्षेत्र के छह विशेषज्ञ सूचना प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार शामिल होंगे।

3.1.2 सीएएफ अधिनियम धारा 16(1) में प्रावधान है कि निगरानी समूह–

i. केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करके धन के प्रभावी और उचित उपयोग को सुनिष्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधि. करणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली विकसित करें।

   बशर्ते कि केंद्र सरकार रिमोट सेंसिंग एजेंसियों सहित व्यक्तिगत और संस्थागत विशेषज्ञों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन भी कर सकती है;

ii. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके निष्पादित कार्यों का निरीक्षण और वित्तीय लेखा परीक्षा करना;

iii. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपाय करें।

iv. निगरानी समूह की तीन माह में कम से कम एक बार बैठक होगी।

3.1.3. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कैम्पा गतिविधियों की निगरानी सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निम्नानुसार की जा रही है –

i. **आंतरिक निगरानी** – आंतरिक निगरानी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वन विभाग के वन अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है, उनके अलावा जिन्होंने कैम्पा गतिविधियों को अंजाम दिया है। प्रत्येक राज्य ने निगरानी

और मूल्यांकन विंग के प्रभारी के रूप में अधिकारियों को नामित किया है। कई राज्यों में निगरानी विंग के प्रभारी के रूप में पीसीसीएफ, एपीसीसीएफ/सीसीएफ हैं। छोटे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निगरानी डीसीएफ, एसीएफ द्वारा की जाती है। वरिष्ठ वन अधिकारियों को रेंज वन अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं और तकनीकी अधिकारियों के सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रभाग और रेंज स्तर द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखकर नियमित रूप से आंतरिक निगरानी की जा रही है।

ii. **तृतीय पक्ष निगरानी**–तृतीय पक्ष निगरानी उन तकनीकी संस्थानों/एजेंसियों द्वारा की जा रही कैम्पा गतिविधियों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जो स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वानिकी और वन्यजीव के क्षेत्र में प्रतिश्ठित गैर सरकारी संगठनों जिसका कि राज्यों के अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में नहीं हैं।

iii. **एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी**– क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी भी अपने समन्वय के तहत कैम्पा गतिविधियों की निगरानी करते हैं। चूंकि आईआरओ द्वारा वन विवर्तन प्रस्तावों को मंजूरी/जांच और मंत्रालय के लिए अनुशंसित किया जा रहा है, इसलिए वे सीएएमपीए गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन भी कर रहे हैं।

iv. **एफएसआई आधारित ई–ग्रीन वॉच**–ई–ग्रीन वॉच वृक्षारोपण की निगरानी के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग आधारित पोर्टल है। यह एफएसआई, देहरादून द्वारा किया जाता है जो वृक्षारोपण की केएमएल फाइलों के सत्यापन पर मासिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे जमीनी सत्यापन के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है।

v. **राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार द्वारा निगरानी**–राष्ट्रीय प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी समय–समय पर कैम्पा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं।

3.2. ई–ग्रीन वॉच पोर्टल

ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, जिसकी उत्पत्ति भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई, 2009 के आदेश से हुआ है और इसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एफएसआई और राज्य वन विभागों के परामर्श से एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है, एक एकीकृत प्रणाली है कैम्पा फंड का उपयोग करके राज्य वन विभागों द्वारा किए जा रहे सभी वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी की सुविधा के लिए है। ई–ग्रीन वॉच एक वेब–आधारित, उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है। यह कैम्पा के तहत बनाए गए वृक्षारोपण और संपत्तियों की निगरानी के लिए एक एकीकृत पोर्टल (http://www.egreenwatch.nic.in) है।

3.2.1. भारतीय वन सर्वेक्षण की ई–ग्रीनवॉच–

i. एसएफडी द्वारा अपलोड किए गए बहुभुजों की जांच करता है

ii. विभिन्न श्रेणियों में टिप्पणियाँ को पूर्ण, अपूर्ण और अस्पष्ट तथा समीक्षाधीन के रूप में प्रस्तुत करना

iii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मासिक रिपोर्टिंग

iv. एनआईसी के साथ एसएफडी का प्रशिक्षण

अब तक, 30 से अधिक राज्यों एसएफडी/केंद्र शासित प्रदेशों ने एफएसआई से अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई–ग्रीन वॉच पर प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में 34 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ई–ग्रीन वॉच पोर्टल से जुड़े हुए हैं। एप्लिकेशन कैम्पा गतिविधियों की निम्नलिखित पांच श्रेणियों की निगरानी करने में सक्षम है:

i. **(प्रतिकरात्मक वनरोपण भूमि (सीए स्थलों)** – गैर–वन गतिविधियों के लिए वन भूमि परिवर्तन के मुआवजे के रूप में प्राप्त भूमि।
ii. **डायवर्टेड भूमि** – वन भूमि को गैर–वन गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया गया।
iii. **वृक्षारोपण कार्य** – सीए स्थलों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया।
iv. **अन्य वृक्षारोपण कार्य** – गैर–सीए स्थलों पर किया गया वृक्षारोपण कार्य।

एफएसआई ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर एसएफडी/यूटी द्वारा अपलोड किए गए बहुभुजों का विश्लेषण और निगरानी कर रहा है और इसे केएमएल प्रारूप में डाउनलोड किया गया है।

***

VAN MITAN JAGRITI

CHHATTISGARH CAMPA

- Environmental Education and Awareness initiative
- Foster environmental consciousness among school children
- One-day training program conducted in 360 ranges across 44 divisions in Chhattisgarh State
- Formation of a Nature Volunteers Force
- A centralised state-level database is maintained

4 राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा लिये गये निर्णय

4.1 शासी निकाय की बैठकें–

4.1.1 शासी निकाय की दूसरी बैठक 20 सितंबर 2022 को माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई और विवरण इस प्रकार हैं–

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यसूची	कुल परिव्यय	फैसले
	माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, द्वारा योजनाओं की स्वीकृति		शासी निकाय ने उद्देश्यों और प्रस्तावित परिणामों के साथ प्रत्येक योजना पर विस्तार से चर्चा की। जीबी ने आगे निर्देश दिया कि योजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए संबंधित कार्यक्रम प्रभाग द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और एक त्रैमासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजी जानी चाहिए। इसके अलावा एएस एवं एफए को इन योजनाओं पर होने वाले व्यय की निगरानी करनी चाहिए। शासी निकाय ने सभी 15 योजनाओं के लिए एचएमईएफ एंड सीसी और जीबी के अध्यक्ष की मंजूरी की पुष्टि की।
1.	वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से दामोदर और सुवर्णरेखा नदी के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव (आईसीएफआरई)	1.17	
2.	भारत में नदी डॉल्फ़िन आबादी की विस्तृत गणना	10.15	
3.	एकीकृत वन्यजीव आवास विकास योजना के अंतर्गत शामिल लुप्तप्राय प्रजातियों का अखिल भारतीय मूल्यांकन और निगरानी।	19.05	
4.	वन्यजीव रोग निगरानी और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र–सीजेडए की स्थापना	3.00	
5.	परिवेश 2.0	95.59	
6.	प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वन क्षेत्र में एक पायलट वाटरशेड के लिए लिडार सर्वेक्षण के साथ डीपीआर तैयार करना	18.38	
7.	सुदृढ़ीकरण, निगरानी और वन संसाधन मूल्यांकन के लिए प्रत्येक राज्य में एक एफएसआई सेल की स्थापना	4.33	
8.	रिट याचिका (सिविल) संख्या 109/2008 वन्यजीव प्रथम और अन्य बनाम वन और पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अस्वीकृत दावों की अतिक्रमण स्थिति का उपग्रह सर्वेक्षण	48.00	
9.	वन अग्नि प्रबंधन पर सहयोगात्मक योजना	22.31	
10.	स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना द्वारा गोवा में संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन	0.65	
11.	बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) का कार्यान्वयन	9.93	
12.	भारत में बाघों, सह–शिकारियों, शिकार और उनके आवासों की जनसंख्या स्थिति का आकलन	9.93	
13.	देश में हाथियों की जनसंख्या की राष्ट्रव्यापी जनंबर णना	1.50	
14.	भारत में चीतों की मेटा आबादी स्थापित करना	9.93	
15.	वार्षिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और परिवेश–एनआईसीएसआई के हैंड होल्डिंग समर्थन के लिए परियोजना प्रस्ताव।		

4.1.2 शासी निकाय की तीसरी बैठक 15 फरवरी 2023 को माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और विवरण इस प्रकार हैं–

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यसूची	कुल परिव्यय	फैसले
	माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, द्वारा योजनाओं की स्वीकृति		
1	राष्ट्रीय प्राधिकरण के एमजी की सहायता के लिए एफएसआई में मॉनिटरिंग ग्रुप (एमजी) के मॉनिटरिंग सेल के निर्माण का प्रस्ताव	4.70	जीबी ने राष्ट्रीय प्राधिकरण के निगरानी समूह की सहायता और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एफएसआई में निगरानी सेल के निर्माण के लिए उपयुक्त प्रावधानों सहित मौजूदा योजना में आवश्यक संशोधन के लिए कार्यकारी समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी। एफएसआई को कैम्पा गतिविधियों की निगरानी के लिए तुरंत काम शुरू करना चाहिए
2	जंगल में लोगों की आजीविका में सुधार के लिए उपयोग के माध्यम से लैंटाना कैमरा की निगरानी और प्रबंधन	14.49	शासी निकाय ने प्रस्तावित योजनाओं को मंजूरी दे दी और इच्छा जताई कि परियोजना को प्रभावी नियंत्रण और आक्रामक लैंटाना खरपतवार को हटाने और वनों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त स्थल विशिष्ट मॉडल और रणनीतियों के साथ सामने आना चाहिए। रणनीतियों में प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ बाजार संचालित समाधानों पर भी विचार किया जाना चाहिए। कुल लागत रु. लैंटाना हटाने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले बजट से 14.49 करोड़ रुपये कम किए जाने चाहिए।
3	एफआरआई जाइलेरियम एवं स्थापना का नवीनी. करण एवं आधुनिकीकरण	1.25	शासी निकाय ने प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी और इच्छा जताई कि परियोजना में अत्याधुनिक सुविधा विकसित की जाए, वैज्ञानिक अध्ययन करने की क्षमता का निर्माण किया जाए और राज्यों के साथ सहयोग किया जाए।
4	राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्य की तैयारी और कार्यान्वयन	4.67	शासी निकाय ने रुपये की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी। 4.67 करोड़ और इच्छा व्यक्त की कि परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए और मंत्रालय द्वारा समय–सीमा की निगरानी की जानी चाहिए।

5	भारत में चीतों की मेटा–पॉपुलेशन स्थापित करना चरण–II	57.30	कार्यकारी समिति की अनुशंसा के अनुसार शासी निकाय ने प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी। योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप गतिविधियाँ एवं व्यय किये जायें
6	राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	1.63	जीबी ने प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी
7	वन्यजीव रोग प्रबंधन, निगरानी और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र–वन्यजीव की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विकसित करना, प्रोजेक्ट लायन का प्रात।	3.00	जीबी ने कार्यकारी समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी

4.2 कार्यकारी समिति की बैठकें

4.2.1. 17 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 1 जून, 2022 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और विवरण इस प्रकार हैं–

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	अंडमान और निकोबार का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।	15.73	ईसी (कार्यकारी) समिति ने 7 राज्यों के एपीओ को मंजूरी दी
2.	असम		144.27	
3.	गोवा		38.29	
4.	गुजरात		205.40	
5.	हिमाचल प्रदेश		215.95	
6.	महाराष्ट्र		757.08	
7.	तेलंगाना		689.33	

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल स्थगित	फैसले
	ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।	**स्थगित आइटम के एपीओ**	**स्थगित एपीओ**
1.	कर्नाटक		107.67	ईसी (कार्यकारी) समिति ने 7 राज्यों के एपीओ को मंजूरी दी
2.	छत्तीसगढ		320.05	
3.	पश्चिम बंगाल		2.60	
4.	त्रिपुरा		15.45	
5.	राजस्थान		37.37	
6.	ओडिशा		373.91	
7.	आंध्र प्रदेश		61.15	
8.	मेघालय		3.86	
9.	जम्मू एवं कश्मीर		163.91	

4.2.2 18 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 20 और 27 जुलाई, 2022 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और विवरण इस प्रकार हैं – **(करोड़ रुपये में)**

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	ए.पी.ओ उत्तराखंड	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	757.08	ईसी (कार्यकारी) समिति ने 11 राज्यों के एपीओ को मंजूरी दी
2.	हरियाणा		298.88	
3.	पंजाब		239.93	
4.	बिहार		54.23	
5.	सिक्किम		77.86	
6.	अरुणाचल प्रदेश		199.28	
7.	महाराष्ट्र		757.08	
8.	मध्य प्रदेश		996.32	
9.	झारखंड		794.77	
10.	तेलंगाना		689.33	
11.	उत्तर प्रदेश		275.51	

4.2.3 19 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 2 सितंबर, 2022 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और विवरण इस प्रकार हैं– **(करोड़ रुपये में)**

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	ए.पी.ओ उत्तराखंड	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	418.98	ईसी (कार्यकारी) समिति ने 5 राज्यों के एपीओ को मंजूरी दी
2.	पंजाब		239.93	
3.	बिहार		54.23 (2021–22 पर स्पिल) 59.07 (2022–23 का अनुपूरक एपीओ)	
4.	उत्तर प्रदेश		275.51	
5.	गोवा		4.475	

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
6.	नगर वन योजना के अंतर्गत 1000 नगर वन (300 नगर वन और 100 नगर वाटिका) के निर्माण का प्रस्ताव		640 (अतिरिक्त निधि)	सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 5 (बी) (iii) के प्रावधानों के तहत शासी निकाय की मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी

4.2.4 20 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 9 नवंबर, 2022 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोजित की गई थी और विवरण हैं नीचे के अनुसार– **(करोड़ रुपये में)**

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	अंडमान एवं निकोबार का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	15.73	ईसी (कार्यकारी) समिति ने 10 राज्यों के एपीओ को मंजूरी दी
2.	अरुणाचल प्रदेश		199.28	
3.	छत्तीसगढ का स्पिल ओवर एपी. ओ 2021–22 और अतिरिक्त एपीओ 2021–22		945.85 1144.34	
4.	जम्मू एवं कश्मीर स्पिल ओवर कार्य 2021–22		297.65 16.05	
5.	मिजोरम		16.75	
6.	ओडिशा		1241.34	
7.	पंजाब		239.93	
8.	सिक्किम		77.86	
9.	त्रिपुरा		63	
10.	उत्तराखंड		418.98	
11.	कृषि वानिकी लाभ वृक्ष उत्पादकों को बढ़ाने के लिए बहुभाशी मोबाइल एप्लिकेशन के विकास का प्रस्ताव	• वृक्ष उत्पादकों और उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय उपयोगिताओं और कार्यात्मकताओं के साथ एक बहुभाशी आईसीटी मंच को उन्नत करना। • वास्तविक समय पर समाधान प्रदान करना। • सूचना साझाकरण और बाजार विक्लेषण के माध्यम से कृषि आय को अधिकतम करने में सक्षम बनाने के लिए वानिकी अनुसंधान और विस्तार को एकीकृत करना।	0.35	ईसी (कार्यकारी समिति) ने राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की मंजूरी के लिए परियोजना/ प्रस्ताव की सिफारिश की। सीएएफ, अधिनियम 2016 की धारा 5 (बी) (iii) के प्रावधानों के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए 0.35 करोड़ रुपये की परियोजना की निगरानी, प्रगति और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मंत्रालय के वन नीति प्रभाग की होंगी

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
12.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र वन और जलवायु परिवर्तन सूचना विज्ञान प्रभाग के सहयोग से लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर द्व ारा राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) का उपयोग करने के लिए राज्यों की तैयारी और कार्यान्वयन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।		4.67	ईसी (कार्यकारी समिति) ने परियोजना के विवरण पर विचार–विमर्ष किया और सीएएफ, अधिनियम 2016 की धारा 5 (बी) (iii) के तहत तीन साल की अवधि के लिए 4.67 करोड़ की लागत के साथ राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की मंजूरी के लिए परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश की। परियोजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी मंत्रालय के वन नीति प्रभाग की जिम्मेदारी होगी
13.	मॉडल नर्सरी की स्थापना पर परियोजना प्रस्ताव	• क्यूपीएम उत्पादन की क्षमता बढ़ाना। • बीज संग्रहण, प्रमाणीकरण और भंडारण तथा खेतों की नर्सरियों को बीज उपलब्ध कराना। • वनीकरण के लिए बड़े पैमाने पर क्यूपीएम बढ़ाना।		ईसी (कार्यकारी समिति)ने प्रस्. ताव की सिफारिश की और इच्छा जताई कि राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को संचालन की वार्षिक योजना में प्रत्येक डिवीजन में कम से कम एक ऐसी नर्सरी का प्रस्ताव देना चाहिए। जिन राज्यों के पास पर्याप्त कैम्पा निधि नहीं है, वे राज्य निधि के साथ साझा आध. ार पर राष्ट्रीय निधि से ऐसी नर्सरी का प्रस्ताव कर सकते हैं। यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक मॉडल नर्सरी में कम से कम 10 लाख पौधे लगाने की क्षमता होनी चाहिए। नर्सरी में सभी आवश्यक घटक होने चाहिए। परिवहन, बाड़ लगाने, ग्रीनहा. उस/पॉली–हाउस/षेडनेट के आवश्यक बुनियादी ढांचे, बीज भंडारण और छँटाई सुविधा आदि के लिए बिस्तरों और रास्. तों के लिए उचित लेआउट। विशेष रूप से क्षमता निर्माण और व्यय की गैर–आवर्ती प्रकृ ति के लिए राष्ट्रीय निधि से वित्तीय सहायता पर विचार किया जा सकता है।

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
14.	परिवेश पोर्टल के प्रारंभिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और हैंडहोल्डिंग समर्थन के तहत एनआईसीएसआई के माध्यम से तकनीकी जनशक्ति को अनुबंध के आधार पर लगाया गया है।			ईसी (कार्यकारी समिति)ने निर्णय लिया कि सीईओ, राष्ट्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय प्राधिकरण के संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए एनआईसीएसआई/जीईएम से संपर्क कर सकते हैं।

4.2.5. कार्यकारी समिति की 21 वीं बैठक 2 फरवरी, 2023 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और विवरण इस प्रकार हैं–

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	ए.पी.ओ i. छत्तीसगढ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	544.39	ईसी (कार्यकारी समिति)ने 3 राज्यों के APO को मंजूरी दी
	ii. पंजाब		259.39	
	iii. जम्मू एवं कश्मीर		274.05	
2.	वन सीमांत गांवों में लोगों की आजी. विका में सुधार के लिए उपयोग के माध्यम से लैंटाना कैमारा की निगरानी और प्रबंधन पर परियोजना प्रस्ताव	• लैंटाना आक्रमण का मानचित्रण। • 5 राज्यों में लैंटाना के आक्रमण वाले क्षेत्रों को हटाना और पुनर्स्थापित करना, नष्ट किए गए स्थलों की निगरानी करना। • लैंटाना से मूल्य आधारित उत्पादों का प्रदर्शन और मूल्य श्रृंखला और व्यापार मॉडल का विश्लेषण।	14.49	प्रस्तावित परियोजना पर विस्तृत चर्चा के बाद कार्यकारी समिति ने इस शर्त के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि आईसीएफआरई को अपनी परियोजनाओं को संबंधित राज्यों के राज्य एपीओ के साथ संरेखित करना होगा और राज्य में खर्च की जाने वाली राशि को संबंधित राज्य एपीओ के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
3.	भारत में चीता की मेटा–जनसंख्या स्थापित करने पर परियोजना प्रस्ताव	• इसकी ऐतिहासिक सीमा में सुरक्षित आवासों में चीता आबादी का प्रजनन स्थापित करना और उन्हें मेटापॉपुलेषन के रूप में प्रबंधित करना। • खुले जंगल और सवाना प्रणालियों को बहाल करने के लिए संसाधनों को गार्नेट करने के लिए चीता को एक करिष्माई प्रमुख और छत्र प्रजाति के रूप में उपयोग करना जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा। • चीता संरक्षण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली गतिविधियों के माध्यम से कार्बन को अलग करने की भारत की क्षमता को बढ़ाना और इस तरह वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों में योगदान देना। • स्थानीय सामुदायिक आजीविका को बढ़ाने के लिए पर्यावरण–विकास और पारिस्थितिक पर्यटन के सुनिष्चित अवसर का उपयोग करना • सामुदायिक समर्थन जीतने के लिए मुआवजे, जागरूकता और प्रबंधन कार्यों के माध्यम से चीता संरक्षण क्षेत्रों के भीतर स्थानीय समुदायों के साथ चीता या अन्य वन्यजीवों के बीच संघर्श का प्रबंधन करना।	57.30	कार्यकारी समिति ने प्रस्तावित परियोजना पर विस्तृत चर्चा के बाद चीता परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि देने पर चर्चा की: 1. हवाई मार्ग द्वारा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत तक चीता का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन 2. पारिस्थितिक बहाली के लिए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य/ नौरादेही डब्ल्यूएलएस के हिस्से में बाड़ लगाना ताकि स्थल को चीता की रिहाई के लिए तैयार किया जा सके। 3. कार्यान्वयन और निगरानी जिसमें शामिल है
4.	एफआरआई ज़ाइलेरियम के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और भारत की अद्भुत लकड़ी जैव विविधता के प्रदर्शन केंद्र की स्थापना पर परियोजना प्रस्ताव	• जाइलेरियम–II का नवीनी. करण एवं मरम्मत कार्य • भारत की अद्भुत लकड़ी जैव विविधता का प्रदर्शन केंद्र। • ज़ाइलेरियम का आधुनिकी. करण और भारत की लकड़ी विविधता के प्रदर्शन केंद्र की स्थापना।	1.25	परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद कार्यकारी समिति ने सलाह दी कि परियोजना में बेहतर और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम) की खरीद और अत्याधुनिक जाइलेरियम विकसित करना शामिल होना चाहिए। इस परियोजना को कार्यक्रम प्रभाग की अनुशंसा पर 2.25 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया था।

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
5.	राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (एनटीपीएस) का उपयोग करने के लिए राज्यों की तैयारी पर परियोजना प्रस्ताव	प्रस्ताव में 3 वर्षों के लिए एनटीपीएस के रखरखाव और समर्थन के लिए तकनीकी जनशक्ति सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें दो टीमें शामिल हैं, एक एनआईसी नई दिल्ली में और दूसरी आईडब्ल्यूएसटी बैंगलोर में तैनात है ताकि अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय के लिए पैन इंडिया ट्रांजिट परमिट जारी करने, निगरानी करने और रिकॉर्ड रखने के लिए राज्यों में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) शुरू किया जा सके। बांस और अन्य लकड़ी उत्पादों का राज्य परिवहन	4.67	राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने इस प्रस्ताव को इस सिफारिश के साथ मंजूरी दे दी कि आईडब्ल्यूएसटी में तैनात कार्यक्रम समन्वयक आईडब्ल्यूएसटी का नियमित कर्मचारी होना चाहिए क्योंकि अंततः परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद संपूर्ण एनटीपीएस पोर्टल आईडब्ल्यूएसटी को सौंप दिया जाएगा। ईसी ने समन्वय भाग की देखभाल के लिए एक नियमित नियुक्त अधिकारी रखने का निर्देश दिया ताकि बाद में आईडब्ल्यूएसटी में पोर्टल रखरखाव जारी रखने में परेशानी हो।
6.	राष्ट्रीय वन पुस्तकालय और सूचना केंद्र के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन पर परियोजना प्रस्ताव	• पूर्ण पाठ और ग्रंथ सूची डेटाबेस की सदस्यता। • एनएफएलआईसी में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक की स्थापना। • पाठ्य एवं संदर्भ पुस्तकों की खरीद। • एनएफएलआईसी को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल रखरखाव कार्य (मोबिलिटी सेंसर के साथ एलईडी लाइट्स)	1.63	कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और एफआरआई को ऑनलाइन पाठकों के माध्यम से सदस्यता बढ़ाने और छात्रों और इच्छुक जनता को पुस्तकालय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए व्यापक प्रचार करने को कहा।

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
7.	नेशनल रेफरल सेंटर (एनआरसी) की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विकसित करने पर परियोजना प्रस्ताव – वन्यजीव रोग प्रबंधन, निगरानी और रोकथाम के लिए वन्यजीव परियोजना लायन का हिस्सा	• वन्यजीव रोगों की तैयारी, समझ और प्रबंधन में सुधार के लिए सरकार और हितधारकों के साथ काम करें। • एक केंद्रीकृत परीक्षण सुविधा स्थापित करना और उसका रखरखाव करना।	3.00	कार्यकारी समिति ने केवल प्रोजेक्ट लायन के हिस्से के रूप में डीपीआर तैयार करने के उद्देश्य से पहले से अनुमोदित परियोजना में संशोधन के लिए सहमति व्यक्त की। परियोजना का वित्तीय परिव्यय वही रु. 2022–23 की आवश्यकता के साथ 3.00 करोड़ रु. 1.82 करोड़. कार्यकारी समिति ने शासी निकाय के प्रस्ताव की अनुशंसा करने पर सहमति व्यक्त की।

4.3 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कैम्पा गतिविधियों की परियोजना समीक्षा समिति की बैठक

दूसरी परियोजना समीक्षा समिति की बैठक 29 नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022 और 12 जनवरी 2023 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन मंत्रालय और विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। समिति ने निम्नलिखित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और नोट कियाः

i. एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक विश्व विरासत प्रबंधन और प्रशिक्षण पर यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र (सी2सी)।

ii. गंगा नदी डॉल्फिन के लिए संरक्षण योजना का विकास

iii. भारत में डुगोंग और उनके आवासों की पुनर्प्राप्तिरू एक एकीकृत भागीदारी दृष्टिकोण

iv. मणिपुर के भौंह सींग वाले हिरण (संगाई) का संरक्षण

v. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन

vi. भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या की विस्तृत गणना

vii. टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) का कार्यान्वयन

viii. भारत में बाघ के सह–शिकारियों, शिकार और उनके आवास की जनसंख्या स्थिति का आकलन (2021–23)

ix. भारत में चीतों की मेटापॉप्यूलेशन स्थापित करना (2022–23)

x. नगर वन योजना

xi. स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई)

xii. स्थल–विशिष्ट गतिविधि योजना, क्षमता निर्माण, पवन ऊर्जा और प्रजाति कार्य योजना की स्थापना के लिए पक्षी संवेदनशीलता मानचित्र विकसित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्य एशियाई फ्लाईवे राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करना।

xiii. बॉन चौलेंज पर वन परिदृश्य, बहाली और रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरकारों की बढ़ी हुई क्षमता निर्माण

xiv. उत्तराखंड में वन आधारित आजीविका पर उत्कृष्टता केंद्र– एक पायलट अध्ययन यूकॉस्ट

xv. वन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एफजीआरएस): पायलट परियोजना

xvi. वन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एफजीआरएस): वन आनुवंशिक संसाधनों पर उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण (सीओएफजीआर) पर पायलट परियोजना

xvii. उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जंगल की आग के कारण प्रति हेक्टेयर के आधार पर वास्तविक रूप से आर्थिक नुकसान का अनुमान

xviii. भारत में रेड्ड+ के कार्यान्वयन के लिए तत्परता गतिविधियों का निष्पादन

xix. पारिस्थितिक स्थिरता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान को मजबूत करना

xx. वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों का कायाकल्प

xxi. निगरानी और वन संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक एफएसआई सेल की स्थापना करना

xxii. राज्य वन विभाग (एसएफडी) द्वारा वृक्षारोपण और परिसंपत्तियों के लिए बनाया गया निगरानी प्रोटोकॉल

xxiii. रिट याचिकाओं (सिविल) संख्या में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अस्वीकृत दावों की अतिक्रमण स्थिति का उपग्रह सर्वेक्षण। 109/2008 वन्यजीव प्रथम एवं अन्य बनाम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं अन्य

xxiv. वार्षिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और परिवेश के हैंडहोल्डिंग समर्थन के लिए परियोजना प्रस्ताव

4.4 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कैम्पा गतिविधियों की निगरानी समूह (एमजी) की बैठक

छठी परियोजना समीक्षा समिति की बैठक 27.10.2022 को महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की अध्यक्षता में आयोजित की गई और विवरण इस प्रकार हैं– **(करोड़ रुपये में)**

क्र.स.	कार्यसूची	कारवाई के बिंदु	फैसले
1.	कैम्पा निधि के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कैम्पा गतिविधियाँ कार्यान्वित की गईं	1. एफएसआई में एमजी का एक मॉनिटरिंग सेल बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उसे राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करना।	1.निगरानी समूह की सहायता के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण में एक निगरानी कक्ष स्थापित किया जाएगा।
2.	पिछली बैठकों पर की गई कार्रवाई सहित निगरानी समूह का संक्षिप्त विवरण।	2. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा मॉनिटरिंग सेल के प्रस्ताव को मंजूरी एवं धनराशि का वितरण।	2. एफएसआई में प्रस्तावित सेल के निर्माण के बाद ही एमजी निगरानी शुरू करेगा
3.	आईआईएफएम, भोपाल द्वारा कैम्पा गति. विधियों की निगरानी।	3. राष्ट्रीय/राज्य कैम्पा प्राधिकरणों की निधि का उपयोग करके किए गए सभी कार्यों की भव्य सूची और कार्यों का वर्गीकरण	3. राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरण के तहत धन का उपयोग करके एसएफडी और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की गई सभी गतिविधियों का एक पूरा डेटाबेस राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा एमजी को उपलब्ध कराया जाएगा। यह एमजी द्वारा निगरानी प्रोटोकॉल को डिजाइन करने का आधार बनेगा।
4.	आईसीएफआरई, देहरादून द्वारा कैम्पा गतिविधियों की निगरानी।	4. मॉनिटरिंग सेल के काम शुरू करने के बाद मॉनिटरिंग मापदंडों और डेटा संग्रह प्रारूपों को अंतिम रूप देने के लिए कैम्पा के राष्ट्रीय प्राधिकरण के वित्तीय सहयोग से एफएसआई द्वारा सभी मॉनिटरिंग एजेंसियों की एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यषाला का आयोजन।	4. एमजी आवश्यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रण दे सकता है। ऐसे आमंत्रितों की यात्रा सहायता निगरानी कक्ष के बजट से वहन की जाएगी।
5.	मॉनिटरिंग ग्रुप के अधिदेश एवं अन्य विषयों पर चर्चा	5. राष्ट्रीय कार्यषाला के बाद एमजी के सदस्यों द्वारा मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल तैयार करना।	5. एमजी ने पाया है कि आईआईएफएम को दिया गया जनादेश एमजी को दिए गए जनादेश के समान है। यदि ऐसा है, तो प्रयासों में दोहरापन होगा, एमजी का मानना है कि, आईआईएफएम को केवल तीसरे पक्ष की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
			6. देश भर में कैम्पा गतिविधियों की निगरानी के लिए आवश्यक सामान्य डेटा संग्रह प्रारूप और पैरामीटर बनाने के लिए, कैम्पा के राष्ट्रीय प्राधिकरण के वित्तीय सहयोग से एफएसआई द्वारा सभी निगरानी एजेंसियों की एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यषाला आयोजित की जाएगी।

***

Mining Restoration in GOA State CAMPA

NETRAVALI WILDLIFE SANCTUARY

- To ensure minimum soil moisture losses by mulching
- Regular replacement of dead, diseased and dying plants ensured that the area could be reclaimed within a short span of 5 years
- The effort was successful and was indicated by the record of utilization of the same site by a number of wildlife such as chital, sambar, porcupines, mongoose, gaurs, leopards and most recently dholes.

5 खाते और लेखापरीक्षा

2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के वार्षिक खाते जुलाई 2022 में सीएजी द्वारा एक साथ तैयार और ऑडिट किए गए थे। भारत के सीएजी द्वारा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण जारी किया गया था, जो मुख्य रूप से उचित रिकॉर्ड के गैर–प्रस्तुति/गैर–रखरखाव के कारण था। प्राधिकारी द्वारा कॉर्पस/पूंजीगत निधि–अनुसूची–। और जमा–अनुसूची–11 के प्रारंभिक/समापन शेष और खातों के गैर–रीकंसिलेशन से संबंधित है।

राष्ट्रीय कैम्पा कार्यालय ने सीएजी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए और 2022–23 के वार्षिक खातों के ऑडिट के दौरान सीएजी ऑडिट टीम के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड रखे। ऑडिट के बाद, सीएजी ने अपनी राय व्यक्त की कि वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण में, **जबकि इन मुद्दों को काफी हद तक हल कर लिया गया है**, इस एसएआर में समाधान और शुरुआती/समापन शेष की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी की गई है। समापन टिप्पणियों में, यह बताया गया कि **भवित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

BALANCE SHEET AS AT 31st March 2023

Amount (in Rupees)

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND	1	₹ 82,53,88,96,584.40	₹ 59,07,41,37,000.00
RESERVES AND SURPLUS	2	₹ -	₹ -
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	₹ -	₹ -
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	₹ -	₹ -
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	₹ -	₹ -
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	₹ -	₹ -
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	₹ 2,33,16,44,37,621.34	₹ 1,11,49,69,38,000.00
TOTAL		**₹ 3,15,70,33,34,205.74**	**₹ 1,70,57,10,75,000.00**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	₹ 11,51,180.40	₹ 9,64,000.00
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	₹ -	₹ -
INVESTMENTS - OTHERS	10	₹ -	₹ -
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	₹ 3,15,70,21,83,025.34	₹ 1,70,57,01,11,000.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)		₹ -	₹ -
TOTAL		**₹ 3,15,70,33,34,205.74**	**₹ 1,70,57,10,75,000.00**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अति. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

आर. रघु प्रसाद/R. RAGHU PRASAD
वन महानिरिक्षक
Inspector General of Forests
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
M/o Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

Amount (in Rupees)

INCOME	SCHEDULE	Current year	Previous year
Income from Sales/Services	12	₹ -	₹ -
Grants/Subsidies	13	₹ -	₹ -
Fees/Subscriptions	14	₹ -	₹ -
Income from Investments (Income on Invcsl. from earmarked/endow. Funds transferred 10 Funds)	15	₹ 5,98,30,95,343.00	₹ -
Income from Royalty. Publication etc.	16	₹ -	₹ -
Interest Earned	17	₹ 2,70,10,84,217.00	₹ 51,87,000.00
Other Incomce	18	₹ 55,79,60,012.00	₹ 3,16,32,22,000.00
Increasce(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	₹ -	₹ -
TOTAL(A)		**₹ 9,24,21,39,572.00**	**₹ 3,16,84,09,000.00**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	₹ 81,45,270.00	₹ 89,08,000.00
Other Administrative Expenses etc.	21	₹ 1,45,89,493.00	₹ 6,42,09,000.00
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	₹ 2,38,32,42,202.00	₹ 1,66,48,42,000.00
Interest	23	₹ 2,94,03,241.00	₹ -
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)		₹ 5,66,781.60	₹ 2,20,000.00
TOTAL(B)		**₹ 2,43,59,46,987.60**	**₹ 1,73,81,79,000.00**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		₹ 6,80,61,92,584.40	₹ 1,43,02,30,000.00
Transfer to Special Reserve (Specify each)Transfer to/ from General Reserve		₹ -	₹ -
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		**₹ 6,80,61,92,584.40**	**₹ 1,43,02,30,000.00**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

आर. रघु प्रसाद/R. RAGHU PRASAD
वन महानिरिक्षक
Inspector General of Forests
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
M/o Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
RECEIPT AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

(Amount in Rupees)

RECEIPT	Current Year	Amount	PAYMENTS	Current Year	Amount
I. Opening Balances			I. EXPENSES		₹ 2,25,34,763.00
a) Cash in Hand	₹ -		a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	₹ 81,45,270.00	
b) Bank balances			b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	₹ 1,43,89,493.00	
i) In Currert accounts	₹ -				
ii) In deposit accounts	₹ -				
iii) In savings accounts	₹ 1,70,57,01,61,675.11				
Adjustments	₹ 27,74,67,64,000.00		II. Payments Made Against Funds For Various Projects		₹ 2,38,32,42,202.00
Revised Opening balance		₹ 1,98,31,69,25,675.11	(Name of the Fund Should be Shown along with the particular of Payments made for each Projects)	₹ 2,38,32,42,202.00	
II. Grants Received		₹ -	III. Investments And Deposit Made		₹ -
a) From Goverment of India	₹ -		a) Out Of Earmarked/Endowment Funds	₹ -	
b) From State Goverments	₹ -		b) Out of Own Funds (Investment-Others)	₹ -	
c) From Others Sources (details)	₹ -				
(Grants for Capital & revenue Exp to be shown separately)	₹ -		IV. Expenditure On Fixed Assets & Capital Work-In-Progress		₹ 7,53,962.00
			a) Purchase Of Fixed Assets	₹ 7,53,962.00	
III. Income On Investments from		₹ 5,98,30,44,667.89	b) Expendituere On Capital Work-In-Progress	₹ -	
a) Earmarked Endow Funds	₹ 5,98,30,44,667.89				
b) Own Funds (Oth Investment)	₹ -		V. Refund of Surplus Money/Loans		₹ 2,94,03,241.00
			a) To the Government of India	₹ -	
IV. Interest Received		₹ 9,13,62,37,529.00	b) To the State Governments	₹ 2,94,03,241.00	
a) On Bank Deposit	₹ -		c) To other Provider of Funds	₹ -	
b) Loans, Advances etc.	₹ -				
c) Others	₹ 9,13,62,37,529.00		VI. Finance Charge (Interest)		
V. Other Income (Specify)		₹ 49,34,17,108.00			
a) NCAC/NA Fund	₹ 49,34,17,108.00		VII. Other Payments (Specify)		₹ 4,93,41,71,078.00
			a) Funds Sanctioned/Release to states	₹ 4,44,07,53,970.00	
VI. Amount Borrowed	₹ -	₹ -	b) NCAC/NA Fund	₹ 49,34,17,108.00	
			VIII. Closing Balance	₹ -	₹ 3,15,70,21,83,025.34
VII. Any Other Receipt (Give details)		₹ 1,09,14,26,63,291.34	a) Cash in Hand		
a) Amount deposited by States to National Authority	₹ 1,09,07,81,20,387.34		b) Bank balances	₹ -	
b) Any Other Receipt (interest earned on grants)	₹ 6,45,42,904.00		i) In Currert accounts	₹ -	
			ii) In deposit accounts	₹ -	
			iii) In savings accounts	₹ 3,15,70,21,83,025.34	
TOTAL		₹ 3,23,07,22,88,271.34	TOTAL		₹ 3,23,07,22,88,271.34

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

आर. रघु प्रसाद/R. RAGHU PRASAD
वन महानिरीक्षक
Inspector General of Forests
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
M/o Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 1-CORPUS/CAPITAL FUND:	Current year		Previous year	
Balance as at the beginning of the year		₹ 75,73,27,04,000.00		₹ 57,64,39,07,000.00
Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund	₹ -		₹ -	
Add/ (Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	₹ 6,80,61,92,584.40	₹ 6,80,61,92,584.40	₹ 1,43,02,30,000.00	₹ 1,43,02,30,000.00
BALANCE AS AT THE YEAR - END		**₹ 82,53,88,96,584.40**	₹ -	**₹ 59,07,41,37,000.00**

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS :	Current year		Previous year	
1.Capital Reserve :				
As per last Account	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
Addition during the year	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
Less : Deductions during the year	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
2.Revaluation Reserve :				
As per last Account	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
Addition during the year	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
Less : Deductions during the year	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
3.Special Reserves :				
As per last Account Addition during the year	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
Less : Deductions during the year	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
4.General Reserve :				
As per last Account	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
Addition during the year	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
Less : Deductions during the year	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
TOTAL	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -

28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FINANCIAI,STATEMENTS (NON -PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
I. Central Government		₹ -		₹ -
2. State Government (Specify)		₹ -		₹ -
3. Financial Institutions				
a) Term Loans	₹ -		₹ -	
b) Interest accrued and due	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
4. Banks:				
a) Term Loans	₹ -		₹ -	
-interest accured and due	₹ -		₹ -	
b) Other Loans (specify)	₹ -		₹ -	
-interest accured and due	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
5. Other Institutions and Agencies		₹ -		₹ -
6. Debentures and Bonds		₹ -		₹ -
7. Others (Specify)		₹ -		₹ -
TOTAL		₹ -		₹ -

NOTE : Amount due within one year

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority
28.06.2023

28/06/2023
(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FINANCIAI,STATEMENTS (NON -PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDUELE 3 -EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP				TOTALS	
	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
a) Opening balance of the funds	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
b) Additions to the Funds:	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
i. Donations/grants	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
ii. Income from Investments made on account of funds	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
iii. Other additions (specify nature)	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
TOTAL (a+b)	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
c)Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
i. Capital Expenditure	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
- Fixed Assets						
- Others Total						
ii. Revenue Expenditure						
- Salaries, Wages and allowances etc.						
- Rent						
- Other Administrative expenses						
TOTAL "C"	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
NET BALANCE AS AT THE YEAR -END (a+b+c)	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -

Notes

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to grants

2)Plan Funds received from the central/State Goverments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

Subhash 28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FINANCIAI,STATEMENTS (NON -PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances		₹ -		₹ -
2. Sundry Creditors:				
a) For Goods	₹ -		₹ -	
b) Others	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
3. Advances Received		₹ -		₹ -
4. Interest accrued but not due on:				
a) Secured Loans /borrowings	₹ -		₹ -	
b) Unsecured Loans/borrowings	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
5. Statutory Liabilities:				
a) Overdue	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
b) Others(Interest on State Deposits 8336)	₹ -	₹ 60,30,16,126.00	₹ -	₹ -
6. Other current Liabilities	₹ -	₹ 2,32,56,10,21,495.34	₹ -	₹ 1,11,49,67,38,000.00
TOTAL (A)	₹ -	**₹ 2,33,16,40,37,621.34**	₹ -	**₹ 1,11,49,67,38,000.00**
B. PROVISION				
1. For Taxation	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
2. Gratuituy	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
3. Supreannuation/ Pension	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
4. Accumulated Leave Encashment	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
5. Trade warranties /Claims	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
6. others (provision for Audit Fees)	₹ -	₹ 4,00,000.00	₹ -	₹ 2,00,000.00
TOTAL (B)	₹ -	**₹ 4,00,000.00**	₹ -	**₹ 2,00,000.00**
TOTAL (A+B)	₹ -	**₹ 2,33,16,44,37,621.34**	₹ -	**₹ 1,11,49,69,38,000.00**

28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FINANCIALSTATEMENTS (NON -PROFIT ORGANISATIONS) Name of Entity
Name of Entity - National Authority (CAMPA) SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 8- FIXED ASSETS										
	Gross Block				Depreciation				Net Block	
DESCRIPTION	Cost/Valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the Year	Total up to the year end	As at the Current Year end	As at the previous year end
A. FIXED ASSETS:										
1. LAND										
a) Freehold	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
b) Leasehold	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
2. BUILDINGS										
a) On Freehold Land	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
b) On Leasehold land	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
c) Ownership Flats/Premises	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
d) Superstructure on land not belonging to the entity	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
3. VEHICLE	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
4. PLANT MACHINERY &EQUIPMENT	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
5. FURNITURE FIXTURES.	₹ 62,000.00	₹ -	₹ -	₹ 62,000.00	₹ 6,200.00	₹ -	₹ -	₹ 6,200.00	₹ 55,800.00	₹ 62,000.00
6. OFFICE EQUIPMENT	₹ 2,45,000.00	₹ 66,947.00	₹ -	₹ 3,11,947.00	₹ 98,000.00	₹ 26778.8	₹ -	₹ 1,24,778.80	₹ 1,87,168.20	₹ 2,45,000.00
7. COMPUTER/ PERIPHERALS	₹ 6,57,000.00	₹ 1,52,815.00	₹ -	₹ 13,09,815.00	₹ 2,62,800.00	₹ 166162.8	₹ -	₹ 4,28,962.80	₹ 8,80,852.20	₹ 6,57,000.00
8. ELECTRIC INSTALLATIONS	₹ -	₹ 34,200.00	₹ -	₹ 34,200.00	₹ -	₹ 6,840.00	₹ -	₹ 6,840.00	₹ 27,360.00	₹ -
9. LIBRARY BOOKS	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
10. TUBEWELLS & W.SUPPLY	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
11. OTHER FIXED ASSETS	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
TOTAL OF CURRENT YEAR	₹ 9,64,000.00	₹ 2,53,962.00	₹ -	₹ 17,17,962.00	₹ 3,67,000.00	₹ 1,99,781.60	₹ -	₹ 5,66,781.60	₹ 11,51,180.40	₹ 9,64,000.00
PREVIOUS YEAR	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
TOTAL	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -

(Notes to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

28.06.2023

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FINANCIAL,STATEMENTS (NON -PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 9- INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
1.Goverments securities	₹ -	₹ -
2.others approved securities	₹ -	₹ -
3.shares	₹ -	₹ -
4. Debentures and Bonds	₹ -	₹ -
5.subsidiaries and Joint Ventures	₹ -	₹ -
6.Others (to be specified)	₹ -	₹ -
TOTAL	₹ -	₹ -

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 10- INVESTMENT -OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In government securities	₹ -	₹ -
2. Other approved Securities	₹ -	₹ -
3. Shares	₹ -	₹ -
4. Debentures and Bonds	₹ -	₹ -
5. Subsidiaries and Joint Ventures	₹ -	₹ -
6. Others (to be specified)	₹ -	₹ -
TOTAL	₹ -	₹ -

28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Author

FORM OF FIANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS , LOANS, ADVANCES ETC.	current year		previous year	
A.CURRENT ASSETS				
1. Inventories :				
a) Stores and Spares	₹ -		₹ -	
b)Loose Tools	₹ -		₹ -	
c) stock-in-trade	₹ -		₹ -	
Finished Goods	₹ -		₹ -	
Work-in -progress	₹ -		₹ -	
Raw Material	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
2. Sundry Debtors				
a) Debts Oustanding for a period exceeding six months	₹ -		₹ -	
b] others	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
3.Cash balance in hand (including cheque/drafts and imprest)	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
4. Bank Balance				
a) with Schedule Banks				
on Bharatkosh Accounts (State Deposits)	₹ 2,18,96,21,82,298.78		₹ -	
on Bharatkosh Accounts (National Fund)	₹ 76,55,46,50,061.00			
on Deposit Accounts (States)	₹ 14,20,22,55,322.56		₹ -	
on saving Accounts (National Fund]	₹ 5,98,30,95,343.00	₹ 3,15,70,21,83,025.34	1,70,57,01,12,000.00	1,70,57,01,12,000.00
b) With non-scheduled Banks				
on current Accounts	₹ -		₹ -	
on Deposit Accounts	₹ -		₹ -	
on saving Accounts	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
5. Post -office saving Accountsa	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
TOTAL (A)	₹ 3,15,70,21,83,025.34	₹ 3,15,70,21,83,025.34	₹ 1,70,57,01,12,000.00	₹ 1,70,57,01,12,000.00

28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FIANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS , LOANS, ADVANCES ETC.	current year		previous year	
B. LOANS, ADVANCES AND ASSETS				
1. Loans				
a) staff	-		-	
b)others Entities engaged in activities /objective similar to that of the Entity	-		-	
c)others (specify)	-	-	-	-
2.. Advances and others amount recoverable in cash or kind or for value to be reserved to be received				
a) on capital Accounts	-		-	
b)prepayments	-		-	
c) others	-	-	-	-
3. Income Accrued				
a) on Investments from Earmarked/Endowment Funds	-		-	
b) on investments- Others	-		-	
c) on loans and Advances	-		-	
d) Others (includes income due unrealised -Rs....)	-	-	-	-
4. Claims Receivable	-	-	-	-
TOTAL (B)	-	-	-	-
TOTAL (A+B)	₹ 3,15,70,21,83,025.34	₹ 3,15,70,21,83,025.34	₹ 1,70,57,01,12,000.00	₹ 1,70,57,01,12,000.00

(SUBHASH CHANDRA) 28.06.2023
CEO, National Authority

28/06/2023
(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON- PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
SCHEDULES FORMINGPART OF INCOME & EXPENDITURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES/ SERVICES	Current Year	Previous year
1) Income from sales		
a) sale of finished goods	₹ -	₹ -
b) sale of raw material	₹ -	₹ -
c) sale of scraps	₹ -	₹ -
2) Income from services		
a) Labour and Processing Charges	₹ -	₹ -
b) Professional/Consultany Services	₹ -	₹ -
c) Agency commision and Brokerage	₹ -	₹ -
d) maintenance services (Equioment/Property)	₹ -	₹ -
e)others (specify)	₹ -	₹ -
Total	₹ -	₹ -

(Amount in Rupees)

SCHEDULES 13- GRANTS/SUBSIDIES	Current Year	Previous year
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1. Central Goverments	₹ -	₹ -
2. State Government(s)	₹ -	₹ -
3. Government Agencies	₹ -	₹ -
4. Institutions/Welfare Bodies	₹ -	₹ -
5. International Organisations	₹ -	₹ -
6. Other (specify)	₹ -	₹ -
TOTAL	₹ -	₹ -

(Amount in Rupees)

SCHEDULE-14 FEES/SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous year
1) Entrance fees	₹ -	₹ -
2) Annual fees	₹ -	₹ -
3) Seminar/Program fees	₹ -	₹ -
4) Consultany fees	₹ -	₹ -
5) others (specify)	₹ -	₹ -
TOTAL	₹ -	₹ -

Notes- Accounting policies towards each item are to be disclosed

(Amount in Rupees)

	Investment from Earmarked Fund		Investment-Others	
SCHEDULE-15 INCOME FROM INVESTMENT	Current Year	Previous year	Current Year	Previous year
(Income on Invest. from Earmarked /Endowment funds transferred to be disclosed				
1) Interest				
a) On Govt. Securities	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
b) Others Bonds/Debentures	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
2) Dividends:				
a) On shares	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
b) On mutual funds	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
3) Rents	₹ -	₹ -	₹ -	₹ -
4) Others (closure of FD)	₹ -	₹ -	₹ 5,98,30,95,343.00	₹ -
TOTAL	₹ -	₹ -	₹ 5,98,30,95,343.00	₹ -
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	₹ -	₹ -		

28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORMS OF FINANCIAL STATEMENT (NON- PROFIT ORGANISATION)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
SCHEDULES FORMINGPART OF INCOME & EXPENDITURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULES 16- INCOME FROM ROYALITY , PUBLICATION ETC.	Current Year	Previous year
1) Income from royality	₹ -	₹ -
2) Income from publications	₹ -	₹ -
3) others (specify)	₹ -	₹ -
TOTAL	₹ -	₹ -

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED	Current Year	Previous year
1) on terms deposit		
a) with schedule bank	₹ -	₹ -
b) with non-schedule bank	₹ -	₹ -
c) with institution	₹ -	₹ -
d) others	₹ -	₹ -
2) on saving accounts		
a) with schedules bank	₹ 2,70,10,84,217.00	₹ 51,87,000.00
b) with non-schedule bank	₹ -	₹ -
c) post office saving bank acccounts	₹ -	₹ -
d) others	₹ -	₹ -
3) on loans		
a) employees/staff	₹ -	₹ -
b) others	₹ -	₹ -
4) interest on debtors and others receivables	₹ -	₹ -
Total	₹ 2,70,10,84,217.00	₹ 51,87,000.00

Notes -- **Tax deducted at source to be indicated**

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 18 -- OTHER INCOME	Current Year	Previous year
1) Profit on Sale/ Disposal of Assets		
a) Owned assets	₹ -	₹ -
b) Assets acquired out of grants , or receivabe free of cost	₹ -	₹ -
2)' Export incentives realized	₹ -	₹ -
3) Fees for Miscellaneous Services	₹ 49,34,17,108.00	₹ -
4) Miscellaneous income *	₹ 6,45,42,904.00	₹ -
TOTAL	₹ 55,79,60,012.00	₹ -

*Interest received on grants

Subhash 28.06.2023

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

28/06/2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON- PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
SCHEDULES FORMINGPART OF INCOME & EXPENDITURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 19-- INCREASED /DECREASED IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Current Year	Previous year
a) Closing stock		
- Fnished Goods	₹ -	₹ -
- work -in -progress	₹ -	₹ -
b) Less: Opening stock		
-Finished Goods	₹ -	₹ -
-work-in-progress	₹ -	₹ -
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	₹ -	₹ -

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous year
a) Salaries and wages	₹ 41,10,057.00	₹ 89,08,000.00
b) Allowance and Bonus	₹ -	₹ -
c) Contribution to provident funds	₹ -	₹ -
d) contribution to other fund (specify)	₹ -	₹ -
e) staff welfare Expenses	₹ 5,679.00	₹ -
f) Expenses on employees	₹ -	₹ -
g) others (Salary Contractual)	₹ 40,29,534.00	₹ -
TOTAL	₹ 81,45,270.00	₹ 89,08,000.00

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 21- OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year	Previous year
a) Purchase	₹ -	₹ -
b) Labour and Processing expenses	₹ -	₹ -
c) cartage and carriage inward	₹ -	₹ -
d) Elecricity and power	₹ -	₹ -
e) water charge	₹ -	₹ -
f) Insurance	₹ -	₹ -
g) Repairs and maintainces	₹ -	₹ -
h)Excise Duty	₹ -	₹ -
i) Rent,Rate and Taxes	₹ -	₹ -
j) Vehciles Running and maintenance	₹ -	₹ -
k) Postage, Telephonic and comminucation charges	₹ -	₹ -
l) Printing &stationary (Publication)	₹ 2,00,000.00	₹ 5,25,000.00
m) Travelling and convenyance expenses	₹ 12,01,078.00	₹ -
n) expenses on seminar / workshops	₹ -	₹ -
o) Subsscription Expenses	₹ -	₹ -
p) Expenses on Fees	₹ -	₹ -
q) Auditors Remuneration (Provision)	₹ 2,00,000.00	₹ 2,00,000.00
r) Hospitality Expenses	₹ -	₹ -
s) Professional Charges	₹ 74,85,208.00	₹ 5,37,79,000.00
t) provision for bad and doubtful Debts /Advances	₹ -	₹ -
u) Irrecoverable Balances written off	₹ -	₹ -
v) Packing Charges	₹ -	₹ -
w) Freight and Forwarding Expenses	₹ -	₹ -
x) Distribution Expenses	₹ -	₹ -
y) Advertisement and Publicity	₹ -	₹ -
z) others (Other Administrative Expenses)	₹ 5,78,580.00	₹ -
- others (Office Expenses) After deduction of Fixed Assets	₹ 49,24,627.00	₹ 97,05,000.00
TOTAL	₹ 1,45,89,493.00	₹ 6,42,09,000.00

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority
28.06.2023

28/06/2023
(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Authority

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON- PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
SCHEDULES FORMINGPART OF INCOME & EXPENDITURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 22- EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous year
a) Grants given to Institutions/ organisations	₹ 2,38,32,42,202.00	₹ 1,66,48,42,000.00
b) Subsidies given to institutions/ organisations	₹ -	₹ -
TOTAL	₹ 2,38,32,42,202.00	₹ 1,66,48,42,000.00

Notes: Name of Entities, their Activities along with the amount of Grants/ subsidies are to be disclosed

(Amount in Rupees)

SCHEDULE23 - INTEREST	Current Year	Previous year
a) On Fixed Loans	₹ -	₹ -
b) On other Loans (Including Bank Charges)	₹ -	₹ -
c) Others (refund to state from National Fund 10%)	₹ 2,94,03,241.00	₹ -
TOTAL	₹ 2,94,03,241.00	₹ -

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority
28.06.2023

(R. RAGHU PRASAD)
Joint CEO, National Aut

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110002

NO: DGA/ESD/EA/SAR/CAMPA/2022-23/194

दिनांक:
18 DEC 2023

सेवा में

Member Secretary,
Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA,
Indira Paryavaran Bhawan
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Jor Bagh,Delhi – 110003

विषय: **Separate Audit Report on the Accounts of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi for the year 2022-23**

महोदय

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेसोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज़ जो संसद में प्रस्तुत किया जाए, उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय एवं दो प्रतियां भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाएं। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्याल को सूचित की जाएं।

भवदीया

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उप निदेशक(पर्यावरण)

Separate Audit Report on the Audit of National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority for the year ended 31st March 2023

We have audited the attached Balance Sheet of **National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (National Authority)** as at 31 March 2023 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

(2) This separate audit report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

(3) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

(4) Based on our audit, we report that:

i. We were obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority, except for the issues mentioned below, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A disclaimer of opinion on the financial statements of Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA) was issued by the C&AG of India for the years 2018-19 to 2021-22, primarily due to non-production/non maintenance of proper records relating to opening/closing balances of 'Corpus/Capital Fund- Schedule 1 and Deposit-Schedule 11' by the Authority and non-reconciliation of accounts. In the financial statement for the year 2022-23, while these issues are largely resolved, the issues regarding reconciliation and the reliability of opening/closing balances that persist have been commented in this SAR.

(A) BALANCE SHEET

A. Balance Sheet

1. Liabilities

1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): Rs.2331644.38 lakh

1.1.1 Overstatement of current liabilities

Under Schedule 7-Current Liabilities an amount of Rs 6030.16 lakh has been shown under head "statutory liabilities-others (interest on State Deposits 8336). However, this includes interest amounting to Rs 3139.42 lakh for the period 2018-19 to 2021-22. This had resulted in overstatement of current liabilities and understatement of prior period income both by Rs 3139.42 lakh.

1.1.2 Corpus/Capital Account

National Authority CAMPA had depicted an opening balance amounting to Rs 116.57 crore in the annual accounts for the year 2018-19, the amount having been transferred from the ad-hoc CAMPA. Due to non-availability of basic records, audit was unable to verify the same. However, audit has relied on the audited financial statements Adhoc CAMPA for the year 2017-18 as certified by the statutory auditor i.e. M/s AVA & Associates Chartered Accounts.

B. Income and Expenditure Account

1. Income Rs.92421.40 lakh

1.1 Income from Investment (Schedule-15) Rs. 59830.95 lakh

1.1.1 Overstatement of Income

Income of Rs. 59830.95 lakh shown as income towards 'Income from Investment' received on closure of FD included an amount of Rs. 57087.70 lakh kept under flexi-deposits in the bank account at the beginning of the financial year. This had resulted in overstatement of income besides understatement of prior period income by Rs. 57087.70 lakh.

2. Expenditure Rs. 24359.47 lakh

2.1 Establishment Expenses (Schedule-20): Rs. 81.45 lakh

2.1.1 Overstatement of Expenditure

(i) National Authority had made payment of Rs.6.43 lakh pertaining to March 2022 (financial year 2021-22) to its contractual staff in April 2022 (financial year 2022-23). Similarly, an expenditure of Rs.1.64 lakh towards "Other Administrative Expenses" (hiring of vehicles) pertaining to the prior period has been booked in the financial year 2022-23. This had resulted in overstatement of Expenditure besides understatement of Prior-period Expenses both by Rs. 8.07 lakh (6.43 lakh + Rs 1.64 lakh).

2.1.2 Understatement of Expenditure

(i) National Authority had made payments of Rs.10.25 lakh during the financial year 2023-24 towards payment to contractual staff & consultants etc. for previous years. However, no provisioning for expenses payable during 2022-23 has been made in account. This had resulted in understatement of expenditure and current liabilities during 2022-23 both by Rs 10.25 lakh.

C. General

1. Improper accounting of State Deposits as liabilities of National Authority

The Compensatory Afforestation Fund Act 2016 provided for establishment of funds (viz. National CAMPA Fund and respective State CAMPA Funds) under the Public Account of India and Public Account of each State crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act 1980.

As per the accounting procedure prescribed under para 3 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, all the monies collected by State Governments and Union Territory Administrations placed under the ad-hoc Authority and deposited in the nationalized bank needs to be transferred to the interest-bearing section of the Public Account of India under 'National Compensatory Afforestation Deposits' for each State and Union territory. Each State or Union Territory should be a separate sub-head divided into detailed head for various activities viz. Compensatory Afforestation, Additional Compensatory Afforestation, Penal Compensatory Afforestation, Net Present Value and Protected Areas etc. While remitting the money to the GOI, the ad-hoc Authority should provide detailed state-wise break-up and make one-time transfer of 10 percent share of Central Govt. to the National Fund. Consequent upon issue of notification for establishment of the respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Govts., in terms of Section 4(1) of the CAMPA Act, the state share (90 percent of the monies lying with ad-hoc authority) to the 'National Compensatory Afforestation Deposits' would have to be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.

However, the annual accounts of the National Authority for the year 2022-23 revealed that no disclosure of State-wise balances was made in the accounts in respect of the 'National Compensatory Afforestation Deposits' indicating activity-wise details of the money held against each such state. Moreover, the amount transferred in the Public Account of India for various States/Union Territory from the ad-hoc authority still held under 'National Compensatory Afforestation Deposits' was yet to be disbursed completely to the respective States and Union Territories.

Hence, the state-wise/activity-wise bifurcation of the liabilities of Rs. 23,316.40 crore shown towards 'State Deposits & Interest thereon' under Schedule–7 "Current Liabilities" was not disclosed in the accounts besides continuous addition therein in violation of the approved/ notified accounting procedure.

2. Improper flow of CAMPA Funds to Union Public Account instead of respective State Funds

As per the accounting procedure rules, the monies received by the State Governments from user agencies needs to be credited in 'State Compensatory Afforestation Deposits', out of which 90 percent was to be transferred to the SCAF and 10 percent in the National Fund. However, the User Agencies were found violating the above procedure by depositing these receipts in the bank accounts, for respective states, controlled by the National Authority for onward transfer to the Public Account of GOI for further distribution instead of directly remitting these funds to the 'State Compensatory Afforestation Deposits'.

In reply, the Authority stated (October 2023) that the existing practice of collecting the compensatory levies by the National CAMPA through PARIVESH portal continued in view of larger public interest.

3. Non-reconciliation of the balances of National/State Deposits with Public Account

As per the accounting procedure prescribed under para 7 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, the Pay and Accounts Office, MoEF&CC has to maintain a broadsheet of receipts and payments from the National Fund and effect reconciliation on monthly basis with the National Authority. However, no reconciliation from the broadsheets of receipt and payments of PAO was made to ascertain the reasons for differences in the balance shown in the Annual Accounts (National Authority) and Public Account as per Finance Accounts related to MoEF&CC during the period from 2018-19 to 2022-23 leading to variation of Rs. 864.56 crore (i.e. excess amount shown by National Authority for 'National Fund & State Deposits' not reflected in the Public Account) in the year 2022-23. Hence, immediate reconciliation of balances needs to be carried out with reference to the broadsheets of Receipts and Payments against each State, as maintained by the P&AO-MoEF&CC, to ascertain the correctness of balances depicted in National Fund as well as State Deposits (Schedule 11).(As per Annexure Attached)

4(a). Improper disclosure on non-establishment of State/UT Compensatory Afforestation Funds and amount held thereagainst with National Authority

Consequent upon issue of notification for establishment of the respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Govts., in terms of Section 4(1) of the CAMPA Act, the state share (90 percent of the monies lying with ad-hoc authority) to the 'National Compensatory Afforestation Deposits' would have to be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.(PG 21,23) Though the State/UT Authorities were notified for 33 States/UTs from October 2018 to September 2020, no disclosure related to the status of funds held against remaining 3-4 UTs/States[1] yet to be established/notified was made in the accounts. Further, the information related to Funds held in Public Account against deposits related to each State/UTs was not found disclosed.

[1]**UTs:** Information related to Dadar & Nagar Haveli and Daman Diu was yet to be compiled, Lakshadweep & Puducherry; **State:** Nagaland, not notified.

4(b). Subsequent to the initial transfer of funds lying in the ad-hoc CAMPA (along with State wise break-up), National Authority CAMPA has been receiving deposits from the user agencies and making disbursements to States CAMPA. The position of reconciliation of balances between States/UTs and National Authority, CAMPA was test checked and the current position of reconciliation is as follows.

Sl. No.	Total No of states/UTs	No of states/UTs	Status
1	36	13	Reconciliation upto 31.3.2022
2	36*	20	Reconciliation upto 31.3.2023

* No fund in r/o 3 States/UTs

Out of total funds deposited with National Authority amounting to Rs 16850.82 crore, an amount of Rs 15893.14 crore has been reconciled and the remaining amount of Rs 957.68 crore stands unreconciled.

5. The 'Establishment Expenses" of Rs. 81.45 lakh under Schedule–20 related to Income & Expenditure Account included "Administrative Expenses" of Rs. 40.30 lakh incurred on account of payments made towards contractual personnel which resulted in misclassification of the administrative expenses as establishment expenditure.

6. National Authority had refunded an amount of Rs 2.94 crore received on A/c of 10% share from Odisha. The same has been depicted under schedule 23-Interest-others-refund to State from National Fund 10%), since it is not part of interest, it has to be depicted in schedule 22– Expenditure on Grants, Subsidies etc.

7. National Authority had received an amount of Rs 270.11 crore as interest on deposits of funds in public accounts, however the same has been shown under Schedule–17–Interest Earned against "saving accounts with scheduled bank" instead of "GOI-Public Accounts".

8. In its accounts National Authority had shown receipt during the year as Rs 32590.44 lakh whereas as PAO had shown the same as Rs 32738.93 lakh. This had resulted in difference of Rs 148.49 lakh. The same may be reconciled under intimation to audit.

9. National Authority in its accounts under schedule 11 - Bank Balance – on deposit accounts (States) as Rs 1420.23 crore and on Bharatkosh Accounts (State Deposits) Rs 21896.22 crore whereas bank balance on deposit accounts (States) as on 31.03.23 was Rs 1879.07 crore. This had resulted in misclassification of Rs 458.84 crore in both the above stated heads.

D. GRANTS-IN-AID

National Authority did not receive any Grant-in-aid during 2022-23.

According to Section 5 of Compensatory Afforestation Fund Act, 2016, all non-recurring and recurring expenditure for the management of the National Authority, monitoring and evaluation of works executed by the National Authority and each State Authority and funds released on specific schemes approved by governing body of the National Authority should be incurred from the National Fund.

According to Paragraph 2(7) read with Paragraph 4 and 5 of Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018, all expenditures of the National Authority shall be provided for under the Detailed Demand for Grants of MoEFCC under the head '2406.04.102.01-National Authority'. The amount spent by the National Authority shall be adjusted by PAO, MoEFCC as Deduct Recoveries from the National Fund under the Public Account of India.

During 2022-23, National Authority was provided a budget of Rs.250.00 crore under the head of account '2406.04.102.01' out of which it incurred an expenditure of Rs.243.59 crore.

(E) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the CEO, National Authority through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Accounts and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated as well as other matters mentioned in *Annexure* to this Audit Report, except for the issues stated in the preceding paragraphs, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National CAMPA, as at 31st March 2023 and
b. In as far as it related to Income & Expenditure Accounts, of the ***surplus*** for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi
Date: 18/12/23

Director General of Audit (E&SD)

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

The National Authority is audited by the Internal Audit Wing of MoEFCC. Internal Audit of National Authority has been conducted up to March 2021. Thus, the internal audit of the National Authority was not conducted for the period 2021-23.

2. Adequacy of Internal Control System

2.1 PBR has not maintained by the National Authority.

2.2 Non-marking of identification marks on fixed items: For proper accounting, inventorization, physical verification, location, write off/auction etc., identification marks on each fixed item is a necessary requirement. However, it has been observed that identification marks are missing. The same may be written on every fixed item.

2.3 The National Authority has procured various items such as conference bags and other stationary items etc. but entries of the same were not been made in the consumable stock register.

3. System of physical verification of fixed assets

The Authority has conducted the Physical Verification of fixed assets for the period 2022-23 only. However, the pending Physical Verification of fixed assets since inception to 31st March 2022 has not been done by the Authority.

4. System of physical verification of inventory

The Authority has conducted the Physical Verification of consumables for the period 2022-23 only. However, the pending Physical Verification of inventories since inception to 31st March 2022 has not been done by the Authority.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per the Annual Accounts and information furnished by the National Authority, no statutory dues were outstanding over six months as on 31.03.2023.

Deputy Director
(Environment Audit)

नर्सरी उत्तरी गोवा

नर्सरी उत्तरी गोवा

6

राष्ट्रीय कैम्पा निधि के अंतर्गत योजनाएँ/परियोजनाएँ

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा निधि से वित्तपोषित योजनाएँ/परियोजनाएँ निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं –

तालिका–1: पूर्ण योजनाएँ **(करोड़ रुपये में, अवधि वर्षों में)**

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	आरंभ वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना की लागत	फंड जारी किया गया	मंत्रालय का कार्यक्रम प्रभाग	क्रियान्वयन एजेंसी
पूरी की गई योजनाएं							
1	उत्तराखंड में वन आधारित आजीविका पर उत्कृष्टता केंद्र–एक पायलट अध्ययन यूकॉस्ट।	2015–16	5	2.784	2.2488	अनुसंधान और प्रशिक्षण	यूकोस्ट
2	वन आनुवंशिक संसाधनों (एफजीआर) के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमः वन आनुवंशिक संसाधनों पर उत्कृष्टता केंद्र (सीओएफजीआर) का निर्माण पर पायलट परियोजना	2015–16	6	8.61	8.60	अनुसंधान और प्रशिक्षण	वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई)
3	प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वन क्षेत्र में एक पायलट वाटरशेड के लिए लीडार सर्वेक्षण के साथ डीपीआर तैयार करना	2020–2021	0.9	18.38	22.98	राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (वैपकोस)
4	भारत में रेड्+ के कार्यान्वयन के लिए तत्परता गतिविधियों का निष्पादन	2020–21	1.8	1.20	0.72	सर्वेक्षण और उपयोग	आईसीएफआरई
5	भारत में नदी डॉल्फ़िन आबादी की विस्तृत गणना	2021–22	1	10.15	10.15	अनुसंधान और प्रशिक्षण	भारतीय वन्यजीव संस्थन
6	बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) का कार्यान्वयन	2022–23	1	1.521	1.521	एनटीसीए	एनटीसीए

तालिका–2: चल रही योजनाएँ

चल रही योजनाएँ							
भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद (ICFRE)							
1	पारिस्थितिक स्थिरता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान को मजबूत करना।	2019–20	6	313.67	131.357	अनुसंधान और प्रशिक्षण	आईसीएफआरई
2	उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जंगल की आग के कारण प्रति हेक्टेयर के आधार पर वास्तविक आर्थिक नुकसान का अनुमान।	2020–21	2	3.79	3.4	अनुसंधान और प्रशिक्षण	आईसीएफआरई
3	वानिकी आविष्कारों के माध्यम से दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव।	2021–2022	2	1.17	0.88	अनुसंधान और प्रशिक्षण	आईसीएफआरई
4	भारत के वन सीमांत गांवों में लोगों की आजीविका में सुधार के लिए उपयोग के माध्यम से लैंटाना कैमारा की मैपिंग निगरानी और प्रबंधन	2023–24	5	14.49	14.49	अनुसंधान और प्रशिक्षण	आईसीएफआरई
वन अनुसंधान संस्थान							
1	वन अग्नि प्रबंधन पर राष्ट्रीय सहयोगात्मक योजना	2022–23	4	22.31	3.81	अनुसंधान और प्रशिक्षण	वन अनुसंधान संस्थान
2	वन अनुसंधान संस्थान के जाइलेरियम का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	2023–24	2	1.25	1.25	अनुसंधान और प्रशिक्षण	वन अनुसंधान संस्थान
3	शिक्षा और वानिकी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय वन पुस्तकालय और सूचना केंद्र–एफआरआई का सुदृढ़ीकरण	2023–24	1	1.63	1.63	अनुसंधान और प्रशिक्षण	वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वन्यजीव संस्थान							
1	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (ईएसआरपी)– गंगा नदी डॉल्फिन के लिए संरक्षण योजना का विकास	2015–16	5	23.00	18.20	भारतीय वन्यजीव	डब्ल्यूआईआई
2	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड–ईएसआरपी का आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन	2015–16	5	33.85	31.16	भारतीय वन्यजीव	डब्ल्यूआईआई
3	मणिपुर के ब्रो एंटलर्ड हिरण (संगाई) का संरक्षण–ईएसआरपी	2015–16	5	19.95	10.31	भारतीय वन्यजीव	डब्ल्यूआईआई
4	भारत में डुगोंगों और उनके आवासों की पुनर्प्राप्ति–ईएसआरपी	2015–16	5	23.58	13.50	भारतीय वन्यजीव	डब्ल्यूआईआई

5	एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक विश्व विरासत प्रबंधन और प्रशिक्षण पर यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र (सी2सी)।	2018–19	3	18.66	15.01	भारतीय वन्यजीव	डब्ल्यूआईआई
6	राष्ट्रीय वन्यजीव फोरेंसिक केंद्र (एनसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना	2022–23	4	82.83	–	भारतीय वन्यजीव	डब्ल्यूआईआई
7	भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय की श्वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकासश (IDWH) योजना के अंतर्गत शामिल लुप्तप्राय प्रजातियों का अखिल भारतीय मूल्यांकन और निगरानी	2021–2022	2	19.05	11.43	भारतीय वन्यजीव	आईसीएफआरई
भारतीय वन सर्वेक्षण							
1	राज्य वन विभागों (एसएफडी) द्वारा वृक्षारोपण और परिसंपत्तियों के लिए बनाया गया निगरानी प्रोटोकॉल	2019–20	6	13.14	1.30	र	एफएसआई
2	सुदृढ़ीकरण, निगरानी और वन संसाधन मूल्यांकन के लिए प्रत्येक राज्य में एक एफएसआई सेल की स्थापना	2021–2022	1	4.33	2.56	र	एफएसआई
3	रिट याचिका (सिविल) संख्या 109/2008 वन्यजीव प्रथम और अन्य बनाम वन और पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अस्वीकृत दावों की अतिक्रमण स्थिति का उपग्रह सर्वेक्षण	2021–2022	6	48.00	5.66	एफपीडी	एफएसआई
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण							
1	भारत में बाघों, सह–शिकारियों, शिकार और उनके आवासों की जनसंख्या स्थिति का आकलन	2022–23	1	21.60	10.80	एनटीसीए	एनटीसीए
2	भारत में चीतों की मेटा आबादी स्थापित करना	2022–23	1	29.47	29.47	एनटीसीए	एनटीसीए
राज्य वन विकास एजेंसी							
1	नंबर र वन योजना	2020–21	5	415.00	234.74	गिम	एसएफडीए
2	स्कूल नर्सरी योजना	2020–21	5	49.50	5.78	गिम	एसएफडीए
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी							
1	स्थल–विशिष्ट गतिविधि योजना तैयार करने, क्षमता निर्माण, पवन ऊर्जा और प्रज. ाति कार्य योजनाओं की स्थापना के लिए पक्षी संवेदनशीलता मानचित्र विकसित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्य एशियाई फ्लाईवे राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करना।	2019–20	3	3.754	1.64	भारतीय वन्यजीव	बीएनएचएस

प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ							
1	बॉन चौलेंज पर वन परिदृष्य बहाली और रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरकार की बढ़ी हुई क्षमता निर्माण	2020–21	3.5	5.90	2.95	जीआईएम / एनएईबी	आई यूसीएन
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए)							
1	वन्यजीव रोग निगरानी और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र–सीजेडए की स्थापना	2022–2025	5	3.00	2.08	सीजेडए	सीजेडए
प्रभाव आकलन प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय							
1	परिवेश 2.0	2021–2022	5	95.59	24.36	प्रभाव आकलन प्रभाग	
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक. (एनआईसीएसआई)							
1	वार्षिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और परिवेश–एनआईसीएसआई के हैंड होल्डिंग समर्थन के लिए परियोजना प्रस्ताव	2016–17	–	5.96	6.81	एफसी	एनआईसी एसआ
लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईडब्ल्यूएसटी)							
1	राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्यों की तैयारी और कार्यान्वयन	2023–24	3	4.67	1.20	एफपी	आईडब्लू एसटी
परियोजना हाथी प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय							
1	देश में हाथियों की जनसंख्या की राष्ट्रव्यापी जनंबरणना	2022–23	1	3.0019	1.50	परियोजना हाथी प्रभाग	परियोजना हाथी प्रभाग
गोवा राज्य प्राधिकरण							
1	स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना द्वारा गोवा में संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन	2022–23	1	0.65	0.455	जलवायु परिवर्तन	गोवा राज्य प्राधिकरण
कर्नाटक राज्य प्राधिकरण							
1	कर्नाटक में चंदन और शीशम संपदा का विकास और चंदन भंडार का प्रबंधन		7	25.65	0.4750	कर्नाटक राज्य प्राधिकरण	2022–23

***

7 कैम्पा के अंतर्गत नवीन कार्य

कैम्पा निधि से किए गए कुछ नवीन कार्य इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नवोन्वेषी कार्य का नाम
1.	उत्तराखंड में बुग्यालों का संरक्षण
2.	डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा में हीराकुंड वन्यजीव प्रभाग
3.	मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यों के लिए जागरूकता अभियान, छत्तीसगढ़
4.	कर्नाटक में चंदन और शीशम संपदा का विकास और चंदन भंडार का प्रबंधन
5.	गोवा के संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में जैव विविधता पर मौसम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन
6.	उत्तराखंड में एक उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में लैंटाना उन्मूलन और संक्रमित क्षेत्रों का पुनर्वास
7.	आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वन ब्लॉक सीमा का भू–संदर्भः ओडिशा में जीआईएस, आरएस और डीजीपीएस सर्वेक्षण
8.	नंबर र वन/नंबर र वाटिका योजना
9.	तटरेखा पर्यावास और मूर्त आय के लिए मिष्टी–मैंग्रोव पहल

1. उत्तराखंड में बुग्यालों का संरक्षण

बुग्याल ऊँचे पहाडों में मिलने वाले घास के मैदान हैं, जो हिमालय की अनूठी विशेषताओं में से एक है और उच्च पारिस्थितिक महत्व रखता है। उत्तराखंड के 10 वन प्रभागों और 3 संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न आकार के कुल 211 बुग्यालों की पहचान की गई है। बुग्यालों का कुल क्षेत्रफल 8524 वर्ग किमी है। अपने पारिस्थितिक महत्व के अलावा, बुग्याल हर साल 40000–50000 (लगभग) प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स आदि और इतनी ही संख्या में चरवाहों के लिए पर्यटन स्थल भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग, गहन चराई, मानवीय हस्तक्षेप आदि के कारण, बुग्यालों को भारी क्षरण का सामना करना पड़ रहा है, जो बदले में क्षेत्र की जैव विविधता, सौंदर्य सौंदर्य और यहां तक कि बुग्यालों के अस्तित्व को भी प्रभावित कर रहा है। मृदा अपरदन और गली का निर्माण, निचले हिस्से में भूस्खलन और घास और अन्य वनस्पतियों का क्षरण प्रमुख खतरे हैं जिनका बुग्यालों को आजकल सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, असंख्य पुश्प और जीव–जंतुओं की प्रजातियों के इन प्राकृतिक आवासों को विभिन्न पर्यावरणीय और अन्य मानवजनित कारकों से नुकसान का खतरा है।

2022–23 में विभिन्न बुग्यालों के तहत 1530 हैक्टर क्षेत्र को रुपये की लागत से उपचारित किया गया। 316.75 लाख निम्नलिखित वन प्रभागों में चुनिंदा बुग्यालों में संरक्षण कार्य किये गयेः

वन प्रभाग का नाम	2022–23 में बुग्याल संरक्षण कार्य किये गये	बुग्याल का नाम
नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान	नालियों को बंद करना, आक्रामक प्रजातियों, जल निकायों का उन्मूलन और ट्रेक मार्गों का रखरखाव।	नंदीकुंड, चिनाप, गिलाड़ा, उनियानी और अंचविनायक बुग्याल।
बद्रीनाथ वन प्रभाग	जियो जूट जाल और ट्रेक मार्गों का रखरखाव।	बेदिनी, आली, बागजी, नावली, डूंगा, चमाई और भेटी बुग्याल
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान	जियो जूट जाल और ट्रेक मार्गों का रखरखाव।	तपोवन, जादुंग और केदारखर्क बुग्याल।
उत्तरकाशी वन प्रभाग	जियो जूट जाल और ट्रेक मार्गों का रखरखाव।	गोशला, बकरियाटॉप, चंपा, द्यारा, कुशकल्याण, क्यारकोटी, जिंदा, भू, कंडारा, नादुंग, नागनी, सौर और गंगोरीबुग्याल।
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग	जियो जूट जाल और ट्रेक मार्गों का रखरखाव।	भुजगली, दलखुली, देवरिया, सौखर्क, भुलकाना, तौली और पनार बुग्याल।

भूस्खलन/कटाव प्रभावित क्षेत्रों के स्थिरीकरण के उद्देश्य से कॉयर/जियो जूट नेटिंग तकनीक को बहुत प्रभावी पाया गया है। विभिन्न बुग्यालों में ट्रैकिंग रूटों का रखरखाव, आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन, जल संरक्षण, निगरानी एवं वार्डबंदी आदि कार्य भी किये गये हैं।

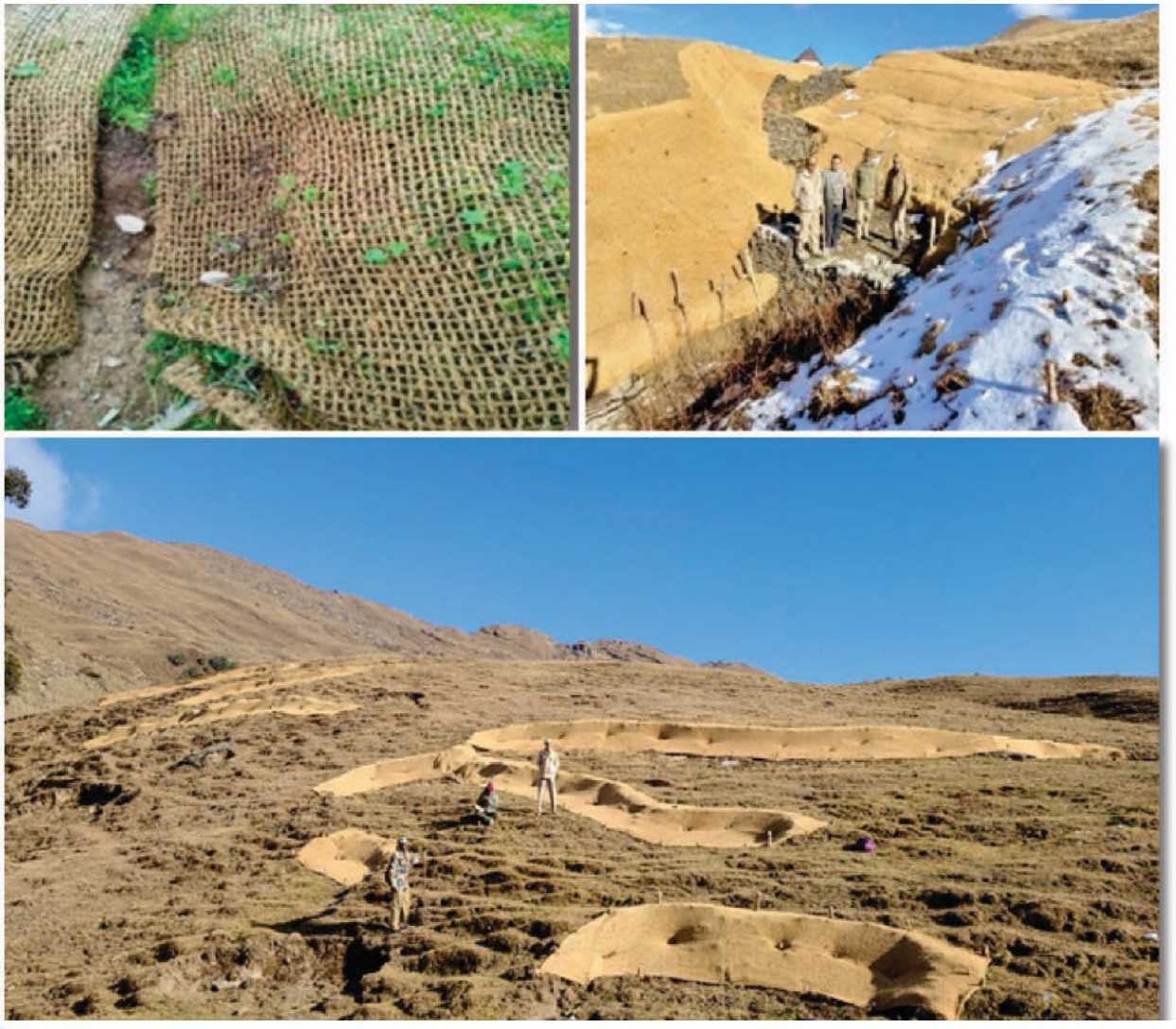

भूस्खलन और कटाव को स्थिर करने के लिए कॉयर/जियो जूट नेटिंग तकनीक

2. डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उरी, हीराकुंड वन्यजीव प्रभाग, ओडिशा से चार गांवों का स्थानांतरण

ओडिशा राज्य द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के 4 गांवों में कुल 400 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक FE&WL–0021–2016 / 12390 दिनांक 19.07.2021 द्वारा जारी अभयारण्यों से गांवों के पुनर्वास के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गांवों का विवरण और स्थानांतरित परिवारों की संख्या इस प्रकार है:

क्रमांक	स्थानांतरित किये गये गाँव का नाम	स्थानांतरित परिवारों की संख्या	स्थानांतरण के बाद बहाल हुआ वन्यजीव पर्यावास (हेक्टेयर)	टिप्पणी
1	रेंगाली	55	490 हे.	4 गांवों की आबादी एक हजार से ज्यादा है.
2	भुटुली	91		
3	कुरुमकेल	213		
4	लम्बीपाली	41		
	कुल	**400**		

पुनर्वास कालोनी

बैठक पुनर्वास कालोनी

समुदाय पुनर्वास कालोनी

3. छत्तीसगढ़ में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्यों के लिए जागरूकता अभियान

छत्तीसगढ़ राज्य में नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी पहल का उद्देश्य जल संरक्षण, पशुधन प्रबंधन, जैविक खाद संवर्धन और पिछवाड़े के पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वदेशी ज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। कार्यक्रम में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) इंजीनियरों के लिए छह दिवसीय प्रशिक्षण शामिल है, जो उन्हें मिट्टी और नमी संरक्षण, जल संचयन और जीआईएस प्रौद्योगिकी के उपयोग में कौशल से लैस करता है। प्रशिक्षण संरक्षण प्रबंधन में वैचारिक स्पष्टता, जलग्रहण सीमाओं के कुशल चित्रण और स्थल–विशिष्ट संरचनाओं को डिजाइन करने में सटीकता पर जोर देता है। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारी, मुख्य रूप से कैम्पा योजना से संबंधित हैं, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की ओर उन्मुख हैं, जबकि हितधारकों को जलवायु–लचीले बुनियादी ढांचे के बारे में संवेदनशील बनाया गया है। वनों पर अत्यधिक निर्भर आदिवासी और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को लक्षित करते हुए, इस पहल का उद्देश्य गैर–लकड़ी वन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना और वन–आधारित आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है।

4. कर्नाटक में चंदन और शीशम सम्पदा का विकास और चंदन भंडार का प्रबंधन

यह परियोजना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनके उच्च मूल्य को देखते हुए, कर्नाटक में चंदन और रोज़वुड एस्टेट के विकास और प्रबंधन पर केंद्रित है। चंदन, जो अपनी घनी लकड़ी और सुगंधित हार्टवुड के लिए जाना जाता है, तस्करी और शोषण के कारण असुरक्षितता का सामना कर रहा है। रोज़वुड, जो अपनी उच्च श्रेणी की लकड़ी के लिए मूल्यवान है, चयनात्मक कटाई और निवास स्थान के नुकसान से ग्रस्त है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, परियोजना का लक्ष्य बीज संग्रह, बड़े पैमाने पर प्रसार और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में परीक्षण भूखंडों की स्थापना के माध्यम से चंदन और शीशम की आबादी को बहाल और पुनर्जीवित करना है। परियोजना में सुरक्षा, बाजार अध्ययन, संपत्ति प्रबंधन और किसान क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी हस्तक्षेप भी शामिल है। इसका उद्देश्य आनुवंषिक संसाधनों का संरक्षण करना, बाजार की मांग को पूरा करना और किसानों के सामाजिक–आर्थिक विकास का समर्थन करना है।

सफेद चंदन

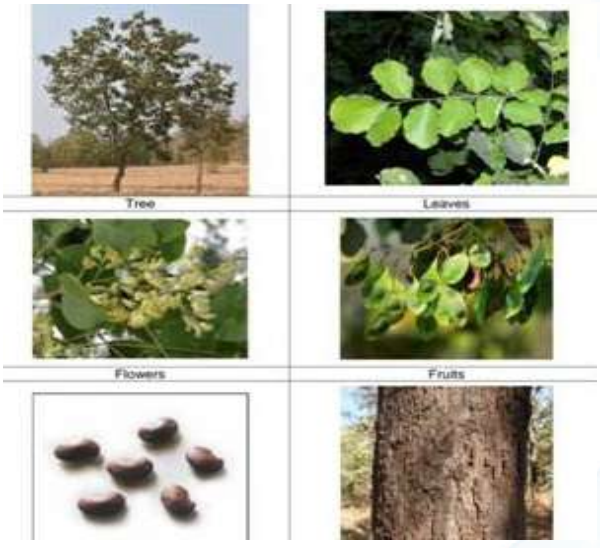

डाल्बर्गियालतिफोलिया

5. गोवा के संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता पर मौसम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन

पश्चिमी घाट में स्थित गोवा के जंगल ऊंचाई, पहलू, मिट्टी की संरचना और ढलान के आधार पर विविध विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। अरब सागर के समुद्री बायोम और पश्चिमी घाट के स्थलीय वन बायोम से प्रभावित, गोवा विभिन्न स्थानिक प्रजातियों, आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों को समेटे हुए है, जिनमें जंगलों और घाटों से लेकर आर्द्रभूमि और मैंग्रोव तक शामिल हैं। प्रत्येक आवास की जैव विविधता की स्थिति अद्वितीय आनुवंषिक और पर्यावरणीय कारकों और उनके सामने आने वाले दबावों के कारण भिन्न होती है।

इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के उद्देश्यों में वन और वन्यजीव क्षेत्रों में स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) और वर्षा गेज के माध्यम से वास्तविक समय मौसम मानचित्रण और निगरानी, वैज्ञानिक प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन प्रभाव अध्ययन में सहायता शामिल है। यह जंगलों में पानी की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा, वन्य जीवन और मिट्टी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, और चरम घटना की संभावनाओं का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ प्रणालियों और दीर्घकालिक मौसम डेटा के माध्यम से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना कीट प्रबंधन, आग के खतरे की रेटिंग प्रणाली और विशेष संस्थानों के साथ सहयोग के लिए मौसम डेटा एकत्र करेगी। अंततः, इस परियोजना का लक्ष्य गोवा में वन और वन्यजीव क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ाना है।

स्वचालित मौसम स्टेशन, गोवा

6. उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में लैंटाना उन्मूलन और संक्रमित क्षेत्रों का पुनर्वास

उत्तराखंड के देहरादून में कलसी क्षेत्र, आक्रामक प्रजाति लैंटाना कैमारा के गंभीर संक्रमण से जूझ रहा था, इसके तेजी से पुनः बहाली और उच्च निश्कासन लागत के कारण उन्मूलन में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए, जुलाई 2019 में एक प्रयोग शुरू किया गया और अनुमोदित किया गया, जिसमें न केवल लैंटाना को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए मियावाकी पद्धति को नियोजित किया गया, बल्कि तेजी से एक जीवंत वन पारिस्थितिकी तंत्र भी स्थापित किया गया। इस परियोजना में, एक कटाव–प्रवण, लहरदार क्षेत्र को शामिल करते हुए, एक पौधशाला में देशी पेड़ और झाड़ी प्रजातियों की सावधानीपूर्वक खेती शामिल थी, इसके बाद मियावाकी पद्धति का उपयोग करके एक हेक्टेयर स्थल पर वृक्षारोपण किया गया।

इस विधि में कार्बनिक पदार्थों, जल धारण करने वाले पदार्थों और ह्यूमस के माध्यम से ऊपरी मिट्टी में सुधार शामिल था। अगस्त 2020 में, 60 देशी प्रजातियों के 9900 पौधों को रणनीतिक रूप से निकट अंतराल पर लगाया गया, जिससे भयंकर प्रतिस्पर्धा और तेजी से विकास को बढ़ावा मिला, जिसमें तीन वर्षों में 1.31 मीटर की औसत वृद्धि और 92.84% की उच्च जीवित रहने की दर थी। लैंटाना और अन्य खरपतवार की वृद्धि को रोकने में निकट दूरी वाली छतरी प्रभावी साबित हुई, जो मियावाकी पद्धति की सफलता को दर्शाती है, बावजूद इसके कि पड़ोसी क्षेत्र अभी भी बड़े पैमाने पर लैंटाना से आच्छादित हैं।

विभिन्न चरणों के दौरान प्रयोग स्थल की तस्वीरें

7. आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर वन ब्लॉक सीमा का भू–संदर्भः ओडिशा में जीआईएस, आरएस और डीजीपीएस सर्वेक्षण

देश के पारिस्थितिकी तंत्र में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ओडिषा में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वन ब्लॉक सीमा का भू–संदर्भ एक महत्वपूर्ण पहल है। जैसे–जैसे विकासात्मक परियोजनाएं वन भूमि पर दबाव बढ़ा रही हैं, प्रभावी सुरक्षा और संरक्षण के लिए वन सीमाओं का सटीक सीमांकन करना अनिवार्य हो जाता है। 2005 की राष्ट्रीय मानचित्र नीति उच्च गुणवत्ता वाले स्थानिक डेटा की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो क्षैतिज डेटाम के लिए डब्ल्यूजीएस–84 के यूटीएम प्रक्षेपण और ऊर्ध्वाधर डेटाम के लिए औसत समुद्र स्तर को अपनाने की सिफारिश करती है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जीआईएस–आधारित निर्णय समर्थन डेटाबेस के निर्माण और नियमित अद्यतन पर जोर देता है, जिसमें वन भूखंडों, संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव गलियारों और वन भूमि के पिछले बदलावों पर विवरण शामिल है। इन निर्देशों के जवाब में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों को रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और डिफरेंशियल जीपीएस जैसी प्रौद्योगिकियों को नियोजित करते हुए विभिन्न प्रकार की वन भूमि को भू–संदर्भित करने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ सहयोग करना, जमीनी नियंत्रण बिंदुओं का उपयोग करना और डब्ल्यूजीएस–84 डेटाम में यूटीएम प्रक्षेपण का पालन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, राजस्व और पंचायत अधिकारियों की भागीदारी, प्रारंभिक सर्वेक्षणों के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग और एक व्यापक वेब–आधारित जीआईएस डेटाबेस की स्थापना वन प्रबंधन और निर्णय समर्थन को बढ़ाने के लिए इस पहल के अभिन्न अंग हैं।

8. नगर/नगर वाटिका योजना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई नंबर र वन–उद्यान योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के करीब शहरी वनों का निर्माण और विकास करना है, जिन्हें नंबर र वन के रूप में जाना जाता है, जो मनोरंजन के लिए सुलभ और अच्छी तरह से प्रबंधित स्थान प्रदान करते हैं। 2020–21 से 2024–25 तक लागू की गई यह योजना, हरित आवरण को बढ़ाने, जैव विविधता में सुधार और शहरी निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए देश भर में 200 सिटी फॉरेस्ट स्थापित करने की कल्पना करती है। सिटी फ़ॉरेस्ट पर्यावरण सुधार में योगदान करते हैं, जिसमें प्रदूषण शमन, स्वच्छ हवा, शोर में कमी, जल संचयन और ताप द्वीप प्रभाव में कमी शामिल है। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण–विकास बोर्ड 2026–27 तक 1000 नंबर र वैन/वाटिका विकसित करने के लक्ष्य के साथ कार्यान्वयन की देखरेख करता है। कैम्पा के राष्ट्रीय प्राधिकरण के तहत केंद्रीय अनुदान बाड़ लगाने, मिट्टी–नमी संरक्षण, प्रशासन, वृक्षारोपण और रखरखाव जैसी विभिन्न लागतों को कवर करता है। अब तक, 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 363 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत 334.51 करोड़ थी और 234.74 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न(उप्पेर कोसी ब्लॉक)

हरिद्वार वन प्रभाग

9. तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मिष्टी–मैंग्रोव पहल

नीली अर्थव्यवस्था 2030 तक नए भारत के लिए भारत के दृष्टिकोण का छठा आयाम है, और देश के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक और सामाजिक–आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने में इसकी अपरिहार्य भूमिका है। इसे संबोधित करने के लिए, मिष्टीः तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल की घोषणा केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2023–24 के पैरा 85 में की गई है ताकि मैंग्रोव को अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहुत उच्च जैविक उत्पादकता के साथ बढ़ावा दिया जा सके और संरक्षित किया जा सके। बायो–शील्ड के रूप में काम करने के अलावा, कार्बन पृथक्करण क्षमता। यह पहल भारतीय तट के लचीलेपन को बढ़ाने और तटीय आवासों के संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे जलवायु परिवर्तन के परिणामों के खिलाफ तटीय जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है। मिष्टी का उद्देश्य भारत और विश्व स्तर पर मौजूदा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर भारत के तट पर मैंग्रोव पुनर्वनीकरण/वनीकरण उपाय करके मैंग्रोव वनों की बहाली करना है। यह कार्यक्रम पांच वर्षों (2023–2028) में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करेगा। यह 4.5 मिलियन टन कार्बन के अनुमानित कार्बन सिंक के साथ लगभग 22.8 मिलियन मानव–दिवस सृजित करेगा। यह प्राकृतिक पर्यटन और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका की संभावनाओं के लिए संभावित क्षेत्र भी बनाएगा।

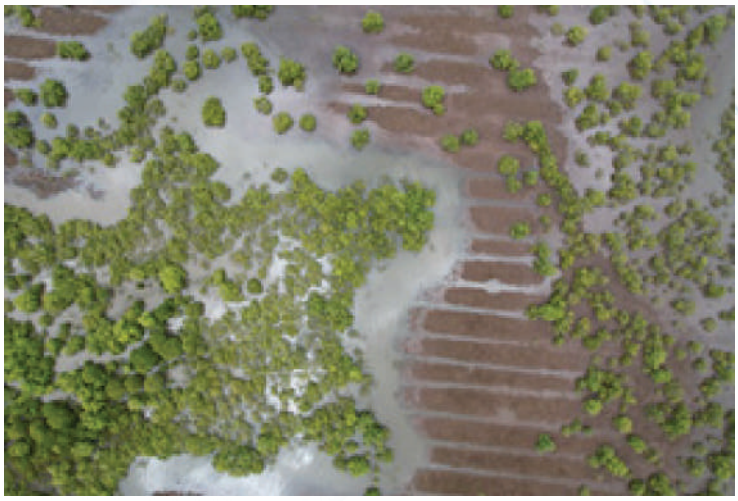

मैंग्रोव बागान, महाराष्ट्र

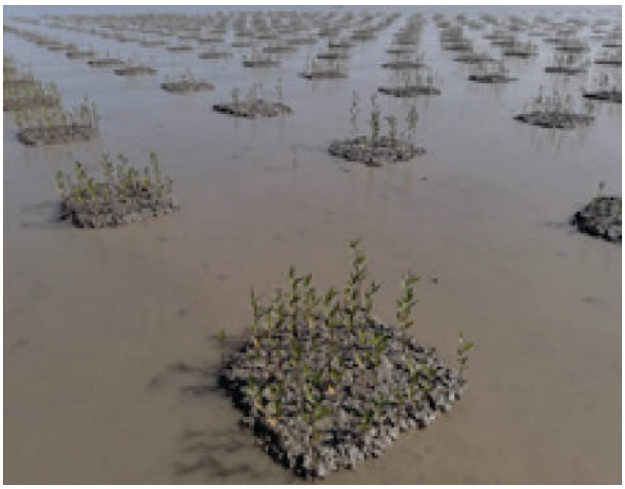

मैंग्रोव वृक्षारोपण, गुजरात

8

2022–23 के दौरान कैम्पा के तहत उपलब्धियाँ

8.1 राष्ट्रीय कैम्पा से राज्य कैम्पा को निधि हस्तांतरित

31.03.2018 की अवधि तक संचित तदर्थ कैम्पा से 54,685.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। 01.04.2018 से 31.03.2023 तक प्राप्त क्षतिपूर्ति शुल्क 28,395.31 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, कुल प्राप्तियां 83,080.31 करोड़ रुपये हैं, जो भारत के सार्वजनिक खाते में जमा की गईं। 2018–19 से 2022–23 के दौरान संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरित धनराशि में राज्य का कुल हिस्सा 55,292.40 करोड़ रुपये था, जिसमें पहले 2018–19 में अनुमोदित एपीओ के तदनुसार जारी 3,283.456 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल थी। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 2018–19 से 2022–23 के दौरान हस्तांतरित धनराशि का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

8.2 वित्त वर्ष 2022–23 में राज्य कैम्पा फंड से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एपीओ स्थिति, जारी और उपयोग किया गया फंड

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एपीओ स्वीकृत	फंड जारी	निधि का उपयोग
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.97	4.80	4.22
2.	आंध्र प्रदेश	224.09	82.51	82.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	196.93	189.80	189.40
4.	असम	162.57	100.00	92.24
5.	बिहार	115.42	115.42	77.69
6.	चंडीगढ़	1.56	1.56	1.56
7.	छत्तीसगढ	688.47	1000.00	895.59
8.	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9.	दिल्ली	33.93	16.58	9.58
10.	गोवा	36.53	0.00	25.76*
11।	गुजरात	205.40	170.00	169.96
12.	हरियाणा	270.68	248.81	137.04
13.	हिमाचल प्रदेश	190.23	140.01	97.01
14.	जम्मू और कश्मीर	312.69	282.63	177.37
15.	झारखंड	764.828	354.929	316.498

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एपीओ स्वीकृत	फंड जारी	निधि का उपयोग
16.	कर्नाटक	270.98	270.98	269.36
17.	केरल	17.26	8.50	8.24
18.	लद्दाख	0.00	0.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	899.84	856.04	729.39
20.	महाराष्ट्र	708.11	448.68	399.91
21.	मणिपुर	22.59	22.59	22.59
22.	मेघालय	26.67	8.90	8.90
23.	मिजोरम	16.74	12.47	11.64
24.	नगालैंड	0.00	0.00	0.00
25.	ओडिशा	1191.31	1121.75	930.38
26.	पंजाब	203.01	200.16	129.81
27.	राजस्थान	249.19	230.88	209.06
28.	सिक्किम	92.85	80.00	80.00
29.	तमिलनाडु	38.22	38.22	25.95
30.	तेलंगाना	772.65	268.47	430.55*
31.	त्रिपुरा	52.90	128.92	34.90
32.	उत्तर प्रदेश	344.08	243.40	232.72
33.	उत्तराखंड	320.15	303.24	229.72
34.	पश्चिम बंगाल	52.83	24.06	18.93
	कुल	**8493. 678**	**6,974.31**	**6,048.48**

**उपयोग की गई निधि में पिछले वर्ष से अग्रेशित शेष धनराशि शामिल है*

नोट–विवरण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है

8.3 1980 से 2023 तक कैम्पा फंड के तहत किए गए प्रतिकरात्मक वनीकरण (सीए) और दंडात्मक प्रतिकरात्मक एफो पुनर्स्थापन (पीसीए) की स्थिति।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि 10.68 लाख हेक्टेयर का प्रतिकरात्मक वनरोपण पूर्ण किया। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2023 तक 12.17 लाख हेक्टेयर अधिदिष्ट(mandated) हैः

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के डायवर्जन के लिए अनुमोदित प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत साइट विशिष्ट योजना के अनुसार वनरोपण आवश्यक है।			राज्य में स्थल विशिष्ट योजनाओं के अनुसार वनरोपण किया गया			कितना प्रतिशत वनरोपण किया गया	कुल शेष	शेष (प्रतिशत)
क्र.सं		(सीए)	(पीसीए)	(सीए+पीसीए)	(सीए)	(पीसीए)	(सीए+ पीसीए)	(सीए+ पीसीए)	(सीए+ पीसीए)	(सीए+ पीसीए)
1.	**अंडमान एवं निकोबार	2569.83	4.25	2574.0807	324.8345	4.25	329.084	12.78	231.511	8.99
2.	आंध्र प्रदेश	39082.92	1027.61	40110.53	36555.85	956.65	37512.50	93.52	2598.04	6.48
3.	अरुणाचल प्रदेश	39124.53	2241.54	41366.07	34909.63	1697.04	36606.67	88.50	4759.40	11.50
4.	असम	9476.31	2.5	9478.81	8289.44	2.5	8291.94	87.48	1186.87	12.52
5.	बिहार	*	*	4668.248	*	*	4284.248	91.77	384.00	8.225
6.	चंडीगढ़	111.32	0	111.32	111.32	0	111.32	100	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ	63757.307	3595.616	67352.923	56741.455	2514.866	59256.021	88	8096.902	12
8.	दिल्ली	257.28	0.97	258.25	274.77	0.97	275.74	100	-17.49	00.00
9.	गोवा	2356.9926	1114.9342	3471.9268	2069.2435	257.7011	2326.9446	67.02	1144.98	32.98
10.	गुजरात	101324.70	0	101324.70	101324.70	0	101324.70	100	0.00	0.00
11.	हरियाणा	14794.32	0	14794.32	11586.84	0	11586.84	78.32	3207.48	21.68
12.	हिमाचल प्रदेश	30179.92	0	30179.92	28067.15	*	28067.15	93.00	2112.77	7.52
13.	जम्मू एवं कश्मीर	30172	0	30172.00		0	28076	93.00	2096.00	7.00
14.	झारखंड	56273.354	0	56273.354	36767.785	*	36767.785	65.34	19505.57	34.66
15.	कर्नाटक	26417	2305.71	28722.71	24585.44	2263	26848.44	93.47	1874.27	6.53
16.	केरल	60997.50	0	60997.50	60792.55	0	60792.55	99.66	204.84	0.34
17.	मध्य प्रदेश	289154	0	289154	246979	0	246979	85	40759	15

18.	महाराष्ट्र	105378.395	3659.276	109037.671	99176.113	3247.346	102423.459	93.93	6614.21	6.07
19.	मणिपुर	6299.59	739.49	7039.08	6190	520.14	6710.14	95.33	328.94	4.67
20.	मेघालय	1220.47	234.61	1455.08	908.62	14.71	923.33	63.45	531.75	36.54
21.	मिजोरम	12516.8291	0	12516.8291	11788.0221	*	11788.0221	94.18	728.81	5.82
22.	ओडिशा	*	*	80843.09	*	*	75278.289	93.11	5564.801	6.883
23.	पंजाब	18890	173	19063.00	17864	156	18020	94.53	1043.00	5.47
24.	राजस्थान	43327.48	7090.08	50417.56	32137.78	6151.97	38289.75	75.95	12127.81	24.05
25.	सिक्किम	5631.26	50.00	5681.26	5420.73	50.00	5470.76	96.29	210.50	3.705
26.	तमिलनाडु	4006.635	0	4006.635	3616.419	0	3616.419	90.26	390.22	9.74
27.	तेलंगाना	35506.26	461.68	35967.93	27336.348	455.916	27792.264	77.27	8175.67	22.73
28.	त्रिपुरा	6482.66	1275.49	7758.15	6141.24	1275.49	7416.73	95.60	341.42	4.40
29.	उत्तर प्रदेश	42114.36	453.28	42567.69	25678.72	130.06	25808.78	60.63	16785.91	39.37
30.	उत्तराखंड	54879.43	1944.80	56824.23	49868.87	1729.47	51598.34	90.80	5225.89	9.20
31.	पश्चिम बंगाल	3266.98	0	3266.98	2946.639	0.00	2946.639	90.19	320.34	9.81
	कुल	**1,10,5570**	**26,374.84**	**12,17,456**	**9,38,453.5**	**21,428.08**	**10,67,520**	**87.68**	**1,46,533.4**	**12.32**

*नोट – *विच्छेद डेटा उपलब्ध नहीं है।*

***2574.0807 हेक्टेयर में से 2013.4795 हेक्टेयर पर पहले से मौजूद घने जंगल के कारण सीए करने की कोई गुंजाइश नहीं है और दिनांक 13.04.2023 को ईमेल के माध्यम से मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है। 2013.4795 हेक्टेयर में से 1993.410 हेक्टेयर पर अपेक्षित सीए के विवरण के लिए नोडल कार्यालय ने पहले ही मंत्रालय को पत्र दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से परियोजनावार विवरण भेज दिया था।*

8.4 वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कैम्पा फंड के माध्यम से सीए, एनपीवी और ब्याज घटक के तहत किए गए वृक्षा. रोपण की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए)				एन पी वी				ब्याज घटक				टिप्पणी
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
अंडमान और निकोबार	56.16	1.49	36.56	0.682	'	5.32	'	3.29	0	0	0	0	'32 लाख फलदार पौधे उगाना और रोपना, उपलब्धि– 26,78,732 (पौधे)
आंध्र प्रदेश	2276.75	51.74	845.04	7.22	3960.00	50.04	3594.00	30.56	0	0	0	0	
अरुणाचल प्रदेश	4459.20	25.36	4458.67	25.36	6215.63	37.996	6063.60	37.030	0	0	0	0	
असम	467.452	13.86	0	8.90	1323	46.44	450	56.82	0	0	0	0	
बिहार	1321.09	21.797	1321.09	13.613	31.87	0	0	13.33	0	8.42	0	4.72	191.75 किमी 19,27,634 संख्या सीए लक्ष्य 162.0 किमी 18,63,794 संख्या सीए उप. लब्धि
चंडीगढ़	0.14	1.56	0.14	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	मेनट. 89.49
छत्तीसगढ	2634.357	50.95	485.912	0.80	2697.00	35.60	1475.00	8.30	0	0	0	0	
दिल्ली	71.95	14.60	70.58	5.53	0	0	0	0	0	0	0	0	
गोवा	420	5.25	299.003. 0891	385	2.88	385	2.7580	0	0	0	0		
गुजरात	4629.97	86.81	4629.97	86.81	4279.91	67.73	4279.91	67.73	0	0	0	0	लक्ष्यः 4986688 पौधों की संख्या सीए उपलब्धिः 4986688 पौधों की संख्या एनपीवी लक्ष्यरू 4297532 पौधों की संख्या एनपीवी उपलब्धिरू 4297532 पौधों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए)				एन पी वी				ब्याज घटक				टिप्पणी
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
हरियाणा	2306.12	100.63	1608.83	52.29	1200.00	35.00	1005.12	19.46	0	0	0	0	
हिमाचल प्रदेश	1024.00	5.09	886.00	4.78	979.00	12.69	979.00	7.10	0	0	0	0	
जम्मू एवं कश्मीर	1537	14.14	1288.00	9.58	16054.00	256.44	9160.35	161.27	0	0	0	0	
झारखंड	6327.67	28.63	3202.83	11.91	15649.00	26.856	13988.00	19.13	0	0	0	0	
कर्नाटक	376.73	3.22		कर्नाटक	376.73	3.22		कर्नाटक	376.73	3.22		कर्नाटक	786511 पौधों की संख्या उपलब्धि सी.ए 3282000 पौधों की संख्या लक्ष्य एनपीवी एनपीवी हासिल की गईरू 3274500 पौधों की संख्या अभिरुचि लक्ष्यरू 228690 पौधों की संख्या प्राप्त ब्याजरू 228690 पौधों की संख्या
केरल	241.5	2.55	65	0.19	1243.5	13.68	130.90						एनपीवी लक्ष्यरू. 27565एमएम एनपीवी हासिल किया गयारू 3265एमएम
	7.56		0.81		0.48								
मध्य प्रदेश	6364.61	106.81	6286.41	78.69	31058.00	203.67	32280.70	199.03	0	0	0	0	
महाराष्ट्र	246.405	2.32	182.278	2.61	2694.00	25.95	2704.00	22.47	0	0	0	0	

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए)				एन पी वी				ब्याज घटक				टिप्पणी
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
मणिपुर	0	0	0	0	2540.00	5.9848	2540.00	5.9848	0	0	0	0	रखरखावरू सी,रूभौतिक लक्ष्य 633.059 हे फि. उपलब्धिः 354.728 एनपीवीरू फि. लक्ष्यरू 1592.68 फि. उपलब्धिरू 195 हेक्टेयर
मिजोरम	5146.8	7.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ओडिशा	6263.509	80.39	4665.5579	74.73	56411.00	554.92	55820.00	450.07	0	0	0	0	13250 नंबर फि. सीए की उपलब्धि
पंजाब	864.127	14.91	800.383	11.50	5022	32.95	4574.00	24.84	0	0	0	0	
राजस्थान	700.35												सीए लक्ष्यरू 655264 पौधों की संख्या सीए ने हासिल कियारू 349867 पौधों की संख्या एनपीवी लक्ष्यरू 2080000 पौधों की संख्या एनपीवी हासिल की गईरू 1949050 पौधों की संख्या
सिक्किम	94.67	6.06	94.67	6.06	565	2.84	564	2.62	0	0	0	0	

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए)				एन पी वी				ब्याज घटक				टिप्पणी
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
तमिलनाडु	146.38	4.93	82.57	4.031	0	0	0	0	0	0	0	0	
तेलंगाना	2799.414	72.20	2052.71	39.56	11555.64	211.570	12399.02	156.807	0	0	0	0	
त्रिपुरा	685.14	6.85	566.40	1.41	23.50	0.16	23.50	0.14	0	0	0	0	
उत्तर प्रदेश	1559.35	17.74	1538.98	14.95	38212.00	105.54	38212.00	105.52	0	0	0	0	सीए का 72138 भौतिक लक्ष्य और 65701 उपलब्धि
उत्तराखंड	2415.00	49.73	2415.00	39.48	985.50	39.65	979.00	29.48	0	0	0	0	एनपीवी लक्ष्यरू 492750 नंबर । एनपीवी हासिल की गईरू 489500 संख्या।
पश्चिम बंगाल	397.54	4.15	130.3248	0.88	200.00	1.77	170.50	0.553	0	0	0	0	
कुल	**56032.91**	**807.07**	**38892.87**	**528.05**	**225520.05**	**1839.55**	**213286.10**	**1484.29**	**382.20**	**10.27**	**382.20**	**6.24**	

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.5 वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कैम्पा के तहत जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT) की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में, करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जलग्रहण उपचार योजना (सीएटी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	अग्रिम संचालन	0.00	0.00	0.00	0.00
		वृक्षारोपण का उत्थान	205.00 हे	1.41	115.00 हे	0.17
		नर्सरी का निर्माण	8.17 लाख	0.80	1.05 लाख	0.16
		वृक्षारोपण का रख–रखाव	275.00 हे	0.77	70.00 हे	0.34
		नर्सरी का रख–रखाव	5.36 लाख	0.13	0.00	0.31
		सीमा स्तम्भ	50.00 नं	0.06	0.00	0.05
		आरएफडी	102.00 नंबर	0.24		0.17
		बांधों	13.00 नं	0.56	1 नं	0.14
		पीटीध्एमपीटी	1073.00 नंबर	0.18	8 नंबर	0.20
		सीपीटी	50.00	0.32		0.02
		वानस्पतिक उपाय	1.00	0.10		0.00
		बाड़ लगाना	1000.00 आरएमटी	0.04		0.007
		प्रोजेक्ट ओवर हेड/प्रशासनिक शुल्क।		0.04		0.00
		कोई अन्य कार्य		0.25		0.19
		कुल		4.90		1.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	वनीकरण रखरखाव	500 हे	0.5084	500 हे	0.5084
		वनरोपण–सृजन	1000 हे	3.4602	1000	3.4602
		वृक्षारोपण का रखरखाव	5000	6.17	5000	6.17
		वृक्षारोपण–सृजन का संवर्धन	200	0.2717	200	0.2717
		संवर्धन वृक्षारोपण का रखरखाव	1000	0.628	1000	0.628
		3790 हेक्टेयर से अधिक वैकल्पिक भूमि उपयोग कार्यक्रम बागवानी पट्टी/वृक्षारोपण ii) क्रमबद्ध खाइयाँ iii) कवर फसल पट्टियाँ (iv) वनस्पति हेजेज (v) मिश्रित फसल पट्टियाँ (vi) सिल्. वी–चरागाह पट्टियाँ (vii) बेंच टेरेसिंग	3790 हे	8.727	3790 हे	8.727

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जलग्रहण उपचार योजना (सीएटी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	**भौतिक लक्ष्य**	**वित्तीय लक्ष्य**	**भौतिक उपलब्धि**	**वित्तीय उपलब्धि**
		मृदा एवं जल संरक्षण इंजीनियरिंग ध्यांत्रिक उपाय	244 हेक्टेयर और 318224 नंबर ।	3.0432	244 हेक्टेयर और 318224 नंबर ।	3.0432
		पायलट क्षेत्र का उपचार सघन वनीकरण–83.60 हेक्टेयर ii)संवर्धन रोपण–7.64 हेक्टेयर।	सघन वनरोपणध पुनर्वनरोपण –83. 60 हेक्टेयर संवर्धन रोपण– 31 हे संवर्धन रोपण– 7.64 हेक्टेयर	0ण05205	ii) सघन वन. रोपण / पुनर्वन. रोपण–83.60 ii) संवर्धन रोपण–31 हेक्टेयर iii) संवर्धन रोपण–7.64 हेक्टेयर	0.05205
		कुल		**22.860**		**22.860**
3.	हिमाचल प्रदेश	i. नवीन वृक्षारोपण– 635.00 ii. पुराने वृक्षारोपण का– 2173.00 ii. एसएमसी कार्य (बांध / दीवारों की भूस्खलन का स्थिरीकरण। जैव इंजीनियरिंग कार्य आदि) iv. अन्य कार्य (वन अवसंरचना, वन्यजीव गतिविधि, प्रशिक्षण, नर्सरी निर्माण आदि)	I. नवीन वृक्षारोपण– 635.00 ii. मेनट. पुराने वृक्षारोपण का– 2173.00 ii. एसएमसी कार्य (बांध / दीवारों की जांच। भूस्खलन का स्थिरीकरण। जैव इंजीनियरिंग कार्य आदि) – 113197 संख्या। iv. अन्य काम (वन अवसंरचना, वन्यजीव गतिविधि, प्रशिक्षण, नर्सरी निर्माण आदि) – एल.एस	3.22 1.18 9.05 12.55	i. 342.00 ii. 1707.00 ii. 107065 नंबर	1.65 0.75 8.12 7.63
			कुल	**26.00**		**18.15**
4.	झारखंड	6 डिव.	4.	झारखंड	6 डिव.	4.

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जलग्रहण उपचार योजना (सीएटी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
5.	कर्नाटक	वृक्षारोपण का रखरखाव	256.07	0.63	256.07	0.60
6 .	मध्य प्रदेश	बोल्डर चेक डैम, कंटूर बंड, कंटूर ट्रेंच, मिट्टी का चेक डैम, पर. कोलेशन, सीसी चेक डैम, घास लगाना, घास के मैदान का विकास, गैबियुन संरचना, वॉटर होल निर्माण	74456	21.15	67652	19.34
7.	महाराष्ट्र	वृक्षारोपण गतिविधि (पीपीओ, एफवाईओ और	927.50	5.74	697.50	1.79
		मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य (एलबीएस, गेबियन, वंतलाओ, वॉटर होल, नाला गहरीकरण, खाइयाँ, सीसी. टी / गहराई सीसीटी)	—	8.73	—	2.73
		कुल		**14.47**		**4.52**
8.	मणिपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	3875	2.35	3875	2.35
9.	मेघालय	वृक्षारोपण का रखरखाव	215.17 हे	0.506	215.17 हे	0.506
10.	मिजोरम	—	750	0.24	शून्य	शून्य
11.	ओडिशा	100 हेक्टेयर एएनआर / 200, एसएमसी गतिविधियाँ आदि।	एएनआर 100 हेक. टेयर	11	ओडिशा	100 हेक्टेयर एएनआर / 200, एसएमसी गतिविधियाँ आदि।
12.	राजस्थान	ईसरदा बांध सिंचाई परियोजना	—	1.50	—	0.49
13.	सिक्किम	निर्माण	443 हे	6.70	443	6.40
		रखरखाव	903.57 हे		903.57	
14.	तमिलनाडु	पाराप्पलार जलग्रहण क्षेत्र उपचार में चिनाई चेक बांध का निर्माण	10 नंबर	0.55	10 नंबर	0.55

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जलग्रहण उपचार योजना (सीएटी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
15.	तेलंगाना	किलोमीटर में परिधीय खाई	12.00 कि.मी	0.59	3.00	0.04
		कि.मी. में तीन पंक्तियों में मेड़ रोपण	28.09 कि.मी	0.13	0.00	0.00
		पहाड़ियों से होकर गुजरने वाली नहर पर कच्चे पत्थर की पैकिंग।	1.50 कि.मी	0.16	0.00	0.00
		एसएमसी काम करता है				
		आरएफडीध्एसजीपी	25.00 नंबर	0.28	178.00	0.21
		एमपीटी	18.00 नं	0.72	44.00	0.51
		पीटी	14.00 नं	1.17	17.00	0.98
		एससीटी	37248.00 नंबर	1.58	2227.00	0.15
		दुर्लभध्औषधीय प्रजाति के स्थानीय देशी वृक्ष और झाड़ी प्रजातियों का रोपण	50.00 हे	0.07	25.00	0.02
		आधारभूत संरचना				
		नर्सरी	4.00 नंबर	0.48	1.00	0.09
		एफबीओ क्वार्टर	2.00 नंबर	1.02	2.00	0.31
		अवषेश ब्लॉक में अग्नि लाइनों का निर्माण	100.00 कि.मी	0.10	100.00	0.09
		अग्नि रेखाएँ	138.00 कि.मी	0.05	0.00	0.00
		अग्नि शमन यंत्र	8.00 नंबर	0.08	8.00	0.05
		सामाजिक–आर्थिक घटक	रास	0.20	1.00	0.01
		प्रशासनिक लागत	रास	0.36		0.11
		अन्य		0.41		0.13
		कुल		7.38		2.71
16.	उत्तराखंड	वृक्षारोपण–584.50य मेनट. –1457.97य	16.	उत्तराखंड	वृक्षारोपण–584.50य मेनट. –1457.97य	16.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जलग्रहण उपचार योजना (सीएटी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
17.	पश्चिम बंगाल	एनएचपीसी द्वारा कैट योजना (टीएलडीपी–iii)	(मामला विशिष्ट)	0.15	शून्य	शून्य
		एनएचपीसी द्वारा कैट योजना (टीएलडीपी–IV)	(मामला विशिष्ट)	0.50	शून्य	शून्य
		एनटीपीसी द्वारा कैट योजना (रम्मन जलविद्युत परियोजना)	(मामला विशिष्ट)	0.50	1 नं. नर्सरी विकास और कैच वॉटर ड्रेन 125 आरएमटी	0.091
		कुल	वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)– 14,096.64 हेक्टेयरय रखरखाव– 11,280.78 हेक्टेयर मृदा संरक्षण सं. रचनाएँ– 4,78,055 नंबर, 344 हेक्टेयर, 41.59 किमीय 1050 आरएमटीय नर्सरी का निर्माणध रखरखाव– 13.53 लाख	190.57	हेक्टेयर में वृक्षारोपण– 11,110.64 रखरखाव– 10,609.78; मृदा संरक्षण संरचनाएं– 4,35,454 संख्या, 344 हेक्टेयर, 3 किमीय नर्सरी का निर्माण/रख. रखाव– 1.05 लाख	126.94

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.6 अनिवार्य कार्यों की स्थिति–एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना कैम्पा

(क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	फसल मुआवजा	0.00	0.005	0.00	0.00
		मानवीय चोटें	0.00	0.02	0.00	0.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
		वॉच टावरों का निर्माण	1.00	0.05	0.00	0.00
		पुराने चेक बांधों का निर्माणध्मरम्मत	नये 2 नंबर पुराने 123 नंबर	0.57		0.10
		कुल		0.635		0.10
3	अरुणाचल प्रदेश	मुख्य झोपड़ी के साथ चेक गेट का	8 नंबर	0.0385	8 नंबर	0.0385
		झोपड़ी सहित चेक गेट का निर्माण	3 नंबर	0.14859	3 नंबर	0.14859
		एमएस एंगल आयरन पोस्ट के साथ रात्रि दृष्टि विनाइल साइनेज का निर्माण/1 संख्या/किमी	3300 आरएमटी /15 नंबर।	0.0555	3300 आ. रएमटी/15 नंबर ।	0.0555
		पर्यावास सुधार	12 हे	0.02076	12 हे	0.02076
		वॉच टावर का निर्माण	3 नंबर	0.1095	3 नंबर	0.1095
		ऊंचे पौधों के रोपण द्व ारा पषु क्रॉसिंग के लिए कैनोपी कनेक्टिविटी	3 हे	0.012	3 हे	0.012
4	छत्तीसगढ	वन क्षेत्रों की सुरक्षा. वृक्षारोपण एवं नर्सरी/रखरखाव मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य अतिरिक्त गतिविधियाँ (जागरूकता, अनुसंधान, निगरानी, मूल्यांकन आदि) वन्यजीवन आवास 6.जैव विविधता/ पारिस्थितिकी तंत्र	68 कार्य 25 कार्य 36 कार्य 111 कार्य 38 कार्य 9 कार्य	22.78	9 कार्य 8 कार्य 19 कार्य 14 कार्य 8 कार्य 7 कार्य	3.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
5	हिमाचल प्रदेश	वनरोपण, मुख्य. वनीकरण, मिट्टी और संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण अनुसंधान और निगरानी कार्यक्रम, कार्यशाला। वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण गतिविधियाँ, मानव वन्यजीव संघर्ष। फील्ड उपकरण, अन्य गतिविधियाँ	365.00			365.00
6	जम्मू एवं कश्मीर	किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क (KHANP) के लिए शमन योजना	190	16.14	75	4.07
		गतिविधियों का विवरण				
		बाड़ लगाना (लाख आरएफटी में)	0ण्58	1.04	0.30	0.02
		रोपण (लाख संख्या में)	0ण्28	0.40	0.28	0.08
		फायर लाइन (किमी में)	35	0.16	10	0.11
		मृदा नमी संरक्षण कार्य (डीआरएसएम सह में)	3400	1.00	1303	0.10
		आकस्मिक श्रम कार्यदिवस	14872	0.45	12413	0.34
		नया भवन (संख्या में)	24	5.55	4	0.74
		वॉच टावर और व्यूप्वाइंट (संख्या में)	8	0.40	1	0.05
		पर्यावरण–विकास गतिविधियाँ		1.31		0.55
		निरीक्षण पथ (किमी में)	11	0.14	1	0.02
		आईसीटी संबंधित उपकरण		0.31		0.29
		वन्यजीव संरक्षण और बचाव अभियान		0.94		0.73
		प्रचार एवं जागरूकता		2.10		0.31
		वन्यजीव सर्वेक्षण		1.23		0.37
		कुल		**31.17**		**7.78**

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
7	झारखंड	24 प्रभाग. 40 परियोजना	24 प्रभाग. 40 परियोजना	89.628	21 प्रभाग. 32 परियोजना	44.603
8	मध्य प्रदेश	खरपतवार हटाना, वन सड़क निर्माण, स्टोन चेक डैम, गश्ती शिविर, सोलर लाइट, तालाब आदि।	रास	7.33	रास	5.71
9	महाराष्ट्र	1.पर्यावास सहित वन्यजीव प्रबंधन विकास कार्य 2. सुरक्षा 3. आजीविका और जेएफएम 4. वन्यजीव बचाव 5. आंतरिक सड़क की मरम्मत 6. कैरी नर्सरी में क्वार्टरों की मरम्मत	–	0.60	–	0.25
10	ओडिशा	क्षेत्रीय डब्ल्यूएल प्रबंधन योजना के तहत	बैरक–3 नंबर , वॉच टावर2 नंबर , कछुआ घोंसला बनाने वाला समुद्रतट–2 नंबर , त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयों की मजदूरी–14 नंबर।	15.00	बैरक–3 संख्या, वॉच टावर–2 संख्या, कछुआ घोंसला बनाने वाला समुद्रतट–2 संख्या, त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयों का वेतन–14 संख्या।	6.68

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
11	राजस्थान	परवन बांध परियोजना	—	6.00	—	3.66
		मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा में चंबल भीलवाड़ा पाइपलाइन परियोजना	—	3.00	—	1.84
		डेजर्ट नेशनल पार्क में आने वाले ओएनजीसी में वन्यजीव प्रबंधन योजना (डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर में जीआईबी संरक्षण कार्य) (अतिरिक्त एपीओ दिनांक 15.11. 2021) (लंबित देनदारियां या वर्ष 2021–22)	—	0.01	—	0.01
		कुल	—	**9.01**	—	**5.51**
12	सिक्किम	कृत्रिम पुनर्जनन का निर्माण– 60.00 हेक्टेयर।	60.00 हे	0.23	60.00 हे	0.02
		सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन का निर्माण	30. हा	0.18	30. हे	0.12
		बांस/प्रकंद का रोपण	10 हे	0.03	10 हे	0.02
		डिब्लिंग डब्लूएल अनुकूल प्रजातियाँ	10 हे	0.03	10 हे	0.02
		मृदा एवं नमी संरक्षण	25 हे	0.14	25 हे	0.12
		जल संचयन स्ट्रीट/वाटर होल/टैंक	4 नंबर	0.12	4 नंबर	0.11
		झीलों का पुनरुद्धार (एलएस)	3 नंबर	0.14	3 नंबर	0.11
		कृत्रिम पुनर्जनन	15.90 हे	0.02	15.90 हे	0.02
		सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन	15 हे	0.01	15 हे	0.01
		छोटा बांस	5 हे	0.0027	5 हे	0.002
		वन्य जीवन योग्य प्रजातियों का वृक्षारोपण/डिबलिंग/प्रसारण	10 हे	0.01	10 हे	0.01

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
		एमडब्ल्यूएलएस के सीमांत गांव के भीतर पशुधन टीकाकरण/विटामिन/पूरक की आपूर्ति	2 नंबर	0.02	2 नंबर	0.02
		खालों का निर्माण	5 नंबर	0.25	5 नंबर	0.02
		सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार सामुदायिक संपत्तियों की खरीद (ईपीए)	5 नंबर	0.08	5 नंबर	0.06
			कुल	**1.2627**		**0.662**
13	तमिलनाडु	मुदुमलाई रेंज में एक पर्यावरण–जागरूकता केंद्र के निर्माण के लिए निचले करगुडी में मौजूदा मोर छात्रावास का उन्नयन।	रास	0.36	रास	0.36
14	तेलंगाना	पर्यावास सुधार				
		तीन वर्षों के लिए प्रति डिवीजन 1.0 लाख रु	रास	0.054	1	0.022
		3 वर्ष तक रखरखाव के साथ चारा भूखंडों का निर्माण	34	0.062	29	0.055
		प्राकृतिक घास भूमि का विकास और घास भूमि के चारों ओर 3 मीटर, चौड़ी फायर लाइन सहित 3 वर्षों तक रखरखाव / रु. 18000/प्रति हेक्टेयर, 3 वर्षों के लिए	250	0.265	40	0.089
		बाइसन कॉरिडोर का रखरखाव		0.013		0.013
		औषधीय पौधों का पालन–पोषण		0.015		0.015

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
		अवांछित खरपतवारों को हटाना और कंटीली झाड़ियों को हटाना, जिससे षाकाहारी जीवों के लिए प्राकृतिक चारे को बढ़ावा मिलता है और इसके रखरखाव (हेक्टेयर में) में पहले और दूसरे साल का रखरखाव शामिल है।	100	0.160		0.049
		उपरोक्त 50 हेक्टेयर क्षेत्र में घास के बीज का संग्रहण एवं प्रसारण (3 किग्रा) बीज प्रति हेक्टेयर प्रसारित किया जाना है)	0	0.000		0.000
		महत्वपूर्ण एनटीएफपी प्रजातियों के लिए अधिमान्य उपचार प्रत्येक पौधे की गोलाकार निराई (1 मीटर त्रिज्या) और गहरी मिट्टी की कटाई (0.5 मीटर त्रिज्या) (हेक्टेयर में)	25	0.008		0.059
		एएनआर वृक्षारोपण को बढ़ाना	25	0.080		0.000
		कृत्रिम पक्षी बसेरा की स्थापना	100	0.007		0.000
		चारा भूखंड का विकास		0.020		0.020
		जल संसाधन प्रबंधन और एसएमसी संरचनाएं				
		टैंकों से गाद निकालने और गहरा करने के लिए प्रत्येक 50000/– की दर से	31	0.137	9	0.080
		जल छिद्रों से गाद निकालना और विकास / रु. 5000/– प्रति प्रत्येक	47	0.066	21	0.023

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
		5000 रुपये प्रति गड्ढे की दर से तष्तरी गड्ढों का प्रावधान	56	0.029	18	0.018
		पीटी का निर्माण एवं गठन	2	0.045	1	0.011
		चेक डैम का निर्माण	2	0.095	2	0.153
		सोलर पंप बोरवेल की स्थापना	3	0.158	5	0.204
		एमपीटी के जल स्रोत से गाद निकालने में सुधार	3	0.017		0.000
		खेत तालाबों का निर्माण	4	0.088		0.000
		क्रमबद्ध समोच्च खाइयों की खुदाई	5	0.016		0.000
		सड़क के दोनों ओर जल निकायों और एसएमसी संरचनाओं का निर्माण ताकि जंगली जानवर पानी के लिए सड़क पार न करें	0	0.150		0.124
		फायर लाइनों का निर्माण एवं फायर लाइनों का रखरखाव				
		3 वर्ष तक रखरखाव के साथ फायर लाइन (3 मीटर चौड़ाई) का निर्माण	50	0.015	13	0.025
		किमी में अग्नि लाइनों का रखरखाव (5 मीटर चौड़ा)	100	0.040		0.000
		किमी में फायर लाइन का निर्माण (5 मीटर चौड़ा)	12.5	0.011		0.000
		अग्नि लाइनों का रखरखाव	25	0.020		0.076
				0.086		0.101
		सुरक्षा को मजबूत करना				
		9.0 लाख प्रति वर्ष की दर से तीन वर्षों के लिए बेस कैम्प उपलब्ध कराना।	13	1.635	13	1.214

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
		तीन वर्षों के लिए 10.62 लाख प्रति वर्ष की दर से स्ट्राइक फोर्स प्रदान करना।	9	1.248	9	0.825
		सीपीटी की खुदाई	0	0.364		0.000
		निगरानीकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षण सह सुरक्षा झोपड़ी का निर्माण	0	0.150		0.000
		जानवरों को पार करने की सुविधा के लिए 1 किमी के नियमित अंतराल पर मिट्टी के रैंप उपलब्ध कराना	0	0.050		0.000
		5 वर्षों के लिए (जनवरी–मई से) 5 अग्नि निगरानीकर्ताओं की एक टीम को नियुक्त करना	1	0.020		0.000
		चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण	1.5	0.180		0.000
		विविध एवं प्रचार, जागरूकता				
		जन जागरूकता कार्यक्रम / रु. तीन वर्षों के लिए प्रति डिवीजन 1.0 लाख रु		0.150	5	0.110
		प्रशासनिक लागत		0.030		0.027
		परियोजना को लागू करने के लिए कार्यालय सहायता के लिए ओवर हेड शुल्क (परियोजना लागत का 5%)		0.025		0.000
		कुल		5.421		3.210

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
15	पश्चिम बंगाल	झांझरा कोयला खनन परियोजना–हाथी के लिए ईडी–जल संचयन संरचना की पुनः खुदाई	2 नंबर	0.06	2 नंबर	0.1472 (वर्ष 2021–22 के 0.0872 करोड़ रुपये सहित)
		पुरुलिया डिवीजन के तहत पीकेटीसीएल की 400 केवी डी/सी पुरुलिया–रांची ट्रांसमिशन लाइन बिछानाः त्वरित प्रतिक्रिया दल, बचाव तंत्र और वन प्रबंधन केंद्र	मामला विशिष्ट	0.085	.	.
		वन्यजीव प्रबंधन योजना सेवोक रंगपो रेलवे परियोजना	मामला विशिष्ट	11.9575	.	.
		कुल	**वॉच टावर– 13 नंबर; चेक गेट– 15; वृक्षारोपण (एएनआर/एआर)– 145.90; खरपतवार हटाना–125 हेक्टेयर; जल संचयन संरचना– 56 नंबर ।**	**212.16**	**वॉच टावर– 1; चेक गेट– 13य वृक्षारोपण (एएनआर/एआर)– 145.90 हेक्टेयर; जल संचयन संरचना– 27 नंबर ।**	**91.58**

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.7 वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एफसी अधिनियम, 1980 के अनुसार अन्य साइट–विषिष्ट गतिविधियों की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में और रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के अनुसार अन्य साइट–विशिष्ट गतिविधियाँ				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	पीए सीमा का सर्वेक्षण और सीमांकन		0.13		0.00
		वृक्षारोपण का उत्थान	21.50 हे	0.17	21.50	0.10
		वृक्षारोपण का रख–रखाव		0.00		0.00
		पर्यावास प्रबंधन	183.80 कि.मी	0.41	129.80 कि–मी	0.09
		संवर्धन रोपण (मैंग्रोव की तरह)	0.35 हे	0.02		0.003
		अग्निशमन लाइनों का निर्माण एवं रखरखाव		0.04		0.00
		मिट्टी और नमी संरक्षण (पानी के छेद, सॉस–आरपीटी, पीटी/एमपीटी, आरएफडी, मछली सीढ़ी आदि)	53.00 नंबर	0.65	8.00 नं	0.16
		वन एवं वन्यजीव संरक्षण	0.00	0.31	0.00	0.00
		अग्निशमन दल की स्थापना		0.68		0.10
		संचार नेटवर्क और कर्मचारियों की गतिशीलता		0.77		0.005
		कर्मचारी कार्यालय अवसंरचना और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण		0.51		0.04
		वन्यजीव प्रबंधन हस्तक्षेप		2.26		0.05
		इको–पर्यटन/इको–विकास		0.89		0.03
		प्रशिक्षण गतिविधियाँ		0.00		0.00
		प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालय व्यय		0.88		0.24
		कुल		**7.72**		**0.818**
2	छत्तीसगढ	सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण मृदा जल संरक्षण अवि जीव अन्य गतिविधियों	1. 71.439 हे. 2. 62 कार्य 3. 21 कार्य 4. 50.055 हे.	1.1.92 2. 11.81 3. 0.69 4. 0.91	1. 15 हे. 2. 4 कार्य 3.– 4.–	1. 0.02 2. 0.23 3.– 4.–
		कुल		**15.33**		**0.25**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के अनुसार अन्य साइट–विशिष्ट गतिविधियाँ				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
3	हिमाचल प्रदेश	वृक्षारोपण का रखरखाव	5.00	0.01	5.00	0.002
4	झारखंड	मृदा संरक्षण (कंड. कॉम्प.)	522.000 हे.	3.087	255.000 हे.	0.775
		सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन (कंड. शिकायत) (एड. कार्य)	200.000 हे.	1.305	200.000 हे.	1.115
		सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन (कंड. कॉम्प.) (कॉम्प. कार्य)	2,531.750 हे.	2.587	410.000 हे.	0.351
		सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन (कंड. शिकायत) (रखरखाव वर्ष 3)	2,160.000 हे.	0.631	2,160.000 हे.	0.515
		सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन (कंडिशन कॉम्प्लेक्शन) .) (रखरखाव वर्ष 4)	70.000 हे.	0.020	70.000 हे.	0.017
		चेक डैम का निर्माण (शर्त अनुपालन)	41 नं.	3.740	39 नं.	3.505
		वाहन का किराया (शर्त अनुपालन)	2 नं.	0.250	2 नं.	0.050
		प्रवेश बिंदु गतिविधि (शर्त अनुपालन)	10 नं.	0.400	10 नं.	0.400
		गाँव का पर्यावरण–विकास (दलमा वन्य जीवन सेंचुरी)	1 नं.	6.063	1 नं.	6.000
5	महाराष्ट्र	वृक्षारोपण गतिविधि (पीपीओ, एफवाईओ और रखरखाव)	507.746	2.78	400.91	1.22
		नाका और रखरखाव की जाँच करें, गलियारा रखरखाव. जल छिद्रों का रखरखाव. जलस्रोत निर्माण. सुरक्षा झोपड़ी, आवासघ्घास का मैदान, पक्षियों के घोंसले आदि।	एपीओ के अनुसार	7.14	एपीओ के अनुसार	4.81
		कुल		9.92		6.03
6	मणिपुर	बौना वृक्षारोपण	20.67	0.01	20.67	0.01
7	मिजोरम	बौना वृक्षारोपण	23.58	0.02	शून्य	शून्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के अनुसार अन्य साइट–विशिष्ट गतिविधियाँ				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
8	ओडिशा	129 स्थलों में स्थल विशिष्ट वन्य जीवन पर्यावास विकास योजना	129 साइटें	46.67	129 साइटें	40.41
9	पंजाब	ट्रैक्टर ट्यूबवेल	10 2	0.80 0.04	10 2	0.69 0.04
10	राजस्थान	विद्युत पारेषण लाइनों के नीचे औषधीय/बौने पौधे का रोपण या पारेषण लाइनों के नीचे औषधीय वृक्षारोपण (रोपण)	31.76	4.51	29.98	3.58
		पेट्रोल पंप/सड़कों/पानी के मामलों और अन्य के लिए वन भूमि के डायवर्जन के बदले में 100 पेड़/पौधों का रोपण (अग्रिम सह रोपण)	12975.00	0.86	7145.00	0.39
		शमन उपाय (एनएच–76 कोटा–चित्तौड़गढ़ की वन मंजूरी)	शून्य	11.99	शून्य	7.43
		कुल (वित्तीय लक्ष्यों और वित्तीय उपलब्धियों में अग्रिम गतिविधियाँ, रोपण और रखरखाव व्यय शामिल हैं)		17.36		11.40
11	त्रिपुरा	15.755 हेक्टेयर (पुनर्ग्रहण लागत –8 नंबरों पर वृक्षारोपण का निर्माण और रखरखाव। विवर्तित भूमि का)	15.755	0.16	9.375	0.02
12	उत्तराखंड	1– सड़क किनारे वृक्षारोपण 2– गैप फिलिंग प्लांटेशन 3– बौनी प्रजाति के बागान 4– नदी प्रशिक्षण कार्य	1– 152 पंक्ति कि.मी 2– 107 हे 3– 129 हे 4– एल.एस	14.54	1– 154.09 पंक्ति कि.मी 2– 111.13 हे 3– 108.35 हे 4– एल.एस	7.24

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के अनुसार अन्य साइट–विशिष्ट गतिविधियाँ				
		गतिविधियों का नाम और विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उप. लब्धि	वित्तीय उपलब्धि
		कुल	वृक्षारोपण– 13308.86 हेक्टेयर वृक्षारोपण का रखरखाव– 512.75 हेक्टेयर; पर्यावास प्रबंधन– 183.80 किमी	115.33	वृक्षारोपण– 7436.63 हेक्टेयर; वृक्षारोपण का रखरखाव– 12.62 हेक्टेयरय पर्यावास प्रबंधन– 129.80 किमी	79.39

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.8 वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एनपीवी कार्यों के तहत सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर)				टिप्पणी
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	
1.	आंध्र प्रदेश	1670.00	18.28	1424.00	4.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	4685.67	8.0297	4608.17	7.896	
3.	छत्तीसगढ	3507	3.38	1677.86	1.46	
4.	गोवा	385	2.88	385	2.7580	
5.	हरियाणा	600.00	14.26	476.00	3.90	
6.	झारखंड	9645.000	9.857	9040.000	7.311	

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर)				टिप्पणी
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	
7.	कर्नाटक	9840	30.23	9815	29.23	लक्ष्यरू भूमिरू वृक्षारोपण का रखरखावरू 31960.88 हेक्टेयर। अग्रिम कार्य (23–24 के लिए गड्ढा / ट्रेंचिंग)–8000 हेक्टेयर। वित्तीयरू वृक्षारोपण का रखरखावरू 37.98 करोड़। अग्रिम कार्य (23–24 के लिए पिटिंगध्ट्रेंचिंग)–38.57 करोड़। उपलब्धिरू भूमिरू वृक्षारोपण का रखरखावरू 31960.88 हेक्टेयर। अग्रिम कार्य (23–24 के लिए गड्ढाध्ट्रेंचिंग)–8000 हेक्टेयर। फिनरू वृक्षारोपण का रखरखावरू 37.33 हेक्टेयर। अग्रिम कार्य (23–24 के लिए गड्ढाध्ट्रेंचिंग)–37.56 हेक्टेयर।
8.	केरल	499	2.26	34.5	0.88	100 नंबर फाई. उपलब्धि
9.	महाराष्ट्र	2141.00	28.04	1350.00	12.20	
10	मणिपुर	2390	2.42	2390	2.42	

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर)				टिप्पणी
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	
11.	मेघालय	123 (25 हेक्टेयर नया कार्य) (98 हेक्टेयर रखरखाव)	1.072	शून्य	शून्य	
12	ओडिशा	52087	177.60	51867	176.69	
13.	राजस्थान	10000ण00	73.05	9917.00 हे.	72ण09	वित्तीय लक्ष्यों और वित्तीय उपलब्धियों में अग्रिम गति. विधियाँ, रोपण और रखरखाव व्यय शामिल हैं)
14.	सिक्किम	प्रथम वर्ष रखरखाव) के माध्यम से षोरिया रोबस्टा (साल) के संरक्षण, एसएमसी आदि सहित सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और संबद्ध गतिविधियाँ –	0.01	20 हे	0.01	
15.	तेलंगाना					
	सीपीटी	275 कि.मी	4.195	31.707 कि.मी	0.300	
	खाई स्थिरीकरण	1043.4 किमी–पुन. रागमन	1.213	1140.87 किमी पुनः भ्रमण	0.763	
		673.94 किमी नया	1.944	158.32 किमी–नया	0.391	
	बीज प्रसारण एवं डिबलिंग	351 हे.	0.009	0	0.000	
	गच्चाकाय का रख. रखाव	586100 नंबर	0.145	586100 नंबर	0.194	
	नमूना भूखंडों का बिछाने	1401 नंबर	0.221	202 नंबर	0.030	
	गच्चाकाय का उत्थान	1500428 नंबर	0.757	479835 नंबर	0.178	
	अग्निशमन लाइनें एवं रखरखाव	1853.20 किमी निर्माण	1.735	894.239 कि.मी. सृजन	0.985	

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर)				टिप्पणी
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	
		5599.30 किमी फाय. रलाइनों का रखरख. ाव	3.988	1271.384 किमी तृतीय वर्ष रख. रखाव, 1008.50 किमी द्वितीय वर्ष रखरखाव, 900.831 किमी प्रथम वर्ष रखरखाव	2.448	
	खरपतवार हटाना	11101 हे	9.880	50 हे	0.036	
	मेनट सहित नालों के किनारे बांस का वृक्षारोपण	20.936 एलबीपीएस नर्सरी का रखरखाव (संख्या)	0–516	17.54 एलबीपीएस (संख्या)	0.500	लाख बैग पौधे
		1940.70 कि.मी. की वृद्धि,	1.967	1596.5 कि.मी	1.103	
		1189.15किमी वृक्षा. रोपण का प्रथम वर्ष रखरखाव,	0.596	480.5 कि.मी	0.135	
		975 किलोमीटर अग्रिम परिचालन,	0.276	143 कि.मी	0.046	
		2023 रोपण के लिए 8.735 एलबीपीएस नर्सरी (संख्या)	0.579	5.647 एलबीपीएस (संख्या)	0.327	
	टीलों पर औषधीय जड़ी–बूटियाँ एवं झाड़ियाँ	13774 हेक्टेयर वृद्धि,	10–316	9280.02 हे	4.053	
		46.939 एलबीपीएस नर्सरी रखरखाव, (संख्या)	1–159	40.18 एलबीपीएस (संख्या)	0.938	
		2023 रोपण के लिए 80.97062 एलबीप. ीएस नर्सरी (संख्या)	4–155	26.817 एलबीपीएस (संख्या)	1.457	
	एएनआर क्षेत्रों में कम से कम 0.50 हेक्टेयर के व्यवहार्य अंतराल में 3 मीटर की दूरी पर और 30 घन घन गड्ढों /45 सेमी घन गड्ढों में देशी वन प्रजातियों के साथ अंतराल रोपण	आरएफ ब्लॉकों में 4313 हेक्टेयर, शहरी ब्लॉकों में 274.4 हे. क्टेयर	27.190	आरएफ ब्लॉकों में 3430.10 हेक्टेयर, शहरी ब्लॉकों में 522.58 हेक्टेयर	12.026	

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर)				टिप्पणी
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	
		1923 हेक्टेयर अग्रिम परिचालन,	13.231	388.5 हे	1.301	
		23 रोपण के लिए 44.43243 एलपी. बीएस नर्सरी	12.287	31.64945 एलपी. बीएस (संख्या)	4.848	
		3533 हेक्टेयर प्रथम वर्ष रखरखाव	6.367	2315 हे	1.726	
	लैंटाना को हटाना	3741.38 हेक्टेयर सृजन	3.902	929.19 हेक्टेयर सृजन	0.747	
		2234.62 हेक्टेयर रखरखाव	0.684	1443.34 हेक्टेयर रखरखाव	0.183	
	महावीर घास हटाना	4616.69 हे	2.800		1.311	
		कुल	**110.110**		**36.026**	
16.	उत्तराखंड	2764ण्40	14.55	2400.30	13.40	
	कुल	अग्रिम कार्य–9923.00 हे एएनआर वृक्षारोपण–132012.9 हेक्टेयरय मेनट. एएनआर वृक्षारोपण– 35591.88 हेक्टेयर रोपित पौधों की संख्या– 2087929 खरपतवार हटाना– 21693.69 हे खाई स्थिरीकरण– 1992.34 किमी फायर लाइन निर्माण– 1853.20 किमी फायरलाइन रखरखाव– 5599.30 किमी	496.03	एएनआर वृक्षारा.पण–109026.03 हेक्टेयर मेनट. एएनआर वृक्षारोपण– 34275.88 हेक्टेयर रोपित पौधों की संख्या– 1066237 खरपतवार हटाना– 2422.53 हे अग्रिम कार्य–8388.50 हे खाई स्थिरीकरण– 1299.19 कि.मी अग्नि"ामन ला. इनों का निर्मा.ा– 894–239 कि–मी	370.27	

8.9 वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एनपीवी कार्यों के तहत कृत्रिम पुनर्जनन की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		कृत्रिम पुनर्जनन (एआर)				
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	टिप्पणी
1.	अंडमान और निकोबार	.	5.32	–	3.29	(32 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 6 लाख रोपण और 26 लाख फलदार पौधे उगाना।) फि. उपलब्धि 26,78,732 है।
2.	आंध्र प्रदेश	2290.00	26.55	2170.00	22.22	
3.	अरुणाचल प्रदेश	6215.63	38.008	6070.63	37.365	
4.	असम	1323	8.06	650	3.72	
5.	बिहार	6160.02	31.876	6160.02	13.324	फि. लक्ष्यरू 1315.50 किमी (प्रतिबद्ध) फि. उपलब्धिरू 1315.50 किलोमीटर (प्रतिबद्ध)
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	छत्तीसगढ	5000.62	27.33 8.54	5000.62	6.30 5.25	फि. लक्ष्यरू 1. अग्रिम कार्य 2200.00 उपलब्धिः 1516.28 वित्तीय लक्ष्य+ 27.33 उपलब्धिरू 6.30 बजे
	कुल	7200–62	35–87	6516.90	11.55	
8.	गुजरात	4279–91	67–73	4279.91	67.73	
9.	हरियाणा	600	43.64	531.02	32.61	फि. लक्ष्यः 5961.84 हे. (रखरखाव) फि. उपलब्धिः 5961. 84 हे. (रखरखाव)
10.	हिमाचल प्रदेश	979.00	21.69	979.00	7.10	

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		कृत्रिम पुनर्जनन (एआर)				
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	टिप्पणी
11.	जम्मू एवं कश्मीर	15579	110.27	8691.50	75.82	
12.	झारखंड	2900.00	9.078	2575.00	6.521	
13.	कर्नाटक	1200	9.35	1200	8.69	फि. लक्ष्यरू वृक्षारोपण का रखरखावः 2192.75 हेक्टेयर। अग्रिम कार्य (23–24 के लिए गड्ढा/ट्रेंचिंग) – 925 हेक.टेयर। उपलब्धिरू वृक्षारोपण का रखरखावः 2192.75 हेक्टेयर। अग्रिम कार्य (23–24 के लिए गड्ढा/ट्रेंि.चंग)–883.72 हेक्टेयर वित्तीय लक्ष्यरू वृक्षा.रोपण का रखरखावः 4.02 करोड़। अग्रिम कार्य (23–24 के लिए पिटिंग/ट्रेंचिंग)–6.09 करोड़ उपलब्धिः वृक्षारोपण का रखरखावः 3.90 करोड़। अग्रिम कार्य (23–24 के लिए पिटिंग/ट्रेंचिंग)–5.88 करोड़।
14.	केरल	336	3.42	18	0.31	
15.	मध्य प्रदेश	31058	203.67	32280.70	199.03	
16.	महाराष्ट्र	9017.93	25.93	8732.93	19.95	
17.	मणिपुर	9950	10.22	9950	10.22	

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		कृत्रिम पुनर्जनन (एआर)				
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	टिप्पणी
18.	मेघालय	1715.10	7.07	10	0.19	भौतिक लक्ष्यरू (454 हेक्टेयर– नया कार्य) (126.10 हेक्टेयर–. रखरखाव) फि. उपलब्धिरू (10 हेक्टेयर–रखरखाव)
19.	ओडिशा	4324	91.4	3953	82.73	
20.	पंजाब	5022	32.79	4574	24.56	
21.	राजस्थान	2600.00	11.53	2520.00	11.10	(अग्रिम कार्रवाई)
			11.53	2520.00	11.10	सिल्वी–देहाती रोपण
			15.76		14.98	
22.	सिक्किम	1655	2.69	1655	2.53	पार्क और हरित प्रभ. ाग द्वारा बलुवाखानी नर्सरी में 1 पॉलीक. ार्बोनेट ग्रेनहाउस / स्टोर रूम / खाद गड्ढे का 2 साल का रख. रखाव और निर्माण शामिल है।
23.	तमिलनाडु	688.25 हे.	4.226	401.5 हे.	2.3162	
24.	तेलंगाना					
	विविध के साथ मिश्रित बांस के बागान					
	बांस के बागानों को बढ़ाना – (5ग्5 ध 3•2 पलायन)	130.00	0.39	75.00	0.570	
	पप) 2023 रोपण के लिए नर्सरी तैयार करना	.	0.07	0	0.000	665000 नंबर
	बंजर पहाड़ी वन. रोपणरू–					
	आरएफ ब्लॉक					

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		कृत्रिम पुनर्जनन (एआर)				
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	टिप्पणी
	2022 रोपण के लिए तैयार की गई नर्सरियों का रखरखाव	—	0.065	—	0.074	लक्ष्यरू 141000 संख्या उपलब्धिरू 220300 संख्या
	2022 सीजन में वृक्षारोपण बढ़ाना	155.00	0.752	123.9	0.269	
	प्रथम वर्ष का रख. रखाव	10.00	0.036	10.00	0.050	
	2022 के दौरान नर्सरी तैयार करने सहित मिश्रित प्रजातियों के साथ बंजर पहाड़ी वनी. करण के लिए अग्रिम कार्य					
	अग्रिम संचालन	20.00	0.076	10.00	0.017	
	2023 रोपण के लिए नर्सरी तैयार करना	—	0.067	—	0.419	लक्ष्यरू 30000 संख्या उपलब्धिः 230000 संख्या
	शहरी ब्लॉक					
	2022 सीजन में वृक्षारोपण बढ़ाना	281.24	13.289	281.24	8.472	
	प्रथम वर्ष का रख. रखाव	20.00	0.072	0	0.000	
	वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष रखरख.ाव	30.00	0.074	30.00	0.003	
	2023 के दौरान नर्सरी तैयार करने सहित मिश्रित प्रजातियों के साथ बंजर पहाड़ी वनी. करण के लिए अग्रिम कार्य					

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		कृत्रिम पुनर्जनन (एआर)				
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	टिप्पणी
	2023 रोपण के लिए नर्सरी तैयार करना	.	0.164	0	0.000	फि. लक्ष्यः 400000 संख्या
	गैर–सागौन माध्यमिक दृढ़ लकड़ी प्रजाति के वृक्षारोपणरू–					
	2022 रोपण के लिए नर्सरी का रखरखाव (अप्रैल, 2022 से अगस्त, 22)	.	5.611	–	8.385	फि. लक्ष्य– 12072441 नंबर फि. उपलब्धि– 18414486 संख्या
	2023 रोपण के लिए नर्सरी का रूपांतरण	.	23.711	–	27.217	फि. लक्ष्य– 10755178 नंबर भौतिक उपलब्धिः 12640198 संख्या
	आरक्षित वनों में					
	2022 सीजन में वृक्षारोपण बढ़ाना					
	एस एम एम	4377.00	32.404	5235.00	41.642	
	ली	900.00	5.598	1431.14	7.323	
	प्रथम वर्ष का रखरखाव					
	एस एम एम	4937.00	18.069	4878.00	15.232	
	ली	596.50	3.012	596.00	2.027	
	दूसरे वर्ष का रखरखाव					
	एस एम एम	2614.50	6.118	2292.00	4.663	
	ली	266.00	0.657	200.00	0.416	
	अग्रिम संचालन और विविध का उत्थान। 2023 रोपण के लिए प्रजाति वृक्षारोपण					

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		कृत्रिम पुनर्जनन (एआर)				
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	टिप्पणी
	i) अग्रिम परिचालन					
	एस एम एम	5852.00	18.730	1582.00	5.129	
	ली	1790.00	8.503	492.00	1.808	
	ii) 2024 के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए प्राथमिक स्टॉक –4.7	–	3.179	–	6.342	भौतिक लक्ष्य– 10457495 संख्या फि. उपलब्धि– 11216968 नंबर
	शहरी ब्लॉक					
	2022 सीजन में वृक्षारोपण बढाना					
	एस एम एम	345.00	2.559	418.2	3.718	
	ली	90.00	0.560	73.00	0.405	
	घना जंगल	3.00	0.190	3.00	0.061	
	प्रथम वर्ष का रखरखाव					
	एस एम एम	145.00	0.531	145.00	0.533	
	ली	32.00	0.162	12.00	0.045	
	दूसरे वर्ष का रखरखाव					
	ली	14.00	0.035	2.50	0.007	
	अग्रिम संचालन और विविध का उत्थान। 2023 में प्रजाति वृक्षारोपण					
	i) अग्रिम परिचालन					
	एस एम एम	30.00	0.096	30.00	0.060	
	ली	40.00	0.190	0.00	0.00	
	ii) 2024 के लिए नर्सरी तैयार करना	–	0.287	–	0.564	फि. लक्ष्य– 500000 संख्या फि. उपलब्धि– 1050125 संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		कृत्रिम पुनर्जनन (एआर)				
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	टिप्पणी
	कुल		145.250		135.452	
25	त्रिपुरा	23.50	0.16	23.50	0.14	
26	उत्तर प्रदेश	38212.00	150.12	38212.00	149.98	रखरखाव फि. लक्ष्यः 33239. 81 हे उपलब्धि– 33220.81 हे.
27	उत्तराखंड	985	38.05	979	29.60	भौतिक लक्ष्यः रख. रखाव। 2348 हेक्टेयर, एएसडब्ल्यू' – 3128 हेक्टेयर मेनट. 1455 हेक. टेयरय एएसडब्ल्यू' 2701.85 हेक्टेयर
28	पश्चिम बंगाल	2002.00	1.77	170.50	0.533	
	कुल	**अग्रिम कार्य– 14868.72 हे एआर(कृ त्रिम पुनर्जनन) वृक्षारोपण– 160642.20 हेक्टेयरय 1315.50 कि.मी रोपित पौधों की संख्या– 37891114 मेनट. एआर (कृत्रिम पुनर्जनन) वृक्षारोपण– 52533. 50 हेक्टेयर**	**1139ण्97**	**अग्रिम कार्य–7205.85 हे एआर वृक्षारोपण– 149778.31 हेक्टेयरय 1315.50 कि.मी रोपित पौधों की संख्या– 46450809 मेनट. एआर वृक्षारोपण का– 50115.90 हे**	**962.46**	

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.10 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एनपीवी के तहत वन अग्नि सुरक्षा कार्यों की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		वन अग्नि सुरक्षा				
		गतिविधियों का नाम एवं विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (करोड़)
1.	आंध्र प्रदेश	नई अग्नि रेखाओं का निर्माण	2149 कि.मी	4.05	749.78 कि.मी	1.60
		फायर लाइनों का रखरखाव	856 कि.मी	4.99	438.29 कि.मी	2.07
		संगठन जागरूकता अभियान	28 (कार्यशाला)	0.56(कार्यशाला)	30 नंबर	0.26
		अग्निशमन उपकरणों की खरीद	12नंबर	1.43	10 नंबर	0.45
		कुल		11.03		4.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	अग्नि शामक	147 नंबर –		147	
		शोवल	67 नंबर –		67	
		आग का कुल्हाड़ा	65 नंबर –		65	
		अग्नि आश्रय	20 नंबर –		20	
		आग प्रतिरोधी पहनना	97 नंबर		97	
		फायर बीटर	158 नंबर –		158	
		ब्द2 आधारित अग्नि. नशामक यंत्र	55 नंबर –		55 नंबर/4.5 किग्रा	
		एबीसी शक्ति	55 नंबर –		55 नंबर/4.5 किग्रा	
		पीजीबी प्राथमिक चिकित्सा किट	125 नंबर –		125	
		हेलमेट	240 नंबर –		240	
		दस्ताना	202 जोड़े		202	
		गम बूट	193 जोड़े		190	
		सुरक्षा गूगल	170 नंबर –		170	
		अग्नि वस्त्र	40 नंबर		40	
		आग का हुक	53 नंबर –		53	
		लाउंज अग्नि उपकरण	5 सेट		5 सेट	

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		वन अग्नि सुरक्षा				
		गतिविधियों का नाम एवं विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (करोड़)
		धुआं चेजर	5 सेट		5 सेट	
		अग्निरोधी तिरपाल	59 नंबर		59	
		पावर चेन आरा	1 नं.		1	
		निरीक्षण पथ, गश्त और फायरलाइन कटिंग (किमी में)	2170.259 किमी		2170.259 किमी	
		वॉच टावर	124 नंबर .		124 नंबर .	
		कुदाल/रेक	88		88	
		कुल		2.43624		2.43624
3.	छत्तीसगढ	आग पर नजर रखने वाला	4126 मारो	14.85	4126 मारो	5.91
4.	गोवा	जंगल की आग की रोकथाम के लिए फायर वॉचर्स की नियुक्ति	11900 एमडी	0.47	11237 एमडी	0.4640
		काजू बागान के किनारे फायरलाइन/निकासी का रखरख.ाव और निर्माण	300 आरकेएम	0.75	240 आरकेएम	0.7185
		अग्निशमन किट की खरीद	23 नंबर .	0.23	10 नंबर .	0.2260
		कुल		1.45		1.4085
5.	हिमाचल प्रदेश	आग पर नजर रखने वाले	54810 एमडी	2.19	50751 एमडी	2.15
		अग्नि रेखा निर्माण	11 कि.मी.	0.05	11 कि.मी	0.04
		गिरोह झोपड़ी	2 नंबर	0.25	—	—
		प्रौक्षिण और क्षमता निर्माण जागरूकता।	रास	0.11	—	0.07
		नकली व्यायाम				
		जलने पर नियंत्रण रखें	रास	0.23	—	0.20
		वाहनों को किराये पर लेना	16113	0.80	10098	0.64
		आधुनिक अग्निशमन उपकरण आदि।	—	1.34	—	0.25
		WHF	—	1.50	—	0.10
		मेनट. अग्नि रेखा का	—	0.02	—	0.05
		कुल	—	0.51	—	—
				7.00		**3.50**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		वन अग्नि सुरक्षा				
		गतिविधियों का नाम एवं विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (करोड़)
6.	जम्मू एवं कश्मीर	अग्निशमन लाइनों का निर्माण/रखरख.ाव (किमी में)	367 कि.मी	1.06	311 कि.मी	0.96
		अग्नि पर नजर रखने वाले (कर्म दिवसों की संख्या)	61298	1.56	46573	1.30
		अग्निशमन उपकरण की खरीद	.	0.92	.	0.63
		कुल		3.54		2.89
7.	कर्नाटक	अग्नि लाइनों का निर्माण और रख. रखाव, अग्निशमन उपकरणों की खरीद, अग्नि पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना	फायर लाइनों का निर्माणरू 1094.95 किमी फायर लाइनों का रख. रखावरू 12347.50 किमी. अग्नि.नशमन उपकरणों की खरीदरू 25 संलग्न अग्नि पर्यवेक्षकः 90566 मानव दिवस	10.00	फायर लाइनों का निर्माणरू 1094.95 किमी फायर लाइनों का रख. रखावरू 12347.50 किमी. अग्निशमन उपकरणों की खरीदः 25 संलग्न अग्नि पर्यवेक्षकः 90566 मानव दिवस	9.61
8.	केरल	सहभागी वन प्रबंधन के माध्यम से फायर गैंग को शामिल करना	26100 मिमी	1.95	3068 मिमी	2.34
		अग्नि जागरूकता अभियान	104 (कार्यशाला)	0.20	33(कार्यशाला)	0.13
		अग्निशमन उपकरण	93नंबर	0.46	7 नंबर	0.37
		फायरलाइन/फाय.र–ब्रेक का निर्माण	924 कि.मी	1.62	164.35 कि.मी	1.30
		कुल		4.23		4.14
9.	मध्य प्रदेश	फायर लाइन, वॉच टावर, फायर उप.करण आदि	शून्य	25	शून्य	23.97

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		वन अग्नि सुरक्षा				
		गतिविधियों का नाम एवं विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (करोड़)
10.	महाराष्ट्र	अग्नि रेखाओं का कटना एवं जलना	26362.44	7.66	20986.72	6.44
		आग पर नजर रखने वाले	28430	7.5	18940	6.14
		वॉच टावर्स	43 नंबर	3.68	23	2.09
		चेक पोस्टध्चेक नाका	21 नंबर	1.33	10	0.86
		कुल	शून्य	20.17		15.53
11.	मणिपुर	अग्नि रेखा का निर्माण	456 कि.मी	0.57	456 कि.मी	0.57
		वाहन किराये पर लेना	66 नंबर	0.20	66 नंबर	0.20
12.	मिजोरम	फायर लाइनों का रखरखाव–468.18 किमी जागरूकता एवं नियंत्रण अभियान–18 प्रभाग		1.2		1.2
13.	ओडिशा	अग्नि सुरक्षा रैपिड रिस्पांस टीम, फायर लाइन क्रिएषन, फायर वॉच टावर 10 नंबर फायर वॉच टावर आदि।	213 नंबर अग्नि सुरक्षा रैपिड रि. स्पांस टीम 19500 आरकेएम फाय. रलाइन आदि।	39.62	213 नंबर अग्नि सुरक्षा रैपिड रि. स्पांस टीम 19170 आरकेएम फायरला. इन आदि। 10 नंबर फायर वॉच टावर आदि।	38.22
14.	पंजाब	आग पर नजर रखने वालों की संख्या 1840, फायरलाइन 129 कि. मी	आग पर नजर रखने वालों की संख्या 1840, फायरलाइन 129 कि.मी	1.84 1.05	1584 नं 85 कि.मी	1.58
		कुल		2.58		
15.	राजस्थान	अग्नि रेखाओं का निर्माण	197.80 किमी	0.17	195.02 किमी	0.64
			575.64 किमी	0.24	412.13 किमी	2.22
		कुल		**0.41**		**0.16**
16.	तमिलनाडु	चेक पोस्ट का सुधार	5 नंबर	0.418	5 नंबर	0.23

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		वन अग्नि सुरक्षा				
		गतिविधियों का नाम एवं विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (करोड़)
17.	तेलंगाना	अग्निशमन उपकरणों की खरीदः	106 नंबर	0.530	96 नंबर	0—39
		अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा के लिए फायर षील्ड की खरीदरू	106 नंबर	0.265	76 नंबर	0.193
		फरवरी से मई तक चार महीनों के लिए केवल अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में अग्नि लाइनों में कू. ड़े को साफ करने, जलने पर नियंत्रण, आग का पता लगाने और आग बुझाने के लिए 5 मौसमी अग्नि पर्यवेक्षकों के साथ प्रवर्तन दल।	45 नंबर	1.388	45 नंबर	0.845
		नियंत्रित दहन के साथ 5 मीटर चौड़ा. ई वाली नई अग्नि लाइनों का निर्माण (लंबाई किमी में)				
		प. अत्यधिक संवे. दनशील क्षेत्र	1166.50 कि.मी	1.108	954.2	0.997
		प्. संवेदनशील क्षेत्र	1825.00 कि.मी	1.736	297.168	1.531
		कम संवेदनशील क्षेत्र	1499.00 कि.मी	1.426	1182.09 कि.मी	1.218
		अग्नि संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रित जलन के साथ अग्नि लाइनों का रखरखाव (लंबाई किमी में)				
		2021—22 का प्रथम वर्ष फायर लाइनों का रखरखाव	3501.03 कि.मी	2.461	2032.616	2.179

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		वन अग्नि सुरक्षा				
		गतिविधियों का नाम एवं विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (करोड़)
		2020–21 में फायर लाइनों का द्वितीय वर्ष का रखरखाव	2904.19 कि.मी	2.042	1671.989	1.835
		वॉच टावरों की स्थ. ापना	26.00 नंबर	3.420	9	1.298
		आग की रोकथ. ाम के लिए जाग. रूकता (अत्यधिक संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्र)				
		जागरूकता सामग्रीः पैम्फलेट, हैंडआउ. ट्स, पोस्टर, बैनर, वृत्तचित्र फिल्में, डिस्प्ले बोर्ड, मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक/डिजि. टल /प्रिंट आदि) (संख्या)	106 (कार्यशाला)	0.159	53 (कार्यशाला)	0.091
		जागरूकता अभियानः चरवाहों/मवेशी मालिकों/एनटीएफ. पी संग्राहकों (बीएल, मोहुआ, शहद)/ बीएल खल्लादारों/ ठेकेदारों/सरकारी कर्मचारियों/अधिकार धारकों, आदि/ स्कूलों/रैलियों/ कलाजातों (संख्या) के साथ बैठक	106 (कार्यशाला)	0.159	61 (कार्यशाला)	0.103
		जिला/डिवीजन/ रेंज स्तर पर संबंधित विभागों और निव. ाचित निकायों और गैर सरकारी संग. ठनों के बीच समन्वय के लिए प्री–फायर सीजन कार्यशालाएं (संख्या)	158 (कार्यशाला)	0.277	80 (कार्यशाला)	0.149

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)				
		वन अग्नि सुरक्षा				
		गतिविधियों का नाम एवं विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (करोड़)
		अग्निशमन में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं और ग्रामीण समुदायों की क्षमता निर्माणय क्षेत्रीय स्तर पर और अंतर एजेंसी समन्वय के साथ मॉक ड्रिल आयोजित करना (संख्या)	106 (कार्यशाला)	0.159	46 (कार्यशाला)	0.075
		कुल		**15.129**		**11.041**
18.	त्रिपुरा	अग्निशमन उपकरणों की खरीद	शून्य	शून्य	विविध. सामान	0.01
19.	उत्तराखंड	1–अग्नि रेखाएँ, 2–अग्नि पर नजर रखने वाले, 3– क्रू स्टेशन 4–उपकरण	1–4628 किमीय 2–1174 नंबर य 3–30 नंबर य 4– 469 नंबर .	6.48	1–फायर लाइनें– 4001 किमी 2–दर्षक–1174 संख्या 3–क्रू स्टेशन – 17 संख्याएँ। 4–उपकरण दृ 469 नंबर .	4.97
20.	पश्चिम बंगाल	फायर लाइन का रखरखाव अग्नि पर नजर रखने वालों की नियुक्ति अग्नि नियंत्रण उपकरणों की खरीद	2511.29 किमी 38985 पी.डी.एस एपीओ के अनुसार	0.68 1.04 0.55	625 कि.मी – –	0.1687 – –
		कुल	**किलोमीटर में फायर लाइन का निर्माण– 9,24,36,911. 68य किलोमीटर में फायर लाइन का रखरखाव– 22,995.65य उपकरण– 2,679य वॉच टावर्स– 71,052**	**166.46**	**किलोमीटर में फायर लाइन का निर्माण–य 51,817.537य किलोमीटर में फायर लाइन का रखरखाव– 17,355.399य उपकरण– 2,535य वॉच टावर– 166**	**130.74**

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.11 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एनपीवी के अंतर्गत मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य				
		मृदा एवं नमी संरक्षण				
		गतिविधियों का नाम और विवरण (तालाब/जल निकाय, चेक बांध, अन्य जल संचयन संरचनाएं)	भौतिक लक्ष्य (इकाइयाँ)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि (इकाइयाँ)	वित्तीय उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	बांधों की जांच करें	111नंबर	5.61	33नंबर	1.23
		रॉक फिल बांध (आरएफडी) आरएफडी	266नंबर	0.24	34नंबर	0.05
		मिनी परकोलेशन टैंक (एमपीटी)ध परकोलेशन टैंक (पीटी)	387नंबर	3.26	234नंबर	1.78
		सतत समोच्च खाइयाँ (सीस. ीटी)	82000 आरएमटी	0.86	25343.25आरएमटी	0.70
		परिधीय खाइयाँ	10000 आरएमटी	0.42	2500 आरएमटी	0.08
		पुरानी एसएमसी संरचनाओं का रखरखाव		0.61		0.08
		कुल		11.00		3.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	डबल रबल मैन्सरी चेक डैम	1123	10.607	1123	10.607
		जंगल बेलीज पोस्ट और जलग्रहण क्षेत्र पर कृत्रिम वृक्ष. ारोपण	1165	2.618	1165	2.618
		कुल	2,288	13.2248	2,288	13.225
3.	असम		5 नंबर			0
4.	छत्तीसगढ	एलबीसीडी, बीडब्ल्यूसीडी, चेक डैम, स्टॉप डैम, 30–40 मॉडल, अर्थर्न डैम, कंटूर ट्रेंच, डाइक आदि।	299 नाली	छत्तीसगढ	एलबीसीडी, बीड. ब्ल्यूसीडी, चेक डैम, स्टॉप डैम, 30–40 मॉडल, अर्थर्न डैम, कंटूर ट्रेंच, डाइक आदि।	129.40

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य				
		मृदा एवं नमी संरक्षण				
5.	गोवा	वन क्षेत्रों में जल धारण सं. रचना एवं वाटर होल का निर्माण	15 किमी	0.022	3 आरकेएम	0.0199
		प्राकृतिकध्कृत्रिम जल छिद्रों से गाद निकालना	47 नंबर .	0.0940	47 नंबर .	0.0927
		स्टैगर्ड कंटोर खाइयों की खुदाई 1 मीटर। एक्स 0.50 मीटर. ग्0.50 मीटर.	3000 नंबर	0.0450	2522 नंबर .	0.0446
		कुल		0.161		0.1572
6.	गुजरात	—	617	12.13	617	12.13
7.	हरियाणा	एसएमसी (चेक डैम, तालाब, लिडार)	.	32.14	.	14.43
8.	हिमाचल प्रदेश	जल समिति तालाब/डब्ल्यूएचएस चेक डैम	84 नंबर 150 नंबर 7043 नंबर	1.19 33.26 12.11	59 नंबर 93 नंबर 4247 नंबर	0.72 13.03 7.40
		कुल		46.56		21.15
9.	जम्मू एवं कश्मीर	डीआरएसएम (सह में)	87951	9.62	75139	5.52
		टोकरा (संख्या में)	4272	8.61	3225	4.92
		डब्ल्यूएचएस/तालाब (संख्या में)	509	9.89	403	4.59
		कुल		28.12		15.03
10.	झारखंड	चेक डैम का निर्माण पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण	287 नं. 505 नं.	22.960 4.04	284 नं. 501 नं.	22.718 4.01
11.	कर्नाटक	समोच्च खाइयों की खुदाई	.	.	552 नं.	0.024
12.	केरल	नालियों को बंद करना और पानी के छिद्रों से गाद निकालना	1110 मी 3. 28 नंबर	0.45	360 मी 3. 9 नंबर	0.39

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य				
		मृदा एवं नमी संरक्षण				
13.	मध्य प्रदेश	,नीकट–2, बोरवेल–2 बोरीबंधन कार्य – 6, चेक डेम – 7 जल छिद्रों को •हरा करना – 2 हैंडपंप – 5, झिरियानिर्माण – 20, सोलर पंप – 1, नाला गहरी. करण कार्य – 3 जल छिद्रों की मरम्मत – 21 नए जल छिद्र – 7, तष्तरी – 40 सौर पंप के साथ तष्तरी टैंक – 2 स्टॉपडेम – 6, टैंक निर्माण – 39 टैंक गहरीकरण – 42, टैंक मरम्मत – 25 तालाब का गहरीकरण – 1	223 नं	5.47	232 नं	5.89
14.	महाराष्ट्र	गेबियन भंडारा का निर्माण	1795	8.49	1316	6.55
		सीमेंट भंडारे का निर्माण	238	31.70	96	10.96
		चेक डैम का निर्माण	81	0.52	59	0.31
		वन तालाबों/वंतले/खोदता. डी का निर्माण	379	11.37	314	9.18
		गहन सी.सी.टी	629	7.69	611	7.01
		मिट्टीध्माटी नाला बांध	247	7.47	183	6.46
		एलबीएस संरचना का निर्माण	500	0.90	259	0.31
		मृदा एवं जल संरक्षण/कटा. ई कार्य (राष्ट्रीय प्राधिकरण योजना) लिडार (स्वीकृत डीपीआर के अनुसार)	शून्य	10–00	शून्य	8.07
			शून्य	78.14	शून्य	48.86

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य				
		मृदा एवं नमी संरक्षण				
15.	मणिपुर	कंटूर ट्रेंचिंग 2. जल संचयन तालाब का निर्माण	12.6 क्यू.एम 16 नंबर	0.58	12.6 क्यू.एम 16 नंबर	0.58
		वृक्षारोपण नर्सरी, चेक डैम, स्प्रिंग चौंबर	560.08 हेक्टेयर (326.5 हेक्टेयर–नया कार्य) (233.58 हेक्टेयर–. रखरखाव) 23 नंबर (चेक डैम, स्प्रिंग चौम्बर) 1318.5 बिस्तर	4.39	511.5 हेक्टेयर वृक्ष. ारोपण (326.5 हेक. टेयर– नया कार्य) (185 हेक्टेयर–रख. रखाव)	2.96
16.	मेघालय	एसएमसी वन–11 प्रभागों में काम करती है	शून्य	0.50	शून्य	0.50
17.	ओडिशा	एलबीसीडी, स्टैगर्ड ट्रेंच, पर. कोलेशन पिट्स, जल निकाय, चिनाई चेक डैम, गाइडेड अर्थन बंड, कंटूर ट्रेंच और एसएमसी के लिए डीपीआर की तैयारी	26500 हे	92.75	25951 हे. गतिविधियां एलबीसीडीरू11306 संख्या एस ट्रेंचरू 4.25 लाख पी.पिटरू 9944 संख्या जल निकायरू 25 संख्या चिनाई चेक बांधरू 265 संख्या जीई बा. धरू 31.8 आरकेएम आदि	90.83
18.	राजस्थान	एनीकट टाइप–III	40	2.60	40	2.58
		एनीकट टाइप–II	39	1.46	39	1.46
		एमपीटी	78	0.55	78	0.54
		कुल	157	4.61	157	4.58
19.	सिक्किम	बल्ली बेंचिंग	50 हे	0.25	50 हे	0.25
		झाड़ू घास वृक्षारोपण	200 हे	0.39	200 हे	0.29
		रखरखाव (प्रथम वर्ष)	300 हे	0.16	300 हे	0.16
		रखरखाव (दूसरा वर्ष)	565 हे	0.17	565 हे	0.17
			1,115	0.97	1,115	0.87

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य				
		मृदा एवं नमी संरक्षण				
20.	तमिलनाडु	जल भंडारण संरचनाओं से गाद निकालना एवं मरम्मत करना	3 नंबर	0.039	3 नंबर	0ण्0386
21.	तेलंगाना	एसएमसी काम करता है				
		एक। क्रमबद्ध समोच्च खाइयाँ	195150 घन. मी. ट्रिक टन	5.842	285863 घन. मीट्रिक टन	3.753
		बी। फार्म पाउंड	114 नंबर	0.395	15 नंबर	0.033
		सी। चट्टानों से भरे बांध	22671 नंबर	22.644	16401 नंबर	17.599
		डी। पीटी के साथ सौर पंप का निर्माण और बोरवेल की खुदाई	7	0.519	9	0.522
		जल संचयन संरचनाएँ				
		एक बांधों की जांच करें	643 नंबर	35.490	312 नंबर	15.925
		बी अंतःस्राव टैंक	966 नंबर	18.303	1148 नंबर	16.604
		मौजूदा परकोलेशन टैंकों की मरम्मत		0.000	23	0.306
		शहरी ब्लॉक				
		चेक डैम	93 नंबर	4.955	50 नंबर	1.611
		चेक डैम की मरम्मत	74	2.045	24	0.464
		मिनी परकोलेशन टैंक	413 नंबर	2.683	215 नंबर	1.344
		परकोलेशन टैंक	102 नंबर	1.979	60 नंबर	0.923
		परकोलेशन टैंक की मरम्मत	8	0.120	7	0.103
		डगमगाती खाइयाँ	50438 घन. माउंट	1.843	19472 घन. माउंट	0.908
		बीडीसी				
		परकोलेशन टैंक	46 नंबर	0.460	29 नंबर	0.358
		पीटी के साथ सौर पंप का निर्माण और बोरवेल की खुदाई	32 नंबर	1.749	20 नंबर	1.003
		परकोलेशन टैंक और चेक बांधों की मरम्मत	154 नंबर	1.560	31 नंबर	0.364
		कुल		**100.586**		**61.819**

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध वर्तमान मूल्य				
		मृदा एवं नमी संरक्षण				
22.	त्रिपुरा	चेक डैम (निर्माण एवं रखरखाव)	90 नंबर .	7.5	74 नंबर .	3ण्57
23.	उत्तराखंड	1– वृक्षारोपण 2– डीटीआर तैयारी 3– एसएमसी कार्यः (i) जल निकाय समोच्च (ii) खाइयाँ (iii) रिसाव गड्ढे (iv) धारा–नौला रखरखाव (v) चेक–डैम	1– वृक्षारोपण–500 हेक्टेयर 2– डीटीआर तैया. री– 410 संख्या। 3– एसएमसी कार्य (i) जल निकाय समोच्च – 1355 (ii) खाइयां–4145 हेक्टेयर (iii) अंतःस्राव गड्ढे–283 हेक्टेयर (iv) धारा–नौला रखरखाव – 281 नंबर (v) चेक–डैम – 5654 संख्याएँ।	28.72	1– वृक्षारोपण–500 हेक्टेयरय 2– डीटीआर तैया. री– 332 नंबर; 3– एसएमसी कार्य (i) जल निकाय समोच्च–568य (ii) खाइयाँ– 2543. 97 हेक्टेयर (iii) अंतःस्राव गड्ढे–283 हेक्टेयर (iv) धारा–नौला रखरखाव – 226 नंबर; (v) चेक–डैम–4830 संख्याएँ।	26.46
		कुल	**संख्या–1,45,370; आ. रएमटी– 92,000; आरकेएम–15, बन.उज.–2,46,710.60; हा–33,103.08; बिस्तर– 1318.5**	**796.32**	**संख्या–1,38,629; आरएमटी–27,843.25; आरकेएम– 34. 80; बन.उज–3,06,259.60; हा– 30,904.47**	**483.53**

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.12 प्रतिकरात्मक वनीकरण के तहत वृक्षारोपण (एनपीवी और ब्याज घटक को छोड़कर)

वित्त वर्ष 2022–23 में केवल एनपीवी और ब्याज घटक को छोड़कर, प्रतिकरात्मक वनीकरण के तहत विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल वृक्षारोपण अस्तित्व लगभग 82.11% है।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोपे गए पौधों की संख्या	जीवित बचे पौधों की संख्या	उत्तरजीविता %
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	42715	36140	84.60
2	आंध्र प्रदेश	528200	448970	85
3	असम	1,13,200	92,800	81.98
4	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5	चंडीगढ़	140	140	100
6	छत्तीसगढ	521053	521053	100
7	गोवा	357461 नंबर .	298767 नंबर .	82
8	गुजरात	4986688	4544169	91.13
9	हिमाचल प्रदेश	980100	980100	100
10	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	731000	475150	65
11	झारखंड	651031	638010	98
12	कर्नाटक	16765	16765	100
13	मध्य प्रदेश	5933815	5755800	97
14	महाराष्ट्र	222509	210961	94.81
15	मेघालय	23,220	20,898	90
16	ओडिशा	21,92,873	19,73,585	90
17	पंजाब	800241	688207	86
18	राजस्थान	349867	334928	95.73
19	सिक्किम	94670	80469	73
20	तमिलनाडु	75322	72044	95.65
21	तेलंगाना	2348400	2184789	93.0
22	त्रिपुरा	5,37,710	4,47,643	83.25
23	उत्तर प्रदेश	1999196	1945600	98.53

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोपे गए पौधों की संख्या	जीवित बचे पौधों की संख्या	उत्तरजीविता %
24	उत्तराखंड	26,95,000	आंकलित नहीं किया गया	1. 2022–23 में उगाए गए वृक्षारा. `पण के लिए मूल्यां. कन नहीं किया गया 2. 2022–23 में किये गये आंतरिक मूल्यांकन में 89.12: उत्तरजीविता प्राप्त हुई। (वृक्षारोपण वर्ष 2019–20, क्षेत्रफल–88 हेक. टेयर)
25	पश्चिम बंगाल	305915	निगरानी रिपोर्ट का इंतजार है	निगरानी रिपोर्ट का इंतजार है
	कुल	**26507091**	**21766988**	**82.11**

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.13 वन सुरक्षा और फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए बुनियादी ढाँचाध्सुविधाएँ बनाई गईं

वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए मैदानी स्तर पर भवन निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे वन क्षेत्र के कर्मचारियों को वन क्षेत्रों में रहने में मदद मिल रही है और वन सुरक्षा के लिए यह आवष्यक साबित हो रहा है।

(क्वार्टर, अधिकारी संख्या में, रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्वार्टरों	कार्यालयों	चेक पोस्ट	व्यय
1	अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य	1 नंबर निरीक्षण पोस्ट'	0.15
2	आंध्र प्रदेश	25 (मरम्मत कार्य)	12 (मरम्मत कार्य)	4 (मरम्मत कार्य)	38.17
3	अरुणाचल प्रदेश	30	6	7	518.9986
4	असम	22 नंबर वन जीडी क्वार्टर–4 रेंज अधिकारी क्वार्टर–2 वनपाल क्वार्टर–8 अवैध षिकार विरोधी शिविर–3	2 नंबर रेंज कार्यालय–1 नेचर लर्निंग सेंटर–1	1 नंबर वॉच टावर–1	372.26
5	छत्तीसगढ	स्टाफ के सुख	10 वृत्त	शून्य	399.15
6	गोवा	17 नंबर . (रखरखाव)	शून्य	2 नंबर	0.60
7	हरियाणा	23	3	शून्य	3.92
8	हिमाचल प्रदेश	33	2	0	3.70
9	जम्मू एवं कश्मीर	55	4	5	1414.82
10	झारखंड	कॉन्स्ट. आरओएफ क्वार्टर का – 27 कॉन्स्ट. वनपाल क्वार्टर का – 21 कॉन्स्ट. वन रक्षक क्वार्टर दृ 31	शून्य	शून्य	3029.41
11	कर्नाटक	23	7	शून्य	700.00
12	मध्य प्रदेश	156	14	10	21.49
13	महाराष्ट्र	118	25	10	4930.63
14	मणिपुर	3	4 (विस्तार)	0	177.00
15	मेघालय	55	17	शून्य	2.369
16	मिजोरम	शून्य	शून्य	6	0.15
17	ओडिशा	361	11	शून्य	93.53
18	पंजाब	0	1	0	17.91
19	राजस्थान	चौकियाँ–24य ओसीआर–16	शून्य	1	385.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्वार्टरों	कार्यालयों	चेक पोस्ट	व्यय
20	सिक्किम	7	0	2	505.00
21	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	5	40.79
22	तेलंगाना	एफआरओ भवनः नयाः 1 स्पिल ओवरः 7	शून्य	शून्य	194.90
		एफएसओ/उप आरओ बिल्डिंगः नयारू 1, स्पिल ओवरः 17	शून्य	शून्य	313.70
		एफबीओ/एबीओ क्वार्टरः नयारू 1, स्पिल ओवरः 27	शून्य	शून्य	308.90
		कुल			**817.60**
23	त्रिपुरा	04	04	शून्य	110.03
24	उत्तर प्रदेश	76	0	0	747.09
25	उत्तराखंड	3	23	59	1663.00
	कुल	**क्वार्टर– 1152**	**कार्यालय– 119**	**चेक पोस्ट– 109**	**15992.77**

स्रोतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

8.14 वित्त वर्ष 2022–23 में अनुमोदित विभिन्न कैम्पा गतिविधियों के तहत विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हरित रोजगार उत्पन्न हुआ

(करोड़ रुपये में, रोजगार व्यक्तिगत दिनों में, क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	वृक्षारोपण का भौतिक लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ	रोजगार उत्पन्न हुआ	मजदूरी दर	बजट का उपयोग हरित रोजगार के लिए किया गया
1.	आंध्र प्रदेश	26	6236.75	4353.75	1216070	475	82.52
2.	अरुणाचल प्रदेश						
3.	असम	31	1790.45	नए वृक्षारोपण और पिछले वर्षों के वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए साइट नर्सरी	712500	320	49.13
4.	बिहार	38	1321.09	1321.09	704155	373	26.54
5.	चंडीगढ़	1	रखरखाव	पिछले वर्षों का रखरखाव	17506	420	0.76
6.	छत्तीसगढ	33	25619.29	19667.80	8072818	323.00	614.27
7.	गोवा	2	420	289	22458	405	0.95

8.	हरियाणा	22	3506—11	2586—87	1627738	393—97	80—16
9.	गुजरात	33	7192—28	7192—28	2394366	355	170
10.	हिमाचल प्रदेश	12.00	2240—00	1610—00	455428	350	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	20	15500	8529	1590000	300	47—70
12.	झारखंड	24	16740—833	16740—833	2399328	326—85	115—909
13.	कर्नाटक	31	"ाून्य	"ाून्य	2040093	576—15	117—54
14.	केरल	14	1485	"ाून्य	"ाून्य	750	"ाून्य
15.	मध्य प्रदेश	50	47423	40371	5127746	380	194—854
16.	महाराष्ट्र	33	27953.94	26085.549	2106938	442	93.13
17.	मणिपुर	16	2540	2540	378778	225	8.52
18.	ओडिशा	30	62682.788	60709.364	6972714	311.00	
19.	पंजाब	23	5439	5375	1412741	383	54.11
20.	तमिलनाडु*	38	146.38				
21.	तेलंगाना	33	14355	12399	1692827	257	77.114
22.	त्रिपुरा	8	719.64	708.64	10,10,700	212	21.43
23.	उत्तर प्रदेश	75	39886.77	39865.33	2655165	201.00	53.36
24.	उत्तराखंड	13	4631.09	4377.69	4176000	330	229.72
25.	पश्चिम बंगाल	23	597.54	479.66	34911	284	0.99
	कुल	**660**	**2,88,549.941**	**2,55,201.856**	**4,68,20,980**	**—**	**2,039.05**

(ंडेटा 31.03.2023 के बाद ाामिल किया जाएगा)

' नए वृक्षारोपण और पिछले वर्षों के वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए साइट नर्सरी

'' पिछले वर्षों का रखरखाव

'''' (' डेटा 31.03.2023 के बाद शामिल किया जाएगा)

नोट—विवरण राज्योंध्केंद्रषासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है

NATIONAL AUTHORITY

COMPENSATORY AFFORESTATION

Compensatory Afforestation is a critical environmental strategy designed to counterbalance the ecological impact of deforestation due to diversion of forest land. It's implemented through the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), this initiative requires user agencies to contribute to a dedicated fund based on the extent of forest land utilized for their activities.

Addresses the loss of green cover but also promotes biodiversity, ecosystem resilience, and community involvement in sustainable forestry practices

The funds are utilized for afforestation, reforestation, and biodiversity conservation projects. The primary goal is to restore and sustainably manage the country's forest cover.

Since 1980 up to 31.03.2022, 10.67 lakh hectares (ha.) of Compensatory afforestation has been carried out by the States/ UTs.